पंचम माला, खंड 24, अंक 12 मंगलवार, 6 मार्च, 1973/15 फाल्गुन,, 1894 (शक)
Fifth Series, Vol. XXIV, No. 12, Tuesday, March 6 1973 / Phalguna 15, 1894 (Saka)

लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XXIV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

PARL[illegible] LIBRARY
No. R. 71(20)
DATE 24.7.73

विषय सूची/CONTENTS

अंक 12, मंगलवार, 6 मार्च 1973/15 फाल्गुन, 1894 (शक)

No. 12, Tuesday, March 6, 1973/Phalguna 15, 1894 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या		
S. Q. Nos.		
203. केरल के लिए 37 करोड़ रूपये की रेलवे परियोजनाएं	Railway Projects for Kerala involving an expenditure of Rs. 37 crores	1–3
204. सहारनपुर और रूड़की में रिटायरिंग रूम की व्यवस्था	Provision of Retiring Rooms at Saharanpur and Roorkee	3–4
205. बिजली के संकट के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश द्वारा भेजी गई योजना	Plan submitted by U.P. on Power Crisis	4–6
206. पैट्रोलियम पर आधारित उर्वरक कारखानों में पैट्रोलियम की खपत	Consumption of Petroleum by Petroleum Based Fertilizer Plants	6–9
207. रेलवे कर्मचारियों के विरूद्ध जनता की शिकायतों का निपटान	Disposal of Public Complaints against Railway Staff	9–11
208. पद्मा नदी द्वारा भूमि के कटाव के कारण हावड़ा–फरक्का रेलवे लाइन को खतरा	Threat to Howarh Farakka Railway Line due to Erosion caused by the Padma	11–12
211. बी० डी० आर० रेलवे (दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत) में दुर्घटना	Accident in BDR Railway (Under South East Railway)	12–14
12. ट्राम्बे स्थित बर्मा शैल शोधनशाला में बेकार पड़ी क्षमता	Idle Capacity in Burmah Sheel Refinery at Trombay	14–16
214. आन्दोलनो के दौरान रेलवे सम्पत्ति की रक्षा	Safeguatd of Railway Property during Agitations	16–18

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
201.	राज्यों के बीच जल विवाद	Water Dispute among States	18
202.	बरियागंज रेलवे) स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे विद्युतीकरण	Electrification of Daryaganj Railway Station (N.E. Railway)	18
209.	बिजली की कमी के संबंध में बिहार सरकार की योजना	Bihar Government's Scheme regarding Power Shortage	18
210.	राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अपर कृष्णा परियोजना	Upper Krishna Project as National Project	18–19
213.	ट्रंक मार्गों पर सवारी रेल गाड़ियो का धीमि गति से चलना	Slow Speed of Passenger Trains on Trunk Routes	19
215.	सियालदाह–बनगांव सैक्शन (पूर्वी रेलवे) में दोहरी लाईन के निर्माण के लिए अपील	Appeal for Construction of Double Line in Sealdah Bangaon Section (Eastern Railway)	19
216.	सिन्दरी में कथित कुप्रबन्ध	Allegedly Bad Management at Sindri	19–20
217.	लोक सभा और विधान सभाओं के लिये निर्वाचनों में अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया अपनाना	Adoption of System of Proportional Representation for Elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies	20
218.	चिकनाई वाले तेलों का उत्पादन	Production of Lubricating Oils	20–21
219.	पश्चिम रेलवे में चोरी की घटनाएं	Cases of Thefts on Western Railway	21
220.	सफदरजंग हवाई अड्डे पर ऊपरी पुल का निर्माण	Construction of Over Bridge at Safdarjang Airport	21
अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.			
2001.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सौदों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच	CBI Investigations into transactions of O. & N. G. C.	21–22
2002.	कम्पनियों द्वारा प्रचार-कार्यों पर व्यय	Expenses on Publicity Works by Companies	22
2003.	संकटग्रस्त मिलों के अल्पसंख्यक शेयर-धारियों को मुआवजा देना	Payment of Compensation to Minority Share Holders of Sick Mills	22
2004.	नेफ्था के विदेशी ठेकेदारों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही	Legal Action against Foreign Tenders of Naptha	22
2005.	वर्ष 1973-74 में केरल में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Kerala during 1973-74	23
2006.	फुर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड ट्रावनकोर में कर्मचारियों की संख्या	Number of Employees in Fertilizers and Chemicals Limited Travancore	23

ता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2007.	मध्य प्रदेश में अतिरिक्त एककों की स्थापना	Setting up of Additional Units in M.P.	23–24
2008,	उत्तरपूर्व सीमान्त रेलवे में अपराधों की घटनाएं	Incidents of Crimes on North East Frontier Railways	24
2009.	पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा ढोया गया माल	Goods handled by North Eastern Railway	24
2010.	राज्य विद्युत वोर्डों के समन्वय की योजनाएं	Plans for Co-ordination of State Electricity Boards	24–25
2011.	सिगनल और दूर संचार विभाग (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के छंटनी किए गए कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाना	Absorption of Retrenched Employees of S. and T. Department (South Eastern Railway)	25
2012.	आंध्र प्रदेश में आन्दोलनकारियों द्वारा दो रेलगाड़ियों को पटरी से उतार देना	Derailment of Two Trains by Agitators in Andhra Pradesh	25–26
2013.	कोरबा में एल्यूमिनियम स्मैल्टर प्लांट को चालू किया जाना तथा उसके लिए बिजली की सप्लाई	Commissioning of Aluminium Smelter Plant at Korba and Supply of Power therefor	26
2014.	रतलाम डिवीजन में कर्मचारियों की पदोन्नति/पदावनति/स्थानान्तरण	Promotion Reversion/Transfer of personal in Ratlam D-ivision	26–27
2015.	ठेकेदारों की गलती के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब	Delay in Completion of Projects due to fault of Contractors	27
2016.	टाटा बन्धुओ, बिड़ला बन्धुओं और साहू जैन के स्वामित्व की कम्पनियों का परिसमापन	Liquidation of Companies owned by Tatas, Birlas and Sahu Jain	27
2017.	विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना	Rise in Minimum Age for Marriage	28
2018.	मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) और पालामऊ (बिहार) में उर्वरक कारखाने के स्थापना	Setting up of Fertiliser Factory at Mirzapur, (Uttar Pradesh) and Palamau (Bihar)	28 28 28
2019.	मूल औषधियों की लागत में कमी करने के लिए कार्यवाही	Steps tahen to reduce the cost of Basic Drugs	29
2020	प्लास्टिक के सबंध में गोष्ठी	Seminar on Plastics	29
2021.	मंगलौर में नायलोन सयंत्र	Nylon Plant in Mangalore	29
2022.	थीन बांध के प्रश्न पर वार्ता करने के लिए उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Chief Ministers of Northern States to Discuss Thein Dam	29–30

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2023.	एकाधिकार आयोग को जानकारी देने में विलम्ब	Delay in furnishing information to Monopolies Commission	30
2024.	एकाधिकार आयोग के पास विचाराधीन मामले	Cases pending with Monopolies Commission	30
2025.	दक्षिण पूर्व रेलवे मैनों द्वारा हड़ताल के लिए मतदान करवाने का निर्णय	Strike Ballot Decision by South Eastern Railwaymen	31–32
2026.	मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supplies of Kerosone Oil to Madhya Pradesh	32
2027.	एकाधिकार गृहों की आस्तियों में वृद्धि	Increase in Assets of Monopoly Houses	32
2028.	मैसर्स ग्लोब मोटर्स, दिल्ली	M/s. Globe Motors, Delhi	32–33
2030.	आनन्द बाजार पत्रिका के नाम बकाया ऋण	Loan outstanding against Anand Bazar Patrika	33
2031.	बिहार में जाली कम्पनियां	Fake Companies in Bihar	33
2032.	शॉ वैलेस एण्ड कम्पनी के शेयरों की खरीद	Purchase of Shares of Shaw Wallace and Co.	33–34
2033.	शॉ वैलेस एण्ड कम्पनी के शेयरों की खरीद	Purchase of Shares of Shaw Wallace and Co.	34
2034.	सफदरजंग उपरि-पुल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री	Material used in construction of Safdarjang Over-Bridge	34–35
2035.	दिल्ली स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली से हावड़ा के लिए बुक की गई वस्तुओं को वास्तविक तोल से कम दिखाना	Investigation into Consignments booked underweight from Delhi Station to Howrah by Parcel Staff Delhi Main Station	35
2036.	फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर की कोचीन डिवीजन के दोषों के बारे में जांच	Inquiry into the defects of Cochin Division of fact	35–36
2037.	खराब इन्जनों के कारण वस्तुओं को लाने ले जाने में विलम्ब	Delay in Goods Traffic due to defective Engines	36
2038.	रेलवे में भ्रष्टाचार को समाप्त करना	Curbing Corruption in Railways	36–37
2039.	दो टायर में सोने की सीटों की पुष्टि होने पर उनके बदले में यात्रियों को बैठने की सीटों का आबंटन	Allotment of Seats instead of Sleepers to Passengers whose sleeping Accommodation in 2 Tier as Confirmed	37
2040.	पुनपुन नदी की बाढ़ से रक्षा के लिए बिहार के लिए योजना	Scheme for Bihar for Protection from floods in Punpun River	37–38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2041.	अस्पतालों में रेलवे के डाक्टरों द्वारा जीवन बचाने वाली दवाइयां देना	Prescription of Life Saving Drugs by Railway Doctors in Hospitals	38
2042.	रेल कर्मचारियों को स्नातक कक्षाओं तक शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति	Re-Imbursement of Tution Fees upto Degree Classes to Railway Employees	38–39
2043.	आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना के लिए सहायता	Assistanc for Nagarjun Sagar Pradesh	39
2044.	चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस की रेलवे कालौनी में बड़ी बड़ी सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Holding Mass Meeting in Railway Colony of Chittaranjan Locomotive Works	39-40
2045.	दिल्ली क्षेत्र (उत्तर रेलवे) में क्वार्टरों का निर्माण और उनका कर्मचारियों को आबंटन	Construction of Quarters and their Allotment to Employees in Delhi Area (Northern Railways),	40–41
2046.	रेलवे सेंट्रल अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई वाली द्वारा प्रसूति कराना	Handling of Delivery Cases by Safaiwali in Railway Central Hospital, New Delhi	40–41
2047.	दानापुर डिवीजन (पूर्व रेलवे) के पम्प ड्राइवरों को अतिरिक्त कार्य करने पर समयोपरि भत्ता देना	Overtime Allowance to Pump Drivers for Additional Duty Hours, Danapur Division (Eastern Railway)	41
2048.	दानापुर डिवीजन में गया रेलवे स्टेशन पर ऊपरि पुल	Over Bridge at Gaya Railway Station in Danapur Division	41
2049.	"संसद सदस्य द्वारा उर्वरक निगम के निदेशकों की कटु आलोचना"	M.Ps. Flay Fertiliser Corporation Directors	41–42
2050.	रेलवे अधिकारियों के प्रयोग के लिए "सेलून कारें"	Saloons for use of Railway Officers	42
2051.	पूर्वोत्तर रेलवे के गार्डों द्वारा नियमानुसारकार्य करने का नोटिस	Work to Rule Notice given by Guards of North Eastern Railway	42–43
2052.	कुकिंग गैस का उत्पादन बढ़ाने के उपाय	Steps to increase production of Cooking Gas	43–44
2053.	सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति या उनका पुनर्नियोजन	Re-appointment or Re-Employment of Retired Judges	44
2054.	रेलवे स्टेशनों पर अपराधों की रोक-थाम के लिए पर्याप्त पुलिस का न होना	Not enough Policemen to check crimes at Railway Stations	44–45
2055.	मथुरा तेल शोधक कारखाना	Mathura Oil Refinery	45
2056.	मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के इन्जन चालकों के विश्राम की अवधि	Period of Relaxation to Engine Crew of Mail/Express Trains	45

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2057.	पांचवें आम चुनाव के बारे में चुनाव आयोग का प्रतिवेदन	Election Commission's Report on the Fifth General Elections	46
2058.	फरवरी, 1973 में नई दिल्ली में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय रेल सम्मेलन	International Railway Confernce held in New Delhi in February, 1973	46
2059.	रेल गाड़ी के डिब्बों की हालतों के बारे में राय	Opinion on the conditions of Coachers	47
2060.	पंजाब में ताप बिजलीघर की स्थापना	Setting up of a Thermal Plant in Punjab	47
2061	जखपुरा-बंसपाणी रेल लाईन को खोलने का उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव	Orissa Government proposal for opening of Jakhapura Banspani Railway Line	47–48
2062.	उड़ीसा में खनन उद्योग को माल डिब्बों की सप्लाई के बारे में उड़ीसा सरकार का अभ्यावेदन	Orissa Government Representation for supply of Wagons to Mining Industry in Orissa	49
2063.	मालडिब्बों का निर्माण करने की क्षमता और उनकी आवश्यकता	Manufacturing capacity and requirement of Wagons	49–50
2064.	विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा गैर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण	Manufacture of non essential consumer goods by Foreign Drug Companies	50–51
2065.	सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में बनाये गये वैगनों की निर्माण लागत	Cost of Wagons manufactured in Public and Private Sectors	51–52
2066.	बंगलौर से तिरुपति तक ब्राड गेज लाइन	Broad Gauge line from Bangalore to Tirupati	52–53
2067.	गत तीन वर्षों में आरम्भ की गई तथा पूरी की गई बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं	Major and Medium Irrigation Projects taken up and completed during last 3 years	53
2068.	रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन	Production of Chemical Fertilizers	53–54
2069.	सम्बलपुर जिले में सिंचाई सुविधाओं के लिए विद्युत चालित पम्पिंग सैट	Power Pump Sets for Irrigation facilities in District Sambalpur	54
2070.	दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के स्ट्रेट ड्यूटी रोस्टर की क्रियान्विति	Implementation of stright duty Roster of Assistant Station Masters' Delhi Division (Northern Railway)	54
2071.	उत्तर रेलवे में असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टरों की 205-280 रूपये के स्टेशन मास्टर ग्रेड में पदोन्नति प्रणाली (कोर्स)	Course for promotion of ASM to S.M. Grade 205-280 on Northern Railway	54

अताअ० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2072.	आसाम में अशोधित तेल का उत्पादन	Production of Crude Oil in Assam	55
2073.	हसन से मंगलौर तक ब्राड गेज रेल लाइन	Broad Gauge Line from Hassan to Mangalore	55
2074.	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्त न्यायाधीश	Judges appointed in the Supreme Court and High Courts	56
2075.	आगामी तीन वर्षों में अधिक रेल सैक्शनों का विद्युतीकरण	More Railway Sections to be Electrified during next Three Years	56–57
2076.	समाज सेवा, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी के पास देना	Issue of Ist Class Railway Passes to Persons having interest in Social Services, Religious and Cultural Activities	57
2077.	काश्मीर घाटी में रेलवे लाइन	Railway Line in Kashmir Valley	57
2078.	बिहार की महानन्दा सिंचाई योजना पर कार्य	Work on Mahananda Irrigation Scheme in Bihar	57–58
2079.	बरौनी उर्वरक कारखाने में उत्पादन	Production at Barauni Fertilizer Factory	58
2080.	समस्तीपुर मंडल (उत्तर/पूर्व रेलवे) में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु 1971 और 1972 में हुई विभागीय परीक्षा का परिणाम	Result of Departmental Examination held in 1971 and 1972 for promotion from Class IV to Class III, Samastipur Division (North/Eastern Railway)	58
2081.	रेलवे स्टोर पैनल का बनाया जाना	Formation of Railway Stores Panel	58–59
2082.	कनिष्ठ न्याय पालिका की सेवा की शर्तों में सुधार	Improvement in the Terms and condition of Service of Junior Judiciary	59
2083.	रेलवे डिब्बों को नया रूप देना	Innovations in Railway Coaches	59–60
2084.	भारत में पेट्रोलियम और डीजल के अधिक मूल्य	Higher Prices of Petroleum and Diesel in India	60
2085.	विद्युत संयंत्रों का कार्य	Working of Power Plants	60
2086.	आन्दोलन के दौरान रेलगाड़ियों की अस्तव्यस्तता को दूर करने के लिए वैकल्पिक रेल मार्ग	Alternative Rail Routes to avoid dislocation during agitations	61
2087.	पांचवीं योजना में आंध्र प्रदेश की ओर से सिंचाई योजना	Irrigation Schemes for Fifth Plan by Andhra Pradesh	61
2088.	पेट्रोलियम आधारित उर्वरक संयंत्रों का उत्पादन	Output of Petroleum based Fertilizer Plants	61
2089.	तेल की खोज के लिये जोरदार अभियान	Intensified Drive for Oil Exploration	62

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2090.	माल यातायात के सम्बन्ध में रेल परिवहन और सड़क परिवहन के बीच समन्वय के बारे में हुई प्रगति	Progress made with regard to co-ordination between Railways and Roads Transport in Handling Goods Traffic	62–63
2091.	रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Railway Stations	63
2092.	रेलों में भीख मांगना बन्द करना	Elimination of Begging in Railways	63–64
2093.	भारतीय उर्वरक निगम को होल्डिंग कम्पनी में परिवर्तित करना	Conversion of FCI into a holding Company	64
2094.	गुजरात, आसाम और पंजाब में तेल भण्डार	Depsoits of Oil in Gujarat, Assam and Punjab	64
2095.	सिंचाई के लिए समुद्र के पानी का उपयोग	Sea Water for Irrigation Purposes	64–65
2096.	हैवी इलेक्ट्रीकल्स, भोपाल द्वारा गुजरात को जेनरेशन यूनिट की सप्लाई	Supply of Generation Unit of Heavy Electricals, Bhopal to Gujarat	65
2097.	दिल्ली से अहमदाबाद तक दोहरी लाइन	Double Track from Delhi to Ahmedabad	65
2098.	'डीजल कारें चालू करना	Introduction of Diesel Cars	65–66
2099.	पोंग बांध क्षेत्र के विस्थापितों को दिया गया मुआवजा	Compensation Paid to Oustees of Pong Dam	66
2100.	'मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट' (महानागरीय परिवहन परियोजना) कलकत्ता के 'मैंन्टेनैंस आर्गनाइजेशन, में 'रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन' के भूतपूर्व कर्मचारियों को लेना	Rehabilitation of Ex-Railway Electrification Staff in maintenance Organisation of M.T.P./Calcutta	66
2101.	बांकुरा दामोदर नदी रेलवे में रेलगाड़ी की असुरक्षित यात्री सेवाएं	Unsafe passenger service on Bankur Damodar River Railway	67
2102.	उड़ीसा में मझली सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन	Execution of medium irrigation and power projects in Orissa	67
2103.	रेलवे के कुलियों और वस्तु विक्रेताओं (वेन्डर्स) को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देना	Grant of Status of Class IV to Railway Porters and Vedors	67–68
2104.	रिहंद बांध पर उर्जा प्रजनन	Generation of energy at Rihand Dam	68
2105.	उत्तरी भारत में रेल लाइनों को दोहरा करना	Doubling of Railway lines in Northern India	68

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2106.	सिंध नदी के जल के संबंध में भारत–पाकिस्तान् सन्धि के अन्तर्गत 10 वर्षीय अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात सिन्ध नदी के जल का उपयोग	Utilisation of river waters after the expiry of ten year term under India-Pakistan Treaty on Indus Waters	69–70
2107.	राजस्थान में छोटी और मझली सिचाई योजनाएं	Small and Medium Irrigation schemes in Rajasthan	70
2108.	नेपाल द्वारा करनाली नदी पर पन-बिजली परियोजना का निर्माण	Construction of Hydro Electric Project on River Karnali Nepal	70–71
2109.	तत्कालीन शाहदरा-सहारनपुर लाईट रेलवे को पुन: आरम्भ करना तथा उसे ब्रांड गेज लाइन में बदलना	Revival of former S.S. Light Railway and its conversion into Broad Gauge	71
2110.	दुर्घटनाओं और पुलिस द्वारा गोली चलाने से मरे रेलवे श्रमिक और उनके परिवारों को अदा किया गया मुआवजा	Death of Railway workers due to Accidents and Police Firing and Compensation paid	
2111.	डाल्टनगंज-पटना बोगी को बम्बई मेल के साथ जोड़ना	Attachking the Dalonganj Patna bogie with Bombay mail	71–72
2112.	बरवाडीह और चिरीमिरी के बीच रेल लाइन को पूरा करना	Completion of Railway Line between Barwadih and Chirimiri	72
2113.	श्री एन० एम० मियांभाई की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision on Report of Tribunal headed by Shri N.M. Miabhay	72
2114.	उत्तर रेलवे के प्रधान कार्यालय के दावा और निवारण यूनिटों (कलैम्स एण्ड प्रिवेन्शन यूनिट्स) के अनुसचिवीय और गैर-अनुसचिवीय कर्मचारियों के कर्तव्यों में परिवर्तन	Change in duties of Ministerial and non Ministerial Staff in Claims and Prevention Units of Headquarters Office (Northern Railways)	73
2115.	गोआ की सीलौलिम सिचाई परियोजना का निष्पादन	Execution of Sealaulim Irrigation Project in Goa	73
2116.	वर्ष 1970, 1971 और 1972 के दौरान हिन्दी में अनुदित कानून की पुस्तकें	Law Books translated into Hindi during 1970, 1971 and 1972	73
2117.	जैसलमेर, राजस्थान में तेल अथवा गैस की खोज	Locating of Oil or Gas in Jaisalmer, Rajasthan	73–74

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2118.	रेलवे सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही	Acttion against persons who damaged Railway Property	74
2119.	द्वितीय श्रेणी के डिब्बे हटाने के कारण तृतीय श्रेणी में भीड़	Congestion in Third Class due to Abolition of Second Class compartments	74
2120.	पाँचवीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें	New Railway Lines in Madhya Pradesh during Fifth Plan period	74
2121.	दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़ भाड़	Congestion on Delhi and New Delhi Railway Stations	75
2122.	अलबाई और चेब्बरा के बीच रेलवे पुल संख्या 175 और 176 के साथ साथ फुटपाथ बनाना	Footpath alongside Railway Bridqes No. 175 and 176 between Alwayae and Chauvara	75
2123.	केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं के लिये विद्युत प्रजनन बोर्ड की स्थापना	Setting up of a Power Generation Board for Central Power Projects	75–76
2124.	चल (फ्लोटिंग) बिजली घरों की स्थापना	Setting up of Floating Power Stations	76–77
2125.	दिल्ली से अहमदाबाद तक राजधानी एक्सप्रैस	Rajdhani Express from Delhi to Ahmedabad	77
2126.	लोकोमोटिव की गति तथा शक्ति का नियंत्रण करने के लिए स्वदेशी इलैक्ट्रानिक पद्धति	Indigenous Electronic System for Controling Locomotive Speed and Power	77
2127.	रतलाम डिवीजन के गरोट रेलवे स्टेशन पर बिजली तथा टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था करना	Provision of Electvicity and Telephone at Garot Ratlam Division	77
2128.	गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा बाजार में बेस आँयल की बिक्री	Sale of Base Oil in Market by Private Companies	78
2129.	भारतीय नौवहन निगम द्वारा भारतीय तेल निगम का माल न ले जाया जाना	I.O.C Cargo by Shipping Corporation of India	78
2130.	दिल्ली में मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil in Delhi	78
2131.	दिल्ली के लिए जलाने का कोयला (साफ्ट कोक) ढोने के लिए वैगनों की मांग	Demand of Wagons for Transportation of Soft Coke flor Delhi	78–79
2132.	विद्युत संयंत्रों की आयोजना और निष्पादन के क्षेत्र में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कृत्य	Functions of Central Water and Power Commission in the field of Planning and Execution of Power Plants	79

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2133.	उर्वरकों के लिए तेल के मूल्यों में कमी लाना	Bringing down Oil Prices for Fertiliser	79-80
2134.	फालतू बिजली वाले राज्यों से बिजली की सप्लाई करना	Diversion of Power Supply from Surplus States	80
2135.	दिल्ली न्यायालय में लम्बित मामले	Cases pending with Delhi Courts	80-81
2136.	रेलवे डाक सेवा डिब्बों, और पार्सल डिब्बों के लिए अलग तेज गति की गाड़ियां चलाना	Separate fast trains for RMS vans and parcel vans	81
2137.	खूर्दा रोड़ डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में गैंगमैन के स्थायी पद बनाना	Creation of permanent posts of Gangmen in Khurda Road Division (South Eastern Railway)	81
2138.	दक्षिण पूर्व रेलवे के फ्लैग स्टेशनों के एजेन्टों को टिकटों की बिक्री पर दी जाने वाली कमीशन की दर का पुनरीक्षण	Revision in rate of Commission to Agents of Flag Stations of South Eastern Railway for Sale of Tickets	82
2139.	उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी की बाढ़ नियंत्रण योजना सम्बन्धी परियीजना	Project on Flood Control Scheme for Subernarekha River in Orissa	82
2140.	सुवर्ण रेखा और बुराबालांग नदी बेसिन में अनेक नलकूप लगाने का कार्यक्रम बनाने और भूमिगत पानी के लिए सर्वेक्षण	Cluster Programme of Tube Wells and Survey for under ground water in Subernarekha Burabalang River Basin	82-83
2141.	सरकार को रेलवे स्टेशनों पर बुक-स्टाल फर्मों से हुआ लाभ	Revenue earned by Government from Book Stalls at Railway Stations	83
2142.	फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का आयात	Import of Crude Oil from Persian Gulf	83
2143.	जन आन्दोलन के कारण रेल कर्मचारियो की मृत्यु	Death of Railway workers in Public Agitation	83-84
2144.	लाईट डीजल आयल की सप्लाई	Supply of Light Diesel Oil	84
2145.	दक्षिण मध्य रेलवे (दक्षिण रेलवे के) सिगनल और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के परिणाम स्वरूप जन-दिवसो की हानि	Man days lost due to strike by workers of Signal and Telecommunication Department of South Central Railway (Southern Railway)	84
2146.	अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के मूल्यों में वृद्धि के प्रवृति	Upward Trend in Oil Prices in International Market	84-85
2147.	राष्ट्रीय न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना	Establishment of National Academy of Judical Training	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृ०/PAGE
2148.	पूर्वी रेलवे द्वारा बढ़े हुए माल यातायात के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता	Additional Facilities rcquired by Eastern Railway to handle increase in Goods Traffic	85
2149.	उड़ीसा की महानदी और ल्यूना चित्रोथपला सिंचाई योजनाओं के लिए सहायता	Assistance to Mahanadi and Luna Chitrothpala Irrigation Schemes for Orissa	85–86
2150.	भिलाई स्थित इलैक्ट्रिक लोकोशैड़ (दक्षिण पूर्वी रेलवे) में कर्मचारियों संबंधी मामलों में अनियमिततायें	Irregularities in Staff Matters in Electric Loco Shed at Bhilai (South Eastern Railway)	86
2151.	दक्षिण पूर्वी रेलवे (विद्युतीकरण) के कर्मचारियों को 'लियन' प्रदान करना	Grant of Lien to Staff of South Eastern Railway (Electrification)	86–87
2152.	तापीय विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई	Supply of Coal to Thermal Powe Station	87
2153.	बाढ़ नियंत्रण उपाय	Flood control Measures	
2154.	कच्चे तेल का आयात करने के लिये विदेशी तेल कम्पनियों को विदेशी मुद्रा देना	Release of Foreign Exchange to Foreign Oil Companies for Import of Crude	88
2155.	मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिये पास तथा पी० टी० ओ० धारियों के लिये कोटा	Quota for Pass and P.T.O. Holders for Mail/Express Trains	88–89
2156.	रेलवे में श्रम संबंधों में सुधार करने हेतु नई व्यवस्था	New Machinery to improve Labour Relations in Railways	89
2157.	केरल में परियोजनाओं की पूर्ति के लिए निधियां	Funds for completion of Projects in Kerala	89
2158.	रूपसा-तलबन्द लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित करना	Conversion of Rupsa Talband Line into Broad Gauge	90
2159.	उड़ीसा में अपर इन्द्रावती परियोजना की क्रियान्विति	Execution of Upper Indravati Project in Orissa	90
2160.	बिजली घरों के लिये आवश्यक ठण्डा जल (कूलिंग वाटर)	Cold water required for Power Stations	90
2161.	बिजली घरों द्वारा जल का उपयोग	Utilisation of Water by Power Houses	91–92
2162.	बिजली घरों के लिये फालतू पुर्जो का न मिलना	Non availability of Spare Parts for Power Houses	92
2163.	सरकारी क्षेत्र के बिजलीघरों की कोयले तथा तेल की आवश्यकता	Coal and oil requirements for Public Sector Power Houses	92–93

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2164.	विद्युत प्रजनन	Generation of Power	93–94
2165.	बदरपुर तापीय बिजली परियोजना को पूरा करने के लिये उत्तर दायी ठेकेदार	Contractors responsible for completion of Badarpur Thermal Power Project	94–95
2166.	जल-परियोजनाओं के विकास हेतु उपयुक्त स्थानों का चयन करने के लिये सर्वेक्षण	Survey for location of potential sites for development of Hydro Projects	95
2167.	बिजलीघरों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सलाहकारों के दो दलो का गठन	Setting up of two groups of consultants to improve the performance of power Stations	95–96
2168.	जयन्ती एक्सप्रेस में उपलब्ध सुविधाओं की व्यवस्था का अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों में भी किया जाना	Amenties in Jayanti Exprcss to be provided in other Express trains	96
2169.	बीना बम्बई जनता एक्सप्रैस रेलगाड़ी को लखनऊ तक चलाना	Extension of Bina Bombay Janta Express upto Lucknow	96–97
2170.	रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय रेलवे समय सारिणी के प्रकाशन पर किया गया व्यय	Expenditure incurred by Railway Board on Publication of All India Railway Time Table	97
2171.	'स्टाफ एमेनिटी' और 'रेलवे यूजर्स एमेनिटी' शीर्षकों के अन्तर्गत दिये गये धन का उपयोग न करना	Non utilisation of funds provided under staff amenities and Railway users amentities Heads	97
2172.	डाक गाड़ियों की गति बढ़ाने की योजना	Scheme for inrceasing speed of Mail trains	79
2173.	रेलगाड़ियों के डिब्बों के विभिन्न दर्जे	Number of Classes of Compartments in Railway Trains	97
2174.	बदरपुर तापीय बिजलीधर का निर्माण	Construction of Badarpur Thermal Power Stations	98
2175.	पतरातू तापीय विद्युत संयंत्र का विस्तार	Extension of Patratu Thermal Power Plant	98–99
2176.	रेलगाड़ियों की गति बढ़ाना	Speeding up of Trains	99
2177.	डिब्बे बनाने में आत्म निर्भरता	Self Sufficiency in Coach Building	99
2178.	बिहार में पैट्रोल पम्पों को खोलना	Opening of petrol pumps in Bihar	99–100
2179.	बोकारों तापीय बिजली घर	Bokaro Thermal Power Station	100
2180.	पांच वर्ष से अधिक की सेवा वाले पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना	Confirmation of employees having served for more than Five Years (Northern Eastern Railway)	100–101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2181.	पश्चिम रेलवे में एस० एण्ड टी० इन्स्पेक्टरों की कोटे से अधिक भर्ती	Recruitment of S & T Inspectors excess of Quota (Western Railway)	101
2182.	पश्चिम रेलवे में ए० एस० टी० ई० (श्रेणी-2) के चयन का परिणाम	Result of Selection of ASTEs (Class II) Western Railway	101
2183.	पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्रों में रेलवे विकास योजनाओं का निष्पादन	Execution of Development schemes of Railway in Sunderban areas of West Bengal	102
2184.	धार्मिक तथा अन्य समारोहों के लिये बिजली सप्लाई करना	Power for religious and other functions	102
2185.	कम पनबिजली उत्पादन के कारण तापीय बिजलीघरो का सुचारू रूप से कार्य न करना	Inefficient working of Thermal Station due to lower hydel generation	102–103
2186.	आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा तटदूर तेल की खोज	Off-shore oil exploration by Oil India Ltd.	103
2187.	टिकट ट्यूबों और ब्लैंक पेपर टिकटों के संबंध में रेलवे बुकिंग क्लर्कों द्वारा चार्ज लेने और देने संबंधी नियम	Rules for taking over and making over charge by booking clerks for ticket tubes and blank paper tickets	103–104
2188.	जन साधारण/व्यापारियों के साथ करार करने के लिये विभिन्न अधिकारियो को प्राप्त शक्तियां	Schedule of Powers vested with different officers for entering into contract with Public/Traders	104
2189.	रेलवे कर्मचारियों का नियतकालिक स्थानान्तरण	Periodical transfers of Railway employees	104
2190.	श्रेणी तीन के वैकल्पिक नियुक्ति हेतु वरीयता के लिये पूर्व सेवा की गणना	Weightage of service for seniority purposes for absorption in alternative appointment in Class III posts	104–105
2191.	फरक्का बांध योजना के अन्तर्गत बाढ नियत्रण बांध का निर्माण पूरा होना	Completion of protective flood control bunds under Farakka Barrage Scheme	105
2192.	फरक्का से नीचे की ओर गंगा नदी द्वारा भूमि के कटावों का भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग द्वारा अध्ययन	Study of erosion of Ganga down stream Farakka by Indo Bangladesh Joint River Commission	105
2193.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम चाय कम्पनी की सम्पत्ति की खरीद के बारे में जांच	Probe into purchase of Property of Assam Tea Company by O & NGC	106
2194.	अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार न चलने वाले तेल शोधक कारखाने	Oil Refineries not working to the installed capacity	106–107

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
2195.	पंजाब में किसानों द्वारा बिजली घर पर हमला करने के फलस्वरूप राजस्थान को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई का रोका जाना	Stoppage of supply of Power to Rajasthan as a result of raid by farmers on Power House in Punjab	107
2196.	दिल्ली में बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए योजना	Schemes undertaken to augment power suppiy in Delhi	107–108
2197.	गैर सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश	New investment in the Private Sector	108
2198.	बिजली का उत्पादन करने वाले सेटो का आयात	Import of Power generating sets	108
2199.	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अधिकारी संस्था को मान्यता देना	Recognition of Officers Association by Fertiliser Corporation of India	108
2200.	भारतीय उर्वरक निगम में बट्टे खाते डाली गई राशि	Bad Debts in FCI	108–109
	अविलम्नीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Inportance	109–116
	कागली (बिहार) में कोयला खान कामगारो पर गोली चलाये जाने के परीणाम स्वरूप कामगारो के मारे जाने का समाचार	Reported death of four colliery workers in firing at Kargali (Bihar)	
	श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Haldar	
	श्री एम० मोहन कुमार मंगलम	Shri S. Mohan Kumar Mangalam	
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	117
	प्राक्कलन समिति तीसवां प्रतिवेदन	Estimates Committee Thiryteth Report	117
	लोक लेखा समिति 69 वां प्रतिवेदन	Public Accounts Committee Sixty nineth Report	117
	अनुदानो की अनुपूरक मांगें (सामान्य-1972-73)	Supplementary Demands for Grants (General) 1972-73	118
	विवरण प्रस्तुत किया गया	Statment presented	
	नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	
	त्रिपुरा में राशन की दुकानो को अनाज की कम सप्लाई	Short supply of foodgrains to ration shops in Tripura	118
	स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक	Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill	118–119

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	
श्री भोला पासवान शास्त्री	Shri Bhola Paswan Shastri	
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya	
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirana	
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan	
श्री नारायण चन्द्र पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	
श्री आर० आर० शर्मा	Shri R. R. Sharma	
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Increase in prices of Foodstuffs and other Essential commodities	124–134
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Das Chowdhury	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M Patel	
श्री श्याम सुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	
श्री श्याम नन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan	
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	
रेलवे बजट, 1973-74 सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1973-74 General Discussion	134–137
श्री मौहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	
श्री कमल मिश्र मधुकर	Shri K. M. Madhukar	
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	Shri R. P. Yadav	
कार्य मंत्रणा समिति पच्चीसवां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Twenty-fifth Report	

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 6 मार्च, 1973/15 फाल्गुन, 1894 (शक)
Tuesday, March 6, 1973 Phalguna 15, 1894 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

केरल के लिए 37 करोड रूपये की रेलवे परियोजनाएं

*203 **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हाल ही में केरल के लिए 37 करोड़ रूपये के व्यय की अनेक परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मौहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें केरल राज्य में अभी हाल में स्वीकृत / अनुमोदित निर्माण-कार्यों का ब्योरा दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	काम का ब्यौरा	दूरी (कि० मी० में)	(करोड़ रूपयों में) लागत रुपये	स्वीकृति की तारीख
1.	कन्याकुमारी तक एक शाखा लाइन सहित नागरकोयल के रास्ते तिरुनेलवेलि से तिरुवनन्तपुरम तक बड़ी लाइन	164.02 (केरल राज्य में लम्बाई लगभग 30 कि० मी०)	14.45 (केरल में निर्माण-कार्य की अनुमानित लागत लगभग 2.75 करोड़ रूपये)	12-4-72
2.	एर्णाकुलम-तिरुवनन्तपुरम खण्ड-मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	220.14	13.60	20-12-71

3. मदुवकरै-कांजीकांड दोहरी लाइन के वालयार-कांजीकांड भाग में दोहरी लाइन बिछाना	12.35 —	1.20 (लगभग)	17-10-69
4. कांजीकॉड और ओलवक्कांड के बीच दोहरी लाइन बिछाना	13.64	1.17	10-6-71
5. अलवाय-एर्णाकुलम	19.50	1.95	4-7-69
6- मुल्लूरकरा-वडकाचोरि और पुदुवकाड-इरिजालक्कुडा के बीच दोहरी लाइन बिछाना	18.00	2.23	16-8-72
7. ओलवककोड-शेरुवण्णूर के बीच दोहरी लाइन बिछाना	44.20	3.50 —	1973-74 के लिए अनुमोदित
8. शेरुवण्णूर-अलवाय खण्ड पर शेष इकहरी लाईन का भाग	68.85 —	6.95	०
9. (i) ओलवक्कोड-तिरुच्चि-सेलम और (ii) ओलवक्कांड-इरोड खण्डों के बीच यू० एच० एफ० ठोकर सम्पर्क लाइन की व्यवस्था (केवल ओलवक्कोड केरल राज्य में है, अन्य स्टेशन तामिलनाडू में हैं)।		8.3	०

श्री वयालार रवि : विवरण से तथ्यों का पता नही चलता है। यह संख्या 7, 8 और 9 जो 1973-74 के लिये स्वीकृत की गई हैं वास्तव में पुरानी योजनाएं हैं नई नहीं हैं। क्या यह सच है कि गत 25 वर्षों में एर्नाकुलम क्विलोन लाइन के अतिरिक्त केरल में अन्य किसी लाइन की मन्जूरी नही दी गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार केरल की जनता की इस मांग पर विचार करेगी कि एर्लप्पी होकर कायां कुलम से एर्ना कुलम तक नई लाइन बनाई जाए।

श्री मुहम्मद शरीफ कुरेशी : मेरे विचार से गत 25 वर्षों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न केरल के लिये मन्जूर की गई उन परियोजनाओं से सम्बन्धित हैं जिन्हें सरकार आरम्भ करेगी इनका सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया जा रहा है। सर्वेक्षण प्रतिवेदन मिलने के पश्चात उनका अध्ययन किया जाएगा तथा जिन लाइनों को लाभ प्रद और अन्य प्रकार से व्यवहार्य पाया जाएगा उन्हें बनाने का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

श्री वयालार रवि : महोदय ! मेरा प्रश्न यह हैं कि क्या रेलवे बोर्ड ने हाल में कुछ योजनाएं को स्वीकृति दी है। विवरण में 1969-70 आदि में स्वीकृत योजनाओं का उल्लेख किया गया है। 1973-74 के बारे में एक लाइन को दोहरी लाइन बनाए जाने के कार्यक्रम के अतिरिक्त और कुछ नही बताया गया है जिसकी मन्जूरी कई वर्ष पूर्व दी गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार केरल में कम से कम माल डिब्बा बनाने के एक कारखाने की स्थापना पर विचार करेगी ?

श्री मुहम्मद शरीफ कुरेशी : सरकार के विचाराधीन इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण में नितान्त असंतोषजनक तथ्यों का उल्लेख किया गया है । इसी बात को ध्यान में रखते हुये क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भविष्य में केरल में कुछ नई रेलवे लाइनें बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? उन्होने कहा है कि यदि इन्हें आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य पाया गया तो लाइनें बनाई जाएगी । गत 25 वर्षों से ऐसा कुछ नहीं किया गया है । क्या सरकार कम से कम पाँचवी योजना में केरल में कुछ नई रेलवे लाइन बनाएगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे योजनाओं पर राज्य को आधार मानकर विचार नहीं किया जाता । माननीय मित्र ने केरल में रेलवे लाइनों के बारे में उल्लेख किया है तथा जानना चाहा है कि क्या राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है । आर्थिक तथा अन्य बातों से सम्बन्धित अध्ययनों के पूरा होने पर यदि उस क्षेत्र के विकास के लिये किसी लाइन का बनाया जाना आवश्यक पाया गया तो उसे अवश्य बनाया जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री लकधा मैसूर को केरल से मिलाना चाहते हैं ?

श्री के० लकप्पा : महोदय रेलवे लाइन ही देश के विभिन्न भागों को परस्पर जोड़ती हैं । क्या केरल में रेलवे परियोजनाओं के लिये प्रस्तावित 37 करोड़ रुपयों का व्यय वहाँ पर अपेक्षित रेलवे लाइनों तथा जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह कहना बहुत कठिन है । किन्तु हमारा विचार उस राज्य की आर्थिक तथा विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने का है।

श्री के० लकप्पा : केरल में रेलवे लाइनों पर 37 करोड़ रूपया खर्च करने के बाद वहाँ रेलवे लाइनों के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने अपना प्रश्न पूरी तरह बदल दिया है ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इससे उस क्षेत्र की सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी ।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : दक्षिण रेलवे के कुल 11 प्रतिशत लाभ का 30 प्रतिशत लाभ केरल की रेलवे लाइनों से होता हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री महोदय केरल में नई रेलवे लाइनें बिछाने के बारे में अनुकूल विचार करेंगे ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : गत पाँच वर्षों मे केरल में कितनी रेलवे लाइनें बनाई गई हैं तथा उनकी कुल लम्बाई कितनी है ?

श्री मुहम्मद शरीफ कुरेशी : विवरण में उन परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है जिन्हें गत पाँच वर्षों में आरम्भ किया गया था । इन परियोजनाओं पर लगभग 37 करोड़ रूपया व्यय होगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केरल में नई रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई कितनी है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस प्रश्न के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

Provision of Retiring Rooms at Saharanpur and Roorkee

***204 Shri Mulki Raj Saini :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Retiring Rooms have not been provided at Saharanpur and Roorkee Railway Siations;

(b) whether some new rooms have recently been constructed at Saharanpur Railway Station; and

(c) if so, whether Government propose to convert them into Retiring Rooms ?

THE DY. MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS

रेल मंत्रालय में उपमंत्री Shri Mohd. Shafi Qureshi :

(a) Retiring Rooms have not been provided at Saharanpur and Rookee Railway Stations.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Shri Mulki Raj Saini : Mr. Speaker, Sir, I have come to know that some rooms are vacant in Saharanpur but undesirable elements have been utilising them for gambling and speculative trade. May I know whether hon. Minister would look into this matter again and make arrangements to ensure proper utilisation of those rooms in the form of retiring rooms ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : If the information available with the hon. Member is correct, proper utilisation of those rooms would be ensured.

Shri Mulki Raj Saini : In view of the increased population and the existence of University, Cantonment, C. B. R. I. Centre and several other research centres in Roorkee will hon. Minister provide retiring rooms in Roorkee ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : A programme for constructing a dormitory consisting of six beds one single bedroom, and two double bedroom in Roorkee has already envisaged for 1974—75.

Shri R P. Yadav : Is he aware of the fact that the charts showing the details of the goods provided to the passengers are not available to them as a result of which passengers do not know the items to be supplied to them. I personally know that they are not given any item. May I know whether steps would be taken to provide chart of the items so that Passengers have knowledge of items to be provided to them ? Will he also ensure actual supply of those items ?

Mr Speaker : It is a general question.

Shri R. P. Yadav : It is connected with retiring rooms.

Mr. Speaker : When there is no retiring room where would chart be kept ?

Shri R. P. Yadav : I want to know whether hon. Minister is aware of it.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It is good suggestion. Chart would be provided.

बिजली के संकट के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश द्वारा भेजी गई योजना

***205 श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और सिंचाई मंत्री ने उत्तर प्रदेश में बिजली के संकट का सामना करने के लिए एक योजना भेजी है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र इस संबंध में राज्य सरकार को सहायता देने पर सहमत हो गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी को रा करने के लिए कोई विस्तृत योजना प्राप्त नहीं हुई है । उत्तर प्रदेश के वित्त तथा विद्युत मंत्री से उत्तर प्रदेश में शीघ्र ही 25–25 मैगावाट के 4 टर्बाइनों के प्रतिष्ठापन के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी : 400 मैगावाट बिजली के उत्पादन के लिये जेनरेटरों और टर्बाइनों के आयात के लिये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में ध्यान दिलाने वाली सूचना में उठाये गये प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि यह मामला विचाराधीन है तथा इस पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय किया जाएगा। क्या इस पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और यदि नहीं तो उत्तर प्रदेश में गम्भीर बिजली संकट के समय इस बारे में असाधारण विलम्ब के क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता होती है कि 400 मैंगावाट बिजली का उत्पादन करने के लिये दो मशीनों के आयात पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है तथा इसकी अनुमति दे दी गई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या समूचे राज्य में, जहाँ औद्योगिक कारखाने आधी क्षमता पर कार्य कर रहे हैं, गम्भीर बिजली संकट को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने कोई वित्तीय सहायता मांगी है और यदि हाँ, तो हम कठिनाई को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

डा० के० एल० राव : यह सच है कि उत्तर प्रदेश को 30 लाख किलोवाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन करना है जिससे बिजली की कमी को पूरा किया जा सके तथा पांचवी योजना में इसकी मांग को पूरा किया जा सके। इस कार्य के लिये उसे लगभग 600 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। मेरे विचार से उनकी योजना में इसकी व्यवस्था नहीं होगी। अतः इस प्रश्न का भविष्य में पुनः विचार करना होगा। अभी तक इस बारे में कुछ तय नहीं किया गया है। किन्तु बिजली सम्बन्धी उनकी मांग को पूरा करने के लिये उत्तर प्रदेश को अधिक वित्तीय सहायता दिया जाना आवश्यक हो सकता हैं ।

Shri Narendra Singh Bisht : May I know the present position of the proposal to set up Atomic Power Station at Naraura in Bulandshahar in order to overecome power crisis in Uttar Pradesh ? Power problem of Uttar Pradesh will be solved if this station is constructed. I want to know the latest position in this regard.

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य को यह प्रश्न परमाणु ऊर्जा विभाग से पूछना चाहिये, जहाँ तक मुझे ज्ञात है वह अब भी प्रारम्भिक स्थिति में है। बिजली उत्पादन आरम्भ करने के लिये इस परियोजना को अभी लगभग 8—10 वर्ष और चाहिये । अतः बिजली की वर्तमान कमी को किसी अन्य साधनों से पूरा करना होगा ।

Shri Jharkhande Rai : May I know whether the hon. Minister is aware of the suggestion made by the Atomic Energy Advisory Committee of the members of Parliament to advise the Prime Minister in the last meeting held on 29th January, regarding need of (1) setting—up small power plants, (2) paying special attention to thermal power, (3) early completion of Naraura Atomic Power Plant and (4) constructing of 5,000 M.W Thermal Power Plant at the districts of Mirzapur at the border of U. P. and M. P. near Singareli Coal Mines where large deposits of coal have been explored and if so, the action being taken by the Department of Power and the time to be taken to implement all these schemes ?

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैंने निवेदन किया है उत्तर प्रदेश की पांचवी योजना के दौरान अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिये 30 लाख किलोवाट अतिरिक्त विजली की आवश्यकता होगी। हमारे लिये परियोजनाओं का निर्माण करना है। इसके साथ–साथ दो परियोजनाएं और हैं, एक झांसी में और दूसरी गोरखपुर में इनको अभी मन्जूरी देनी है। उत्तर प्रदेश में चालू विद्युत कार्यों के लिये भारी धन राशि मन्जूर की गई है जिससे विजली केन्द्रों का निर्माण किया जा सकता है।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्युली : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि उत्तर प्रदेश में बिजली संकट का एक कारण यह भी है कि तकनीशियनों और नौकरशाहों में पारस्परिक वैमनस्य हैं, और यदि हाँ, तो हम समस्या को सुलझाने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

डा० के० एल० राव : वास्तव में मुझे माननीय सदस्य की बात समझ में नहीं आई। यदि उनका आशय राज्य बिजली बोर्ड में कुछ परिवर्तनो से है तो वह किया जा रहा है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has issued orders for setting up of a new power plant in our State. I am thankful to him for that. May I know the immediate steps to be taken by the Government to meet the shortage of power in our State as a result of which all the farmers are facing difficulties and along with the other factories a large opium factory is closed resulting in heavy loss of foreign exchange ?

Mr. Speaker : Original question is related to the proposal of the Chief Minister and you have referred to an opium factory.

Shri Sarjoo Pandey : It is closed due to the shortage of power.

Shri Narsingh Narain Pandey : May I know whether the hon. Minister is aware of the recommendations made by the Central Power Commission under the Chairmanship of Power Minister of Uttar Pradesh regarding the steps to minimise the Power shortage in Uttar Pradesh, and if so, the steps taken and proposed to be taken to solve this problem ?

डा० के० एल० राव : वह समिति बिजली की कमी के बारे में नहीं बनाई गई वरन यह इस बात का पता लगाने के लिये बनाई गई है कि क्या अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिये हमें विदेशो से कुछ उपकरणों का आयात करना चाहिये। समिति हम पर विचार कर रही है।

पेट्रोलियम पर आधारित उर्वरक कारखानों में पेट्रोलियम की खपत

***206 श्री रेणुपत दास :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोलियम पर आधारित सभी वर्तमान कारखानों द्वारा काम शुरू किये जाने पर सभी कारखानों में प्रति वर्ष पैट्रोलियम की कितनी खपत होने लगेगी; और

(ख) पेट्रोलियम की आवश्यकता का कितने प्रतिशत आयात द्वारा पूरा किया जायेगा।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुवा) : (क) पेट्रोलियम पर आधारित उर्वरक संयंत्रों जो या तो इस समय कार्य कर रहे हैं अथवा निर्माण/स्थितरता की विभिन्न इन चरणों में हैं के लिए या तो उर्वरक संभरण सामग्री के रूप में अथवा ईंधन के रूप में प्रयोग के लिये पेट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक आवश्यकता पाँचवी योजना के अन्त तक 3.9 मिलियन मोटरी टन अनुमानित है ।

(ख) 1978–79 तक शोधनक्षमता के विस्तार के लिये तैयार की जा रही योजनाओं के संदर्भ में यह आशा है कि आवश्यकताएं न्यूनाधिक रूप में देशीय उत्पादन से पूरी की जायेंगी ।

श्री रेणुपद दास : पेट्रोलियम की अधिक खपत और उसके आयात को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या रेलवे, सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी संस्थानों द्वारा की जा रही पेट्रोलियम की खपत पर रोक लगाकर इसे न्यूनतम किया जा सकेगा ।

श्री डी० के० बरूआ : हमारी योजना वर्ष 1978 तक लगभग 25 लाख टन पेट्रोलियम का उत्पादन करने की है । इसके लिये हमें अधिक तेलशोधन क्षमता की आवश्यकता होगी । अतः उर्वरक संयंत्र के लिये पेट्रोलियम उत्पादों पर रोक लगाने के बारे में स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है । लेकिन हम उर्वरकों के लिये कोयले जैसे वैकल्पिक साधनों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं । वास्तव में कोयले पर आधारित तीन कारखानों की पहले ही मन्जूरी दी जा चुकी है और दो के बारे में निर्माण कार्य आरम्भ भी हो चुका है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रश्न पेट्रोलियम की खपत पर रोक लगाने का है ।

श्री डी० के० बरूआ : पेट्रोलियम की खपत पर इसलिये रोक लगाना कठिन है क्योंकि उसकी मांग दिन प्रति दिन बहुत अधिक बढ़ रही हैं । लेकिन जैसाकि मैंने उल्लेख किया है यदि उर्वरको के लिये कुछ वैकल्पिक साधनों का पता लगाया जा सका तो वह राष्ट्र के हित में होगा ।

श्री रेणुपद दास : कृपा करके यह बतायें कि 1969-70 से वर्षवार कितनी मात्रा में पेट्रोलियम का आयात किया गया है और क्या आयात की मात्रा में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे सरकार को अधिक से अधिक विदेशी पेट्रोलियम संभरकों पर निर्भर करना पड़ता है ।

श्री डी० के० बरूआ : क्या ऐसा उर्वरकों अथवा पेट्रोलियम उत्पादों के 'फीड स्टाक' के बारे में है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कुल कितना ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के उत्पाद ।

श्री डी० के० बरूआ : जहां तक पेट्रोलियम उत्पादों का सम्बन्ध है इसमें अधिक वृद्धि नहीं हुई है लेकिन जहां तक अशोधित तेल का सम्बन्ध है इसमें निश्चित रूप से वृद्धि हुई है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : माननीय सदस्य ने अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के वर्षवार आंकड़ों के बारे में पूछा था ।

श्री डी० के० बरुआ : आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री पी० गंगा देव : क्या सरकार ने नैफ्था और अमोनिया का आयात करने के लाभ के तुलनात्मक आँकड़े तैयार किये हैं और यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ।

श्री डी० के० बरुआ : इस बारे में नई नीति है । समस्त उर्वरक कारखानों को नैफ्था पर आधारित न रहकर ईंधन तेल पर आधारित रहना चाहिये । जहाँ तक ईन्धन तेल का संबंध है हम इसका अधिक उपयोग नहीं कर रहे हैं । लेकिन नये तेल शोधक कारखानों में अधिकतर तेल का ही उपयोग होगा मेरे पास नैफ्था और अमोनिया के बारे में आकड़े नहीं है लेकिन नैफ्था का प्रयोग निश्चित रूप से बहुत अधिक खर्चीला है । इसका प्रयोग ईन्धन तेल की तुलना में दुगना मंहगा है ।

श्री भगवत झा आजाद : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर यह है कि उर्वरक फीड स्टाक और उर्वरक संयंत्रों के लिये ईन्धन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले पैट्रोलियम उत्पादों की वार्षिक आवश्यकता 39 लाख टन हैं और उक्त आवश्यकता सब वर्तमान कारखानों के चालू होने पर पूरी हो जायेगी । लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि इस मंत्रालय में अधिकांश परियोजनाएं निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही हैं । ऐसा न केवल कुछ वर्षों से हो रहा है बल्कि दसियो वर्षों से ऐसा हो रहा है । क्या सब परियोजनाओं के आरम्भ होने के बाद इस सम्बन्ध में सब आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी और इस संबन्ध में क्या सावधानी बरती गई है ।

श्री डी० के० बरुआ : वास्तव में कुछ परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है लेकिन दस वर्षों से नहीं । जहां तक दुर्गापुर परियोजना का सम्बन्ध है उसमे शीघ्र ही काम आरम्भ होने वाला है । कोचीन परियोजना में भी मामूली सी कठिनाई है और आशा है कि शीघ्र काम आरम्भ हो जायेगा । आशा है बरौनी में भी शीघ्र उत्पादन कार्य आरम्भ हो जायेगा ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हल्दिया के बारे में क्या हुआ ।

श्री डी० के० बरुआ : हल्दिया में उर्वरक कारखाने का निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है लेकिन निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह कार्य कब पूरा होगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has just stated that some refineries are going to be set—up. I want to know the places where these refineries are going to be set up, and the time when these will start working and the amount to be spent on their establishment ?.

Shri D. K. Barooah : It has been recently decided to establish a refinery in Mathura. We are going to decide with regard to Goa Refinery. The work on Haldia refinery is likely to be finished during this year.

Shri Hukam Chand Kachwai : When they are likely to be commenced and the amount estimated to be spent on them ?.

Shri D. K. Barooah : I want a notice for it.

श्री दीनेश चन्द्र गोस्वामी : ऐसी कुछ खबरे हाल ही में प्रकाश में आई हैं कि कोयले और पेट्रोलियम के अतिरिक्त देश में निर्मित ऐसी अन्य वस्तुएँ भी है जिन्हें उर्वरक संयंत्रों के लिये प्रयोग किया जा सकता है । क्या पेट्रोलियम की खपत को कम करने के उद्देश्य से सरकार इस पहलू पर कोई अध्ययन कर रही है ।

श्री डी० के० बरुआ : मुख्य कच्चा माल कोयला है । आगामी कुछ समय तक उर्वरक कारखानों में फीड स्टाक के वैकल्पिक साधन के रूप में हमे कोयले पर निर्भर रहना पड़ेगा ।

श्री डी० बासुमतारी : माननीय सदस्य ने तीन तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का

उल्लेख किया है । लेकिन उन्होंने बोन्गाई गांव मे तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का उल्लेख नहीं किया है । उसकी क्या स्थिति है । क्या निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

श्री डी० के० बरुआ : तेल शोधक कारखानों को मन्जूरी दे दी गई है और मुझे आशा है कि इस वर्ष हम कुछ प्रारम्भिक कार्य आरम्भ करेंगे ।

रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध जनता की शिकायतों का निपटान

***207 श्री नरेन्द्र सिंह बिश्ट :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध जनता की शिकायतों को निपटाने की क्या प्रक्रिया है; और

(ख) क्या शिकायतों पर निर्णय लेने से पूर्व कर्मचारियों को शिकायत-कर्ता से जिरह करने का अवसर नहीं दिया जाता ।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) . एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) जनता की सभी शिकायतों का निबटारा उचित जांच पड़ताल के बाद किया जाता है जिसमें रिकार्डों की जांच और जहाँ आवश्यक हो कर्मचारियों की और गवाहों की, यदि कोई हों, गवाही लेना भी शामिल है । जिन मामलों में शिकायत करने वालों और गवाहों के तथा उस व्यक्ति के जिसके विरुद्ध शिकायत की गयी हो आमने सामने बुलाये बिना कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता अथवा जहा शिकायत गम्भीर किस्म की हो, उन मामलों में आमने-सामने की जांच-पड़ताल भी की जाती है ।

(ख) आमतौर पर यह सम्भव नहीं है कि किसी शिकायत पर निर्णय देने से पहले प्रत्येक शिकायत या मामले में जिस कर्मचारी की शिकायत की गयी हो उसे शिकायत करने वाले व्यक्ति से जिरह करने की अनुमति दी जाये, लेकिन कर्मचारियों को कोई सजा देने से पहले उन्हें अपने बचाव के लिए उचित अवसर दिया जाता है । फिर भी, जब आमने–सामने की जांच पड़ताल की जाती है तो कर्मचारियों को शिकायत करने वाले से जिरह करने का अवसर दिया जाता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : आपने उल्लेख किया है कि जब जांच होती है तो कर्मचारियों को शिकायत करने वाले से जिरह करने का अवसर दिया जाता है । लेकिन व्यवहार में इसके विपरीत है । क्या आप ऐसे आदेश जारी करेंगे कि इन बातों का पालन किया जाये ।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : कर्मचारियों को शिकायत कर्त्ताओं से जिरह करने का हमेशा अवसर प्रदान किया जाता है ।

Shri Narendra Singh Bisht : Some times when a passenger complaints, no action is taken and the complainant knows whether an action has been taken in connection with his complaint. I want to know whether any provision has been made so that the complainant may know about the action taken with regard to his complaint ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The complainant has a carbon copy of the complaint he has made and he is informed regarding enquiry and the action taken with regard to

his complaint. But he is not informed regarding the punishment he gets.

Shri Ishwar Choudhry : I want to know the number of complaints against the railway employees received from the public and the Members of Parliament and the number of cases in which the Goverment has not given any information regarding the enquiry conducted by it I want to know what action is being taken in this regard ?

Mr. Speaker : The questionwas regarding the procedure. If you want some figures, you have to give a separate notice.

Shri Ishwar Choudhry : There is nothing in the question to get some special information.

Mr. Speaker : Please read the question carefully and then I will give you a chance.

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त होने पर चाहे वे उचित हो, अथवा अनुचित अथवा झूठी, रेलवे कर्मचारियों को जिरह का अवसर दिये बिना शीघ्र कार्यवाही की जाती है। यदि हां, तो अपनाई जा रही इस असाधारण प्रक्रिया का क्या कारण है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जहां तक शिकायत का सम्बन्ध है संसद सदस्यों के लिये इस बारे में कोई पृथक प्रक्रिया नहीं है। लेकिन यह विश्वास किया जाता हैं कि संसद सदस्य उचित शिकायत ही करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : मुझे ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें झूठी सिद्ध होने पर भी रेलवे कर्मचारियों को अनावश्यक सजा दी गई। रेलवे कर्मचारियों को अन्य लोगों की तरह जिरह का अवसर क्यों नहीं दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है।

श्री कार्तिक उरांव : क्या सरकार को मेरे द्वारा तथा मेरे मित्र श्री पी० के० घोष द्वारा टिकट कलेक्टर के विरूद्ध की गई शिकायत की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पृथक नोटिस भेंजे यह प्रक्रिया का मामला हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे को प्राप्त शिकायतें दो प्रकार की हैं। जिन शिकायतों में शिकायतकर्ता गवाहों से जिरह करना चाहता है अथवा अपराधी शिकायत कर्ता से जिरह करना चाहता है, रेलवे कर्मचारियों को प्रक्रिया के अन्तर्गत उचित अवसर प्रदान किया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : जी, नहीं, यह सच नहीं है।

श्री कार्तिक उरांव : यह बहुत गम्भीर मामला है। हमने एक वर्ष पूर्व शिकायत की थी लेकिन अब तक इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं इस बारे में जांच करूंगा।

Shri Muhammed Khuda Bukhsh : I want to know the number of such type of cases in which enquiry has been conducted every year and the number of cases proved correct out of them ?

Mr. Speaker : It is a matter of procedure. If you want the figures, please give a separate notice.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच हैं कि बड़े स्टेशनों और विशेषकर उपनगरीय

सेक्शनों पर जब जनता द्वारा गाड़ियों के विलम्ब से चलने के बारे में शिकायत की जाती है, तो उन मामले में किस प्रक्रिया का पालन किया जाता हैं और उस मामले में किस प्रकार जांच की जाती है और किसको दोषी ठहराया जाता है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यदि शिकायत सामान्य प्रवृति जैसे गाड़ियों के विलम्ब से चलने अथवा स्टेशनों पर सफाई की कमी के बारे में होती हैं, तो शिकायत करने वाला शिकायत पर अपना नाम लिखता है और उन विशेष स्टेशनों पर गाड़यों को तेजी चलाने का प्रयास किया जाता है। यह सच है कि गाड़ियों में भीड़ भाड़ है। लेकिन जब शिकायत विशेष प्रकार की होती हैं तो.......

श्री दीनेन भट्टाचार्य : गाड़ियों का विलम्ब से चलना विशेष प्रकार की शिकायत है। इन मामलों में कैसे दोष निर्धारित किया जाता है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : शिकायत के बारे में कार्यवाही की जाती है।

पदमा नदी द्वारा भूमि के कटाव के कारण हावड़ा फरक्का रेलवे लाइन को खतरा

***208 श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर सब डिवीजन के पद्मा नदी द्वारा भूमि के कटाव के कारण हावड़ा–फरक्का रेलवे लाइन को खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ज्योतिमय बसु : सब डिविजनल आफिसर जंगीपुर ने एक सरकारी नोट में इस बात का उल्लेख किया था कि राष्ट्रीय राजपथ संख्या 34 हावड़ा–फरक्का लाईन बल्लारपुर तथा फरक्का थाने पर पोषक नहर तथा धुलियान औरंगाबाद शहरों के कटाव का खतरा है। हजारपुर से राजपथ 200 गज दूर है और नैंनसुरक में रेलवे लाईन सेकपूरा से 500 गज दूर है। क्या यह सच हैं कि सब डिविजनल आफिसर ने इन बातों के बारे में एक सरकारी नोट दिया था और, यदि हां तो सरकार ने इस नोट पर क्या कार्यवाही की है और भविष्य में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : मुझे सब डिविजनल आफिसर के नोट की कोई जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि इस रेलवे लाईन को दो स्थानों पर खतरा है, एक जगह भगीरथी नदी से हैं जो रेलवे लाईन से 475 फुट दूर है और दूसरी जगह गंगानदी से है जहाँ नदी लाईन से ९०० फुट दूर हैं।

जहां तक पहले स्थान का सम्बन्ध है, वहां पिछले 10 सालों से कोई कटाव नहीं हुआ है और इन्जीनियरों और विशेषज्ञों के अनुसार वहाँ रेलवे लाईन को कोई खतरा नहीं है। इसी प्रकार गंगा नदी से भी कटाव का कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी उपचारात्मक उपाय किये गये हैं और वहाँ पत्थर काफी मात्रा में है और कर्मचारी भी वहां हैं और रेलवे लाईन को यदि कोई

खतरा हो तो उपचारात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या आप डा० के० एल० राव को इस बारे में हमें बताने की अनुमति देंगे क्योंकि इसका सम्बन्ध···

अध्यक्ष महोदय । जो इन्हे अपना प्रश्न डा० के० एल० राव से पूछना चाहिये रेल मंत्री से नहीं ।

श्री ज्योतिमय बसु : भविष्य में मैं इसी परामर्श के अनुसार चलूँगा । चूंकि डा० के. एल. राव यहाँ उपस्थित है, मैं चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हुं । यह प्रश्न रेल मंत्री से पूछा गया है । मैं अभी ऐसे प्रश्न के अनुमति नहीं देता जो सिंचाई और विद्युत मंत्री के नाम हो ।

श्री ज्योतिमय बसु : तो मैं रेल मंत्री से पूछता हूँ । क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार को कटाव बन्द करने सम्बन्धी अनुमानित लागत की रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है और प्रायोजना लागत सम्बन्धी यह रिपार्ट अभी तक नहीं आई है और, यदि हां, तो सरकार इसे प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

श्री एल० एन० मिश्र : मुझे प्रश्न के लिये सूचना चाहिये । रेलवे दृष्टिकोण से इस लाईन को कोई खतरा नहीं हैं और जैसे कि कहा गया है यदि कोई खतरा हो तो पर्याप्त उपचारात्मक उपाय किये गये हैं और किये जायेंगे । पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में जो कुछ इन्होंने कहा, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं हैं ।

श्री ज्योतिमय बसु : इन्हें कुछ अधिक ज्ञान ग्रहण करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिये क्योंकि मंत्री महोदय एक निश्चित उत्तर दे रहे हैं ।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय के इनकार करने के बावजूद भी क्या मैं जान सकता हूँ । कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा में सम्बन्धित मंत्री श्री खान चौधरी ने एक बक्तव्य दिया है कि भारी कटाव से रेलवे लाईन तथा राष्ट्रीय राजपथ को खतरा है और यदि हां, तो रेल मंत्री ने क्या इस पर गम्भीरता से विचार किया है और सही तथ्य जानने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा है ।

श्री एल० ऐन० मिश्र : सम्बन्धित एजेन्सियों से पूछताछ की गयी है और वास्तव में नोट मुझे आज सुबह ही मिला है और मुझे पता चला है कि अभी भागीरथी तथा गंगा से कोई खतरा नहीं है और कोई है तो······

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न स्पष्ट था कि सम्बन्धित मंत्री ने राज्य विधान सभा में वक्तव्य दिया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मुझे उस वक्तव्य की कोई जानकारी नहीं हैं । लेकिन हमारे अपने लोग वहां गये थे और हमारे पास रेलवे इन्जीनियरों की रिपोर्ट भी है ।

एम० डी० आर० रेलवे (दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत) में दुर्घटना

***211 श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० डी० आर० रेलवे (दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्तर्गत) पर 23 दिसम्बर, 1972 को एक दुर्घटना हुई थी।

(ख) उस दुर्घटना के परिणामस्वरूप कुल कितने व्यक्ति मरे, और

(ग) क्या उस दुर्घटना की जांच करने का आदेश दिया गया था और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले।

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) दो।

(ग) इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा के अपर आयुक्त, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, कलकत्ता द्वारा की गयी है। उनकी जांच के अंतिम निष्कर्ष के अनुसार गाड़ी रेल कर्मचारियों की गलती के कारण पटरी से उतरी थी और ऐसा दिखायी देता है कि पटरी और चल स्टाक की खराबियों ने भी इस दुर्घटना में योग दिया था।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने एक छपा छपाया उत्तर दिया है। दक्षिण-पूर्व रेलवे मेन संघ की बांकुरा शाखा ने रेल संरक्षा के अपर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है और कर्मचारियों ने कहा है कि दुर्घटना के समय जो इन्जन गाड़ी में लगा था उसे खराब घोषित किया था और इसके बावजूद भी उसे चलाया गया था और इसी इन्जन के कारण दुर्घटना हुई थी मन्त्री महोदय का इसके बारे में क्या उत्तर है?

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : रेल संरक्षा के अपर आयुक्त के निष्कर्ष इस प्रकार है:—

"सभी साक्ष्यों तथा उस स्थान की स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अडरा डिविजन के बांकुरा-रायनगर नैरोगेज सेक्शन पर बृन्दावनपुर और श्रीरामपुर हाल्ट स्टेशनों के बीच 5 अप मिश्रित गाड़ी अत्याधिक गति से चलाये जाने के कारण पटरी से उतर गयी। ऐसा प्रतीत होता है कि पटरी और चल स्टाक की खराबियों में भी इस दुर्घटना में योग दिया था"।

अतः पटरी और चल स्टाक की खराबी ही केवल मात्र कारण नहीं थे बल्कि मुख्य बात यह थी कि स्पष्टतः ड्राईवर ने गति के नियमों का पालन नहीं किया था और गाड़ी के तेज किया था जिसके परिणाम स्वरूप रेल पटरी से उतर गयी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह बेकार घोषित किया गया इन्जन था।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : वह बेकार घोषित किया गया इन्जन नहीं था।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या सरकार का विचार इस नैरो गेज लाईन के ब्राड़ गेज लाईन में परिवर्तित करने और पूर्वी रेलवे में तारकेश्वर तक बढ़ाने का है।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : यह एक नैरो गेज लाईन है। इसे न तो ब्राड गेज लाईन में बदलने का विचार है और न ही बढ़ाने का है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि रेलवे पटरी का उचित ढंग से रख रखाव नहीं किया गया था और यह एक पुरानी लाईन है और इस मामले में न केवल बेकार घोषित किये गये इन्जन का उपयोग किया गया था बल्कि पटरी की आयु तथा

अपर्याप्त रख रखाव भी इसके लिए जिम्मेदार था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि रेलवे अधिकारी रेलवे पटरी का उचित ढंग से रख रखाव करते हैं या नहीं।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : मैं अपने उत्तर में कह चुका हूँ कि पटरी और इन्जन डिब्बे अच्छी स्थिति में नहीं थे। अब हम स्लीपरों को बदल रहे हैं और पटरी को भी सुधार रहे हैं।

श्री ए० पी० शर्मा : मंत्री महोदय ने कहा है कि जांच अधिकारी के विचार में ड्राईवर ने निश्चित रफतार से अधिक रफतार से गाड़ी चलायी थी। क्या उस सेकशन में रफतार की कोई सीमा निर्धारित की गयी थी कोई किस सीमा तक रफ्तार बढ़ायी गयी? **(व्यवधान)** मैं एक निश्चित प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या कोई रफ्तार निर्धारित की गयी थी, यदि की गयी थी तो यह रफ्तार क्या थी और इस रफ्तार से कितनी अधिक रफ्तार से गाड़ी चलायी गयी।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : चूंकि गाड़ी सीमा से अधिक रफ्तार से चलायी गयी, इसका अर्थ यही है कि रफ्तार की कोई सीमा नहीं थी।

श्री ए० पी० शर्मा : रफ्तार क्या थी **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति। डा० रानेन सेन।

श्री ए० पी० शर्मा : मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है। निर्धारित रफ्तार क्या थी। गाड़ी इससे कितनी अधिक तेज चलायी गयी।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें कोई पता नहीं अगला प्रश्न।

ट्राम्बे स्थित वर्मा-शैल शोधनशाला में बेकार पड़ी क्षमता

***212. डा० रानेन सेन:** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनाँक 6 फरवरी, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में कन्ट्रीज लार्जेस्ट रिफाइनरी हैज मच आइडल केमैसिटी (देश की सबसे बड़ी शोधनशाला में काफी बेकार पड़ी क्षमता) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ठ किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुवा) : (क) और (ख) : वर्मा शैल ने दावा किया है कि उसकी प्रतिवर्ष लगभग 1.75 मिलियन मीटरी टन क्षमता अप्रयुक्त रही है। वर्मा शैल शोधनशाला प्रतिवर्ष 2.00 मिलियन मीटरी टन की लाइसेन्सकृत क्षमता की तुलना में लगभग प्रतिवर्ष 3.75 मिलियन मीटरी टन की क्षमता पर कार्य कर रहा है। शोधनशाला पर उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त क्षमता के प्रयोग के प्रश्न पर सरकार द्वारा उचित समय पर विचार किया जायेगा जब बम्बई शोधनशालाओं के लाभ-प्रद पूर्ति क्षेत्र में उत्पादों के लिए मांग ऐसे प्रयोग के अनुरुप होगी।

डा० रानेन सेन : हम विदेशी तेल कम्पनियों तथा तेल शोधशालाओं की इस विचारधारा से अवगत है। अशोधित तेल की सप्लाई के विषय में उनकी जो धारना है उसको देखते हुए क्या यह सच है कि वर्माशैल शोधशाला की, पेट्रोलियम में उत्पादों के उत्पादन हेतु, कुल क्षमता 52.50 लाख मीटरी टन है परन्तु वे सामान्यतया 36 लाख मीटरी टन का उत्पादन करते हैं और क्या

उनका बाजार प्रभाग भी क्षति पहुँचा रहा है क्योंकि वह बाजार में भारतीय खपत का 19 प्रतिशत माल भेजते हैं जबकि उनसे अधिक भेजने के लिये कहा गया हैं, और यहि तो सरकार का विचार विदेशी तेल कम्पनियों की उच्छ्रृंखलाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का हैं।

श्री देव कान्त बरुआ : यदि माननीय सदस्य का यह सुझाव हैं कि उन्हें उनके वर्तमान उत्पादन से अधिक उत्पादन करने की अनुमति दी जानी चाहिए तो इस पर तभी विचार किया जा सकता हैं जबकि बम्बई के निकट का लाभ प्रद सप्लाई क्षेत्र इसका औचित्य ठहराता है। इस समय वे 37.50 लाख मीटरीटन उत्पादन कर रहे हैं यद्यपि उन्होंन इसे बढ़ाने के लिये कहा है परन्तु हमने इसकी अनुमति नहीं दी है। पहले उनकी लाईसेन्स प्राप्त क्षमता 20 लाख मीटरीटन थी परन्तु जनवरी, 1963 में देश में आपातकालीन स्थिति के कारण उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिये कहा गया था। जहाँ तक बाजार की सप्लाई का सम्बन्ध है वे ऐसा योजनानुसार ही करते है जो सभी को ज्ञात हैं।

डा० रानेन सेन : बाजार की सप्लाई के विषय में मंत्री महोदय ने बताया हैं कि यह सर्वविदित हैं, यह किसे विदित हैं और इसकी क्या स्थिति हैं। सम्भव हैं मंत्री महोदय को ही इसके बारे में कुछ पता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि आज भी ये विदेशी तेल शोधशालायें अपने क्षेत्र के अतिरिक्त बाहर से अशोधित तेल लेने के लिये तैयार नहीं हैं और भारत सरकार तथा विदेशी तेल कम्पनियों की विचार धारा में भेद होने का यही कारण है और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन्हें यह बात स्पष्ट कराई है कि जब उन्हें अशोधित तेल का अधिक मूल्य नहीं दिया जाता है तो उन्हें भारत सरकार द्वारा बाहर से मगाया गया अशोधित तेल लेना पड़ेगा ?

श्री देवकान्त बरुआ : उन्होने अशोधित तेल सदैव अपने एजेन्टों से ही लिया है। अब वे अधिक मूल्य मागते हैं परन्तु हम इससे सहमत नहीं हैं। बात-चीत चल रही है। किसी स्रोत से आने वाले अशोधित तेल के उपयोग के सम्बन्ध में भी उनसे बातचीत की जा रही है।

श्री बी० वी० नायक : यद्यपि विचारधारा के आधार पर इस मामले पर सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के रूप में विचार किया जा सकता है, उग्र राष्ट्र प्रेम के आधार पर इस मामले पर स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनियो के रूप में विचार किया जा सकता है, और जब तक वे भारत में है उनका राष्ट्रीय करण भी किया जा सकता हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे कि क्या अप्रयुक्त क्षमता के इस प्रश्न को पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों और देश में मिट्टी के तेल की कमी के संदर्भ में देखा जायेगा और कम से कम आगामी वर्षों के लिये पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित कराया जायेगा ?

श्री देवकान्त बरुआ : विचार धारा की बात को अलग रखना निश्चित रूप से कठिन है। हम चाहते है कि तेल शोधशालाये सरकारी क्षेत्र में हों। जहां तक बम्बई में इस तेल शोधशाला की अधिष्ठानित क्षमता के उपयोग की बात है हमें उस क्षेत्र की आवश्यकता, क्षमता तथा परिवहन समस्याओं आदि पर विचार करना होगा। ऐसे क्षेत्र भी है जहां पेट्रोलियम उत्पादों की अधिक माँग है अतः तेल शोधशाला का उस क्षेत्र में होना नितान्त अनिवार्य है। समग्र रूप में लाभ की दृष्टि से, तेल शोधशालाओं का उस क्षेत्र में होना उचित समझा गया है जहां इन

उत्पादों की माँग अधिक है जैसा कि भारत के पश्चिम भाग में है । अतः उत्पादन में कमी जैसी कोई बात नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा हैं ।

श्री एस० एन० मिश्र : इस तेल शोधशील को उत्पादन वृद्धि की अनुमति क्यों नहीं दी गई है ।

श्री देवकान्त बरुआ : मैं बता चुका हूँ कि इस तेल शोधशाला के सप्लाई क्षेत्र की आवश्यकतायें इसके उत्पादन वृद्धि का औचित्य नहीं ठहराती है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है तथा विदेशी तेल कम्पनियों की मांगों के सम्बन्ध में जो कठिनाइयां बतायी है उनको देखते हुये सरकार विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय क्यों नहीं करती है । इनके राष्ट्रीयकरण में क्या आपत्ति है ?

श्री देवकान्त बरुआ : इस समस्या के बारे 'में ऐस्सों' से बात चीत चल रही हैं कि क्या हम इसे पूर्णया खरीद लें अथवा अधिकाँश होकर अर्जित करें ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैंने राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा है, खरीदने के बारे में नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : नीति सम्बन्धी इन मामलों के बारे में अधिक मत पूछिये ।

SAFEGUARD OFRAILWAY PROPERTY DURING AGITATIONS

*214. **Shri Ishwar Chaudhary.**
Shri Sat Pal Kapur :

Will the Minister of **RAILWAYS** be pleased to state the steps taken or being taken by Government to safeguard Railway property from destruction during agitations in Various States?

The DY. MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : A statement is laid on the table of the Sabha.

1. The Security branch of the Railways keeps close liasion with the executive and intelligence Branches of the State Police, and they exchange information regarding matters affecting the running of the Railway and protection of important installations.

2. Guarding of vulnerable points and patrolling of the track in vulnerable sections is taken up by the State Police or the Railway Protection Force as the case may be, when trouble is apprehended.

3. In addition to strengthening the security arrangements at Railway Stations in areas where trouble is likely to occur, action is taken by the Government Railway Police and the Railway Protection Force to escort trains on affected sections.

4. The local Police arrange patrolling near railway stations and the railway track adjoining educational institutions when required.

5. Steps have been taken to project before the public baneful effects of destruction of National assets like Railway property. In this connectin Press communiques/special articles/brochures are being issued by the Railway Board and the Zonal Railways. Radio talks are also given by officers and others.

6. The subject is also brought up in the National Railway Users 'consultative Council meetings, seeking their co-operation in this respect.

7. The Indian Railways Act, 1890 is proposed to be amended in order to make the punishment for destruction of railway property more deterrent.

Shri Ishwar Chaudhary : It has been mentioned in the statement that "guarding of vulnerable points and patrolling of the track in vulnerable sections is taken up by the State Police or the Railway Protection Force as the case may be, when troub'e is appreheded." It has been further stated therein that "in addition to strengthening the security arrangements at Railway Stations in the areas where trouble is likely to occur, action is taken by the Government Railway Police and the Railway Protection Force to escort trains on affected Sections." Had there been these provisions there, no trouble could have occured. It is, therefore, clear that there dies not exist proper implementation of the provision. In the last it has been said in the statement that "The Indian Railways Act, 1890 is proposed to be amended in order to make the punishment for destruction of Railway property more deterrent." May I know the main features of this proposal, the details of the punishment and the time by which the amendments are likely to be made ?

Shri Moh '. Shafi Qureshi : As evident from the reply, the matter is being considered and after over all examination I will be able to tell you as to what would be the nature of amendment.

Shri Ishwar Chaudhary : I want to know the details of conviction and fine when the punishment is made more deterrent ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : It depends upon the nature of the crime.

श्री नवल किशोर सिन्हा : यह एक बहुत गम्भीर प्रश्न है। समाचार पत्रों में हम यही समाचार पढ़ते हैं और संभवतया मंत्री महोदय भी यही बतायेंगे कि आन्ध्र के आन्दोलन के दौरान देश को 20, 30 करोड़ रुपये की रेल सम्पत्ति की हानि हुई है। रेलवे को इस की कई गुनी अधिक भाड़े की हानि हुई होगी। रेलवे सुरक्षा बल रेल सम्पत्ति की रक्षा करन में असफल रहा और जी० आर० पी० आन्दोलनकारियों के साथ मिली हुई थी। यदि रेलवे तथा डाक तार की सम्पत्ति पर इस तरह हमले किये जाते हैं तो राज्य सरकार को सूचित कर देना तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये उन पर निर्भर रहना ही पर्याप्त नहीं है। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन है कि विपत्ति-ग्रस्त क्षेत्रों में ऐसी परिस्थितियों में औद्योगिक सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को तुरन्त रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये तैनात किया जाये।

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : हम ऐसी योजना बना रहे हैं अथवा ऐसा विचार कर रहे हैं कि रेलवे का अपना सुरक्षा बल हो। हम सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुला रहे हैं। प्रस्ताव यह है कि अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये रेलवे के पास अपना सुरक्षा बल होना चाहिये।

श्री बसंत साठे : इतनी अधिक हानि हुई है। अच्छी तरह यह बात जानते हुये भी कि रेल सम्पत्ति पर आक्रमण किया जायेगा उसे जलाया जायेगा रेलवे ने विपत्ति ग्रस्त क्षेत्रों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल तैनात क्यों नहीं किया था ?

श्री एल० एन० मिश्र : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को किसी एक ही स्थल पर रखना बहुत कठिन है।

Shri Hukam Chand Kachwai : In all the States, in all types of agitations, Railway property is destroyed. In view of this it was declared that the State in which property is destroyed will have to pay all the compensation. May I know the time by which this proposal will be implemented ? Knowing full well in advance that there will be an attack on Railway property, why the problems are not tackled before the agitations start ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There is no such proposal under consideration. We will consider your suggestion.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS

राज्यों के बीच जल विवाद

*201. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके बीच इस समय जल संबंधी विवाद चल रहे हैं;

(ख) विवादों के कारण कितने पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(ग) जल विवादों को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4390/73**]

Electrification of Daryaganj Railway Station (N. E. Railway)

*202. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of **Railway** be pleared to state :

(a) whether the proposal for electrification of Daryaganj Railway Station (District Etah, Uttar Pradesh) of the N. E. Railway was considered in the second meeting of the Consultative Committee of his Ministry and was approved by him;

(b) whether the station has not so far been electrified; and

(c) if so, by what time this work is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

(c) The work is expected to be completed during 1973-74.

बिजली की कमी के सम्बन्ध में बिहार सरकार की योजना

*209. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बिजली की कमी को दूर करने के संबंध में कोई योजना उनके पास भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) बिहार में विद्युत की कमी नगण्य है । इस कमी को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने कोई स्कीम प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय परियोजना के रूप में अपर कृष्णा परियोजना

*210. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि वह अपर कृष्णा

परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का रूप दे; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों में ऐसी सिंचाई परियोजनाओं की वित्तीय व्यवस्था करने के समय प्रश्न की योजना आयोग द्वारा जांच की जा रही है जिनके निर्माण में तेजी लाने से निकट भविष्य में, पर्याप्त अतिरिक्त सिंचाई शक्यता के निर्माण में सहायता मिल सकती है।

ट्रंक मार्गों पर सवारी रेलगाड़ियों का धीमी गति से चलना

*213. **श्री रामदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सवारी रेलगाड़ियां ट्रंक मार्गों पर भी धीमी गति से चलती हैं;

(ख) यात्री रेलगाड़ियों को ट्रंक मार्गों पर 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में औसतन कितना समय लगता है; और

(ग) इन रेलगाड़ियों की गति बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : मुख्य मार्गों की कुछ सवारी गाड़ियों के चालन-समय के नमूना विश्लेषण से पता चला है कि बड़ी लाइन के मुख्य मार्गों पर सवारी गाड़ियाँ 150 किलोमीटर की दूरी लगभग 5 घंटे 45 मिनट में तय करती हैं और मीटर लाइन के मुख्य मार्गों पर 6½ घंटे में। डाक/एक्सप्रैस गाड़ियों की तुलना में सवारी गाड़ियों की औसत रफ्तार अनिवार्यतः कम है जिसका प्रमुख कारण यह है कि सवारी गाड़ियां सभी जगह पर ठहरती हैं। फिर भी, प्रत्येक समय-सारणी के पुनरीक्षण के समय, मुख्य मार्गों की सवारी गाड़ियों सहित, सभी सवारी गाड़ियों के समय की समीक्षा की जाती है और जहां तक व्यवहार्य हो, उनके चालन-समय में कमी की जाती है।

सियालदह-बनगांव सैक्शन (पूर्वी रेलवे) में दोहरी लाइन के निर्माण के लिए अपील

*215. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वी रेलवे के सियालदाह-बनगांव सैक्सन पर दोहरी लाइन की व्यवस्था करने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय को समस्या की पहले से जानकारी है; और

(ग) मंत्रालय ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) से (ग) : सियालदह-बनगांव खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने के लिए अभ्यावेदन मिले हैं। सियालदह से दमदम तक पहले ही चौहरी लाइन बिछी हुई है। दमदम और बारासत के बीच 15.2 किलोमीटर की दूरी में दोहरी लाइन बिछाने के लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया गया है और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

सिन्दरी में कथित कुप्रबंध

*216. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इकोनोमिक टाइम्स' दिनांक 5 जनवरी, 1973 में बैड मैनेजमेंट

इज सिंदरीज वो' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उसमें लगाये गये आरोपों के संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस जांच के निष्कर्षों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : समाचार में उल्लिखित मामलों पर भारतीय उर्वरक निगम के परामर्श से जांच की जा रही है।

Adoption of System of Proportional Representation for Elections to Lok Sabha and Legislative Assemblies

*217. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether the Election Commission has turned down the demand made by the Opposition parties that system of proportional representation should be made applicable for Elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies;

(b) whether Government have gone into the entire matter; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) In its Report on the Fifth General Election in India 1971-72, the Election Commission has expressed the view that "the list system or any other variety of proportional representation will not be the proper electoral system for India to adopt for elections to the House of the People and the State Lagislative Assemblies." The Report was laid on the Table of the House on 27th February, 1973.

(b) and (c) : Government do not propose to change the electoral system for introducing proportional representation.

चिकनाई वाले तेलों का उत्पादन

*218. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चिकनाई वाले तेल बनाने वाले सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उनका उत्पादन पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका आयात किस देश से किया जाता है और किन शर्तों पर ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) भारतीय तेल निगम की बरौनी शोधनशाला और मद्रास शोधनशाला।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1972 के दौरान लुब्रीकेटिंग आयल्स (स्निग्ध तेलों) की कमी को, प्रतियोगी टेण्डर आधार पर तथा व्यापार-योजना करार (ट्रेड प्लेन एग्रीमेंण्टस) की शर्तों के अनुसार अमरीका, ब्रिटेन, रुमानिया, सिंगापुर, थाईलैण्ड, फ्रांस, कुराकाओं और ताईवान से आयात द्वारा पूरा किया गया था। जहां तक स्वामित्व वाले मार्कों (प्रोपाइटरी ट्रेण्ड्स का सम्बन्ध है, सम्बन्धित कम्पनी से खरीद की जाती है।

पश्चिमी रेलवे में चोरी की घटनाएं

*219. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विशेषकर जयपुर डिवीजन में गत तीन वर्ष में पश्चिम रेलवे में कितन चोरियाँ हुई;

(ख) उनसे यात्रियों और रेलवे की कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) कितने मामलों में चोरी गई वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4391/73]

सफदरजंग हवाई अड्डे पर ऊपरी पुल का निर्माण

*220. **श्री शशि भूषण** :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग ऊपरी पुल का निर्माण निश्चित समय में पूरा हो जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अनुमानों का पुनरीक्षण कितनी बार हो चुका है और वर्तमान अनुमान क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : पुल खास के रेलवे के हिस्से के काम को 30-6-73 तक पूरा करने की योजना बनायी गयी थी। इस काम में लगभग एक महीने का विलम्ब हो जाने की सम्भावना है क्योंकि नयी दिल्ली नगर पालिका से सड़क की सतह के बारे में अन्तिम सूचना प्राप्त न हो पाने के कारण पिछले महीने काम को रोक देना पड़ा था। यह सूचना प्राप्त हो गयी है और अब यह काम हो रहा है।

पता चला है कि नयी दिल्ली नगर पालिका द्वारा किया जा रहा पहुंच-मार्गों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य नवम्बर, 1973 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

(ग) पुल खास के लिए रेलवे के 11·67 लाख रुपये के अनुमान में अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये सौदों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जाँच

2001. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने गत तीन वर्षों में (तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सौदों से संबंधित कुल कितने मामलों की जांच की है,

(ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरों ने गत तीन वर्षों में) कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और कितनी बाकी हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 50

(ख) और (ग) : जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लिये गये 50 मामलों में से 39

मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और 10 मामले ब्यूरो के पास निलम्बित पड़े हैं। एक मामले में जब जांच जारी थी, संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई।

30 मामलों जिन पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अन्वेषण को अन्तिम रूप दिया था, में से एक मामले को समाप्त कर दिया था। 2 मामले न्यायालय में भेजे गये थे और दो अन्य मामलों को न्यायालय में भेजने के संबंध में कार्यवाही जारी है। शेष 34 मामलों में से 12 मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई है तथा 22 मामलों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

कम्पनियों द्वारा प्रचार कार्यों पर व्यय

2002. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े उद्योग गृहों की कम्पनियों के प्रचार कार्यों पर होने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निश्चित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

संकटग्रस्त मिलों के अल्पसंख्यक शेयर-धारियों को मुआवजा देना

2003. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने नियंत्रण में ली गई संकटग्रस्त मिलों में अल्पसंख्यक शेयरों का अनुमान लगा लिया है और यदि हाँ, तो वे कितने हैं; और

(ख) क्या अल्पसंख्यक शेयर धारियों को मुआवजा देने के लिए कोई योजना बनाई गई है यद्यपि इन मिलों के कुप्रबन्ध के कारण देनदारियां आस्तियों से अधिक हो ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सूचना संग्रहीत की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

नेफथा के विदेशी ठेकेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

2004. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री नेफथा के विदेशी ठेकेदारों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के बारे में 14 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 221 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने उस विदेशी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की है जो 1.5 लाख टन नेफथा सप्लाई करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : भारतीन तेल निगम ने इस मामले को कानूनी राय के लिये अपने सालिसिटरों को भेज दिया है। सालिसिटरों के परामर्श पर विचार करने के बाद भारतीय तेल निगम द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

वर्ष 1973–74 में केरल में नई रेलवे लाइनें

2005. **श्रीवयालार रवि** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कौन-कौन सी नई रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है या पूरा हो चुका है; और

(ख) पांचवीं योजना में वरीयता के क्रम में सरकार किन नई लाइनों का निर्माण आरम्भ करेगी ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) रेलवे का विकास राज्य वार अथवा क्षेत्र-वार धारणाओं के आधार पर नहीं किया जाता। फिर भी, निम्नलिखित परिजोनाएं जो अंशतः अथवा पूर्णतः केरल राज्य में पड़ती हैं उनके सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया था।

(i) तेल्लिञ्चेरी-मैसूर — 237 कि० मी०

(ii) कायनकुलम्-एर्णाकुलम् — 97 कि०मी०

(iii) तिरुवनन्तपुरम-कन्या कुमारी—100 कि०मी०

(vi) कुट्टिपुरम्-एर्णाकुलम — 128 कि०मी०

(गुरुवायूर और क्रेन्गानूर के रास्ते)

(v) तिरुच्चूर-कोल्लगोड — 68·04 कि०मी०

(vi) चालक्कुडि वालपारै — 71·49 कि०मी०

इनमें से तिरुवनन्तपुरम् और कन्याकुमारी के बीच लाइन के निर्माण का काम प्रारम्भ कर दिया गया है और वह काम चल रहा है।

(ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड, ट्रावनकोर में कर्मचारियों की संख्या

2006. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में फर्टिलाइजर्स एण्ड केमीकल्स लिमिटेड, ट्रावनकोर में कुल कितने कर्मचारी हैं और उनका श्रेणी बार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनक्रम क्या हैं; और

(ख) इस कम्पनी का वेतनों पर वार्षिक व्यय कितना है और इसमें उत्पादन के कुल मूल्य से इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : एक विवरण पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4392/73]**

Setting up of Additional Units in M. P.

2607. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri R. V. Bade :

Will the Minister of Irrigation & Power be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Electricity Board propose to set up additional units of 120 MW and :00 MW to meet the increasing demand of power in Madhya Pradesh and has approached the Central Government for giving them the priority; and

(b) whether the Central Government propose to give priority for the setting up of these units ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation And Power (Shri Balgovind Verma) : (a) Yes, Sir.

(b) 7th 120 MW unit from Heavy Electricals India Ltd., Bhopal is allotted for Korba Thermal Power Station Extension delivery in September 1974—February 1975 in place of the 13th set ordered by Madhya Pradesh State Electricity Board earlier.

Incidents of Crimes on North-East-Frontier Railways

2008. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of incidents of crime in running trains on North-East-Frontier Railways, registered during the last five months;

(b) the number of cases of murder; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check the increasing number of crime ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 157.

(b) Nil.

(c) Concerned at the growing incidence of such crimes in trains and railway premises in the recent past, in the Eastern States, viz. Assam, Bihar, Orissa, U. P., and West Bengal, the Minister of Railways is convening a meeting of Home Ministers and Inspectors General of Police of these States during this month to discuss the matter in detail and take remedial steps.

Goods Handled by North Eastern Railway

2009. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the quantum of goods handled by North Eastern Railway during the last 5 months; and

(b) the amount of revenue earned thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 4.24 million tonnes of revenue-earning goods traffic was carried by North Eastern Railway during August, 72 to December, 72.

(b) Rs. 9.34 crores were earned thereby.

राज्य विद्युत बोर्डों के समन्वय की योजनाएं

2010. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1973 में बम्बई में हुए इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स के वार्षिक सम्मेलन में हुई चर्चा के दौरान यह तर्क दिया गया था कि विद्युत अधिनियम, 1970 और विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 के उपबंध, बिजली के व्यापार पर वित्तीय या वाणिज्यिक अनुशासन लाने के लिए अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या वहां यह भी सुझाव दिया गया था कि केन्द्र को एक केन्द्रीय निदेशक व्यवस्था का गठन करना चाहिए जो अल्पावधि और दीर्घावधि योजनाओं के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए और विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के कार्य में समन्वय स्थापित करे; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) की बम्बई शाखा ने सूचित किया है कि इस संस्थान के वार्षिक सत्र में एक व्याख्यान में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 (1970 का विद्युत अधिनियम कोई नहीं है) और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों में संशोधन करने की अनिवार्यता के साथ-साथ विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की कार्य प्रणाली के समन्वय करने की अनिवार्यता से संबंधित प्रश्नों पर सुझाव रखे गए थे।

(ग) विद्युत की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के उद्देश्य से चौथी योजना के अंत तक में लगभग 20 मिलियन किलोवाट प्रतिष्ठापित जनन क्षमता के पाँचवी योजना के अंत तक बढ़ कर लगभग 40 मिलियन किलोवाट तक हो जाने की संभावना है। इस प्रकार के वृहद् विकास कार्यक्रम और बृहद् विद्युत केन्द्रों द्वारा मितव्ययी विद्युत सप्लाई प्रदान करने की आवश्यकता तथा विद्युत प्रणालियों के एकत्रित प्रचालन के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति उद्योग की पुनर्संरचना के प्रश्न का अध्ययन किया जा रहा है।

सिगनल और दूर संचार विभाग (दक्षिण पूर्व रेलवे) के छंटनी किये गये कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाना

2011. **डा० सरदीश राय :** क्या रेल मंत्री दक्षिण-पूर्व रेलवे के सिगनल और दूर संचार विभाग के छंटनी किये गये कर्मचारियों को फिर से काम पर लगाने के बारे में 12 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3989 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 47 कर्मचारियों के पुर्ननियोजन के लिए उनकी सेवा-वरिष्ठता का ध्यान रखा गया था और यदि नहीं, तो क्यों ;

(ख) अब तक और कितने छंटनी शुदा कर्मचारियों को पुनः काम पर लगाया गया है; और

(ग) सभी छंटनी शुदा कर्मचारियों को कब तक पुनः काम दे देने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, केवल एक मामले को छोड़कर जिसमें वरिष्ठ निर्माण श्रमिक को फिर से नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि उसी समय पुलिस ने उसके विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया था।

(ख) 30

(ग) फिलहाल उनको फिर से काम पर लगाने की कोई सम्भावना नहीं है।

आंध्र प्रदेश में आन्दोलनकारियों द्वारा दो रेलगाड़ियों को पटरी से उतार देना

2012. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र के आंदोलनकारियों द्वारा 4 और 6 फरवरी, 1973 को कटपाटीपकाला यात्री गाड़ी और एक मालगाड़ी पटरी से उतार दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए;

(ग) उन्हें कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) इसके लिये जिम्मेवार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का

आशय 5–2–1973 को दक्षिण रेलवे के काटपाडी-रेणिगुन्टा खण्ड पर बौम्म समुद्रम और रामापुरम स्टेशनों के बीच 122 डाउन तिरुच्चिरापल्ली-रेणिगुन्टा तेल सवारी गाड़ी के पटरी से उतरने तथा 6–2–1973 को दक्षिण मध्य रेलवे के गुंतकल्लु और बंटनहाल स्टेशनों के बीच 2521 अप डीजल माल गाड़ी के पटरी से उतरने की दुर्घटनाओं से है। ऐसा संदेह है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पटरी के साथ अनधिकृत छेड़छाड़ किये जाने के कारण ये दोनों दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ख) जहां पहली दुर्घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई लेकिन 15 व्यक्ति घायल हो गये थे, वहां दूसरी दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(घ) चूंकि इन दुर्घटनाओं के लिए किसी रेल कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया इसलिए किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

कोरबा में एल्यूमिनियम स्मैल्टर प्लांट को चालू किया जाना तथा उसके लिए बिजली की सप्लाई

2013. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1975 के आरंभ में सरकारी क्षेत्र के कोरबा एल्यूमिनियम स्मैल्टर प्लाँट के चालू हो जाने से मध्य प्रदेश में बिजली की भारी कमी हो जाएगी;

(ख) क्या विशेषकर एल्युमिनियम प्लाँट की बिजली की सप्लाई को पूरा करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार ने कोरबा ताप बिजली घर के विस्तार का प्रस्ताव किया है और राज्य सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि कोरबा में लगाए जाने के लिए 1 × 120 मेगावाट एकक के दिए जाने को प्राथमिकता दी जाए; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या हैवी इलक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल से जिस चौथे एकक को प्राथमिकता देने का वचन दिया गया था, उसे पूरा कर दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) अल्युमिनियम प्लांट की आवश्यकताओं को शामिल करते हुए मध्य प्रदेश में 1975 के आरम्भ में 92 मेगावाट विद्युत की कमी होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) : कोर्बा ताप विद्युत केन्द्र का विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 120 मेगावाट के एक सेट के प्राथमिक आधार पर आबंटन के लिए अनुरोध किया था। हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल से 120 मेगावाट का सातवां यूनिट, जिसके सितम्बर, 1974—मार्च, 1975 में डिलीवर हो जाने की संभावना है, केन्द्र को अलाट कर दिया गया है। अन्य संबंधित कार्यों की प्रगति की रोशनी में आवश्यकताओं का और पुनरवलोकन हो रहा है।

रतलाम डिवीजन में कर्मचारियों की पदोन्नति/पदावनति/स्थानान्तरण

2014. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रतलाम डिवीजन के कर्मचारियों की पदोन्नति, पदावनति अथवा स्थानान्तरण का निर्णय डी० एस० (ई०) बी० आर० सी० एण्ड ई० एस० (ई०) बी० सी० टी०/आर० टी० एम० को भेजे गये सी० सी० एस० (ई) सी० सी० जी० पत्र संख्या ई 839/1/1515 दिनांक 12 अक्तूबर, 1972 के आदेशों के अनुसार बम्बई डिवीजन द्वारा किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : पश्चिमी रेलवे के बम्बई स्थित मुख्यालय ने 13 अक्तूबर, 1972 के अपने पत्र संख्या ई 839/4/15/5 के द्वारा ये अनुदेश जारी किये थे। कि बड़ौदा और रतलाम मंडलों में 13-10-72 के बाद होने वाली रिक्तियाँ बम्बई मंडल से चल टिकट परीक्षकों के स्थानान्तरण के लिए नियत रखी जायें। ये चल टिकट परीक्षक पहले बड़ौदा और रतलाम से स्थानान्तरण पर बम्बई आये थे और उन्होंने वापिस अपने मूल मंडलों में स्थानान्तरण के लिए अनुरोध किया था। लेकिन उपर्युक्त अनुदेशों के खिलाफ कुछ अभ्यावेदन मिले हैं और एक कर्मचारी ने इन आदेशों के खिलाफ न्यायालय से निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है। फिलहाल यह मामला न्यायाधीन है।

ठेकेदारों की गलती के कारण परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब

2015. **श्री ई० वी० विरवे पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न बिजली परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो चौथी योजनाकाल के दौरान पूरी हो जानी थी लेकिन उक्त समय में जिनके पूरा होने में विलम्ब होने की संभावना है;

(ख) यह विलम्ब किस हद तक ठेकेदारों की गलती के कारण हुआ है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब होने से कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) ऐसी परियोजनाओं के नाम संलग्न विवरण में दिए जाते हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4493/73]**

(ख) और (ग) : परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब मुख्यत: इन कारणों से हुआ है :

(1) स्वदेशी निर्माताओं द्वारा मुख्य उत्पादन-उपस्कर तथा अन्य आनुषंगिक उपस्कर को सप्लाई करने में विलम्ब।

(2) इस्पात, सीमेंट, गैसों जैसी अनिवार्य सामग्री की कमी के कारण कुछ परियोजनाओं में सिविल कार्यों का पिछड़ जाना।

(3) विदेशों से प्रतिस्थापन-पुर्जों की प्राप्ति में देरी।

(4) श्रम-अशांति तथा उच्च दक्ष कामगारों की कमी।

(5) कुछ परियोजनाओं के लिए उपलब्ध अपर्याप्त धन राशि उपर्युक्त कारणों से ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराने योग्य विलम्ब की वित्तीय हानियों का मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

टाटा बन्धुओं, बिड़ला बन्धुओं और साहू जैन के स्वामित्व की कम्पनियों का परिसमापन

2016. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा बन्धु, बिड़ला बन्धु तथा साहू जैन एक कम्पनी के शेयरों को दूसरी कम्पनी को मनमाने मूल्यों पर हस्तांतरित करके, शेयरों में हेराफेरी करके कम्पनियों का दिवाला निकालने की घोषणा कर रहे हैं जिससे सरकारी राजस्व की हानि हो रही है, और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : **(क) तथा (ख)** : सूचना संग्रहीत की जा रही है और वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना

2017. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने के मामले में राज्य सरकारों और विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त हुए बिचारों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इन विचारों की जाँच करने और इस बारे में अन्तिम निर्णय लेने में सरकार को कितना समय और लगेंगा ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) : विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) और पालामऊ (बिहार) में उर्वरक कारखाने की स्थापना

2018. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिले के किसानों को उर्वरक सप्लाई करने हेतु मंत्रालय का विचार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले तथा बिहार के पालामऊ जिले में उर्वरक कारखाना लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में किसानों की माँग को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान उन सम्भव स्थानों के बारे में अध्ययन किये जा रहे हैं जहाँ पर उर्वरकों की अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा सके। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के उपयुक्त स्थानों के बारे में भी अध्ययन किये जाएंगे।

मूल औषधियों की लागत में कमी करने के लिए कार्यवाही

2019. **श्री के० बालइन्डायुतम :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में निर्मित मूल औषधियों की लागत में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : स्थापित क्षमता के पूर्णतर उपयोग द्वारा, प्रासेस लागत/मूल्य घटाने के लिये अनुसंधान और विकास द्वारा और नई प्रायोजनाओं में सर्वाधिक लाभप्रद औद्योगिकी अपना कर मूल औषधियों के उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है। जहा तक सम्भाव्य समझा गया सरकार क्षमता के पूर्णतर उपयोग करने के लिये उपाय कर रही है। लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्रों की, जिनमें विदेशी प्रोद्योगिकियां सम्मिलित हैं, की तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है ताकि उपयुक्ततम प्रोद्योगिकी में हमारा प्रवेश सुनिश्चित हो। अपने निर्माण कार्यक्रम के भाग के रूप में, अनुसंधान और विकास कार्यों को आरम्भ करने के लिये सरकार देश में उत्पादन एककों को प्रोत्साहन भी देती रही है।

प्लास्टिक के सम्बन्ध में गोष्ठी

2020. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973 में प्लास्टिक के सम्बन्ध में बम्बई में दो दिवसीय गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, गोष्ठी में किन-किन मामलों पर विचार हुआ और क्या-क्या निर्णय किए गए थे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : अखिल भारतीय प्लास्टिक के निर्माताओं के संघ ने बम्बई में 1 फरवरी से 3 फरवरी, 1973 तक अपने रजत जयन्ती समारोह के भाग के रूप में "प्लास्टिक्स इन सेवन्टी इज एण्ड प्लास्टिक अण्ड यूजिस" पर एक गोष्ठी गठित की थी। कच्चे माल की उपलब्धता, तैयार करने वाली मशीनरी, विपणन-अनुकूल, निर्यात एवं निर्यात करने वाले उद्योगों आदि को वित्तीय सहायता जैसे प्लास्टिक उद्योग से सम्बन्धित मामलों पर गोष्ठी में विचार-विमर्श किया गया। कई विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ और भागीदारों द्वारा सुझाव दिए गये।

मंगलौर में नायलोन संयंत्र

2021. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में 12 करोड़ की लागत से स्थापित किये जाने वाले नायलोन संयंत्र के बारे में मैसूर सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया ; हैऔर

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) भारत सरकार ने कुछ शर्तों पर इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।

थीन बांध के प्रश्न पर वार्ता करने के लिए उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक

2022. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री भान सिंह भौरा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने थीन बांध के प्रश्न पर वार्ता करने के लिए 25 सितम्बर, 1972 को उत्तरी राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसमें किन विषयों पर चर्चा हुई तथा इस संबंध में क्या निर्णय किए गए ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : संबंधित राज्यों नामशः जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक 24 दिसम्बर, 1972 को हुई थी। इस बैठक में, थीन बाँध परियोजना के सभी अन्तर्राज्यीय पहलुओं पर विचार किया गया जिनमें ये शामिल थे : भूमि अधिग्रहण और विस्थापित होने वाले व्यक्तियों का पुर्नवास लाभान्वित होने वाले राज्यों के मध्य लागत और लाभ का हिस्सा और परियोजना

के निर्माण के लिए अभिकरण ।

बैठक में की गई मुख्य सिफारिशें ये थीं :—

1. स्कीम का कार्यान्वियन केन्द्र को अपने हाथ में लेना चाहिए ;
2. सिंचाई पर आने वाली लागत लाभान्वित होने वाले राज्यों को वहन करनी होगी तथा विद्युत् के लिए आबंटित की जाने वाली लागत केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी ;
3. परियोजना के निर्माण और प्रशासन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा, जिसमें सभी संबधित राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ;
4. सभी को मान्य समाधान निकालने के लिए विद्युत् लाभों के बटवारे के प्रश्न की मुख्य-मंत्रियों द्वारा और जांच की जाएगी तथा इस पर और विचार किया जाएगा । बहरहाल, अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो मामले को प्रधान मंत्री को निर्णय देने के लिए सौंपा जाएगा, जिनका निर्णय माना जाएगा ; और
5. प्रत्येक को जितना लाभ प्राप्त होगा उसी अनुपात में लाभान्वित होने वाले राज्य पुनर्वास का भार बटाएंगे । प्रत्येक विस्थापित परिवार को पुनर्वास के लिए 12·5 एकड़ भूमि आबंटित की जाएगी, जिसके लिए प्रत्येक राज्य को अपने हिस्से के भार वहन के लिए भूमि उपलब्ध करनी होगी ।

एकाधिकार आयोग को जानकारी देने में विलम्ब

2023. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ कम्पनियां एकाधिकार आयोग द्वारा समय-समय पर मांगी गई जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए मना कर देती हैं अथवा विलम्ब कर देती है ; और

(ख) यदि हां, तो दोषी पाई गई कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) एक मामले में, आवेदन-कर्त्ता कम्पनी ने एकाधिकार एव निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग को आवश्यक सूचना नहीं भेजी, परन्तु यह संतोष दिलाया कि पूछी गई सूचना सुसंगत नहीं थी, तथा आयोग से व्यक्तिगत सुनवाई से लिये आबेदन किया है ।

(ख) आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

एकाधिकार आयोग के पास विचाराधीन मामले

2024. **श्री एम० एस० संजीवीराव** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय एकाधिकार आयोग के पास कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) इस समय एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के पास अधिनियम के अध्याय 3 के अन्तर्गत पुन: जांच के लिए भेजे गये 11 प्रस्ताव लम्बित हैं ।

(ख) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (2)

में आयोग के लिये 90 दिन की समय सीमा के अन्तर्गत उन विषयों को छोड़कर अपनी रिपोर्ट देने का उल्लेख है, जिनमें आयोग लिखित रूप से दिये गये विशिष्ट कारण युक्त यह राय प्रगट करे कि यह रिपोर्ट कथित 90 दिवस की समय सीमा के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती। पांच प्रस्तावों पर रिपोर्ट अभी देय नहीं है। ऐसा प्रतीत हुआ है कि शेष छै विषयों में से पांच में मुख्य कारण यह हैं, कि अन्तः सम्बन्ध स्थापित किये जाने हैं, व आयोग द्वारा परीक्षार्थ आवश्यक सूचना अभी संग्रह की जा रही है। अतिरिक्तत: कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्णय, जिसके समक्ष अभिकथित उपक्रमों में से एक ने लिखित याचिका दायर की है, की प्रतीक्षा की जा रही है। इन पांच कम्पनियों में से एक ने आवश्यक सूचना नहीं भेजी है, व व्यक्तिगत सुनवाई के लिये कहा है। एक विषय में आयोग आवेदन कर्त्ता कम्पनी तथा कुछ सरकारी विभागों सहित अन्य अनेकों से कुछ सूचना संग्रह कर रहा है।

दक्षिण पूर्व रेलवेमैनों द्वारा हड़ताल के लिए मतदान करवाने का निर्णय

2025. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवेमैनों ने 8 मई, 1972 को हड़ताल करने के लिए मतदान करवाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगें पूरी करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 9-5-1972 को साउथ ईस्टर्न रेलवेमैन्स यूनियन की कार्यकारिणी समिति ने 12-7-1972 को हड़ताल के सम्बन्ध में मतदान कराने का विनिश्चय किया।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऐसे मुद्दे सामान्यत: विभिन्न स्तरों पर वार्ता-तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र की बैठकों में बातचीत के जरिए तय किये जाते हैं। विवादास्पद मांगों पर इस तरीके से विचार किया गया है और जो कार्रवाई व्यावहारिक है, वह शुरू कर दी गयी है।

विवरण

1. वेतन आयोग की रिपोर्ट का तत्काल प्रकाशन और आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजदूरी के आधार पर वेतन-मानों का संशोधन।
2. रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान।
3. नैमित्तिक मजदूरों की छंटनी को रोकना और उन्हें स्थायी पदों में आमेलित करना।
4. बस्तर, राँची आदि जैसे कुछ स्थानों पर काम करने वाले रेल कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देना।
5. पदों के अभ्यर्पण और परावर्तन को रोकना।
6. कर्मचारियों के काम के घंटे कम करना।
7. ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न को रोकना।
8. कर्मचारियों के बकाया दावों का तत्काल भुगतान।
9. श्रमिकों की ठेका प्रणाली को समाप्त करना।

10. पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के अत्याचार को रोकना ।

11. रेल कर्मचारियों के पुत्रों की नियुक्ति ।

12. ट्रेड यूनियन के सभी अधिकार फिर से देना ।

13. रेल कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करना ।

14. खड़गपुरा/टाटानगर आदि में काम करने वाले कर्मचारियों को नगर भत्ता देना ।

15. वर्तमान यात्रा सुविधाएं कम करने से सम्बन्धित प्रस्ताव को वापस लेना ।

16. लिपिकवर्गीय कर्मचारियों और अन्य कोटियों के कार्यभार के मान-दण्ड का संशोधन अतिरिक्त काम के लिए समयोपरि भत्ता देना ।

Supplies of Kerosene Oil to Madhya Pradesh

2026. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the quantity of kerosene oil demanded by Madhya Pradesh Government for the years 1971-72 and 1972-73; and

(b) the quantity supplied by Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the table of the House.

एकाधिकार गृहों की आस्तियों में वृद्धि

2027. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान एकाधिकार गृहों की आस्तियों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच की है और यदि हां, तो जाँच के क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) हाँ, श्रीमान् । पिछले कुछ वर्षों के मध्य, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जाँच समिति द्वारा यथा गठित, एकाधिकार गृहों की परिसम्पत्तियों में सामान्यतः वृद्धि हुई हैं ।

(ख) परिसम्पत्तियों में वृद्धि कई उचित कारणों नामशः आरक्षित उधार ग्रहण और प्रदत्त पूंजी में वृद्धि के कारण हुई है ।

M/s. Globe Motors, Delhi

2028. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether M/s. Globe Motors, Delhi, whose office was located at Jhandewalan, New Delhi, and who had collected large deposit from the public, no longer have their office there and a large number of people are greatly perturbed on this account;

(b) if so, whether Government are aware about the present location of their office and

(c) the attempts being made by Government to ensure the refund of the deposits of the people in time ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affai

(Shri D. R. Chavan) : (a) and (b) : The Globe Motors Limited gave notices under section 146 of the Companies Act to the Registrar of Companies, New Delhi, of change of the situation of its registered office from 1/11, Jhandewalan, New Delhi, to 10, Ranibagh, Old Rohtak Road, Delhi, with effect from 26-10-1972, and from the latter place to G-14, N.D.S.E , part II, New Delhi 49, with effect from 30-10-1972.

(c) The company had paid four instalments to its depositors covering 50 p. c. of the amount of deposits as per the scheme of arrangement sanctioned by the High Court.

आनन्द बाजार पत्रिका के नाम बकाया ऋण

2030. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री 4 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1218 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1972 तक मैसर्स आनन्द बाजार पत्रिका, प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता पर अदायगी हेतु ऋण की कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) क्या 1 जनवरी, 1970 और 1 जनवरी, 1973 के बीच इस कम्पनी को नया ऋण दिया गया था; और यदि हाँ, तो उसकी राशि कितनी है और इस नए ऋण का किस प्रकार विनियोजित किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी द्वारा कितना नई कम्पनियां चलाई गई; और

(घ) इन नई कम्पनियों में से प्रत्येक कम्पनी का मुख्य व्यापार और धन का स्रोत क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) से (घ) : सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

Fake Companies in Bihar

2031. **Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Law. Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of companies in Bihar functioning under the Companies Act at present;

(b) whether Government have also advanced loans to the companies and if so, the amount of loan advanced; and

(c) whether some of the companies have been found to be fake and if so, their names and the action taken against those indulging in such frauds as also the action taken by Government to check such frauds ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri D. R. Chavan) : (a) Four hundred and Eighty-five companies, limited by shares, registered under the Companies Act were at work in the State of Bihar as on 30th September, 1972.

(b) The information is not readily available with the Department of Company Affairs.

(c) The Department of Company Affairs has no information.

शा वैलेस एण्ड कम्पनी के शेयरों की खरीद

2032. **श्री श्यामसुन्दर महापात्र :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शा वैलेस कम्पनी के शेयरों की खरीद तीन वर्षों से रुकी हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत में इस कम्पनी के सबसे अधिक शेयर किसके पास हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) : कम्पनी विधि बोर्ड ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 250 (4) के अन्तर्गत, यह घोषणा करते हुए एक आदेश पारित किया है कि मैसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड में, निम्नलिखित चार निगम निकायों द्वारा धारित हिस्सों का कोई अन्तरण, 18 दिसम्बर, 1972 से तीन वर्ष की अवधि तक लागू नहीं होगा।

1—आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लि० (2,20,999 साम्य हिस्से)

2—शा डर्बी एण्ड कम्पनी लि० (58,666 साम्य हिस्से)

3—शा स्कार एण्ड कम्पनी लि० (60,000 साम्य हिस्से)

4—थामस राइस मिलिंग कम्पनी लि० (46,666 साम्य हिस्से)

उपरोक्त चार निगम निकायों, जिनके विरुद्ध आदेश पारित किये गये हैं, के इस कम्पनी में लगभग 39 प्रतिशत हिस्से हैं। यह आदेश इस आशंका के कारण पारित किया गया है कि इस समूह धारिता में कुछ ऐसे अन्तरण की संभावना थी, जिससे कम्पनी के निदेशक मंडल में ऐसे परिवर्तन हो सकते थे, जो कम्पनी के हितों के विरुद्ध हों।

(ग) कम्पनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास मिसिल की गई नवीनतम वार्षिक विवरणों के अनुसार, इसके तीन शीर्षस्थ भारतीय हिस्सेधारी निम्न प्रकार हैं—

1 — मर्केन्टाइल बैंक एजेंसी प्राइवेट लि०, कलकत्ता, 66,666 हिस्से

2 — भारतीय जीवन बीमा निगम, 55,200 हिस्से

3 — यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया 45,821 हिस्से

शा वैलेस एण्ड कम्पनी के शेयरों की खरीद

2033. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के० एक श्री कल्याण के० बसु द्वारा इंगलैंड में शा वैलेस एण्ड के कम्पनी के बड़ी सख्या में शेयरों की संख्या की खरीद के बारे में जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) : प्रवर्तन निदेशालय इस बारे में कुछ जांच-पड़ताल कर रहा है। इससे परिणाम की जानकारी में कुछ अधिक समय लग सकता है।

सफदरजंग उपरि-पुल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री

2034. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में सफदरजंग उपरिपुल के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के बारे में कोई जांच की है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) रेलवे लाइन के ऊपर पुल खास का निर्माण रेलवे कर रही है जबकि दोनों ओर के पहुँच मार्गों का निर्माण नयी दिल्ली नगरपालिका द्वारा किया जा रहा है । रेलवे के हिस्से के काम में प्रयुक्त सामान के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं मिली है । अत कोई जांच पड़ताल नहीं की गयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली से हावड़ा के लिए बुक की गई वस्तुओं को वास्तविक तोल से कम दिखाना

2035. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972 में दिल्ली स्टेशन के पार्सल कर्मचारियों द्वारा दिल्ली स्टेशन से हावड़ा के लिए बुक किए गए ताजे मटर और गाजर की पेटियों को वास्तविक तोल से कम दिखाने के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो, रेलवे सुरक्षा दल शाखा, उत्तर रेलवे ने जाँच के आदेश दिए थे;

(ख) क्या जांच पूरी कर ली गई है और प्रतिवेदन प्राप्त हो गए हैं तथा प्रशासन द्वारा उन पर विचार कर लिया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के उद्देश्य से उत्तर रेलवे का वाणिज्यिक विभाग जांच-रिपोर्ट की छानबीन कर रहा है ।

फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर की कोचीन डिवीजन के दोषों के बारे में जांच

2036. **श्री वयालार रवि** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड ट्रावनकोर की कोचीन डिवीजन की निर्माण पद्धति में मुख्य निर्माण दोष रहे हैं और गत डेढ़ वर्ष के दौरान प्रयत्न करने के बावजूद भी दोष दूर नहीं किये गये हैं;

(ख) क्या उत्पादन में दो वर्ष का विलम्ब हो गया है जिसके परिणामस्वरूप 25 करोड़ रुपये के उत्पादन की वार्षिक हानि हुई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार संयंत्र की वर्तमान हालत की पूरी जांच करने का है; यदि हां, तो जाँच की शर्तें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : जुलाई 1971 में संयंत्र को यांत्रिक रूप से पूरा कर लिया गया था और पूर्व परिचालन परीक्षणों के दौरान रिफार्म गैस मेन्ज में कुछ निर्माण संबंधी त्रुटियां पाई गई थीं । उन त्रुटियों को अब ठीक कर लिया गया है लेकिन उसके बाद कुछ अनपेक्षित समस्याओं तथा मुख्य रूप से आयातित उपकरणों की यांत्रिक विफलताओं के कारण संयंत्र को तुरन्त चालू नहीं किया जा सका । परिचालन में विलम्ब होने के कारण उत्पादन में 165,000 मीटरी टन यूरिया कम होने का अनुमान है । यह इस आधार पर है कि एक उर्वरक संयंत्र परिचालन के प्रथम वर्ष में अपनी क्षमता के 50% पर कार्य करेगा ।

(ग) अनेक समस्याओं का जिनके कारण संयंत्र के परिचालन में विलम्ब हुआ, सावधानी से

पता लगा लिया गया है तथा उनको दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गये हैं या उठाए जा रहे हैं। इस अवस्था में कोई अन्य जांच पड़ताल करनी आवश्यक प्रतीत नहीं होती।

खराब इंजनों के कारण वस्तुओं को लाने ले जाने में विलम्ब

2037. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में डीजल-चालित, भाप-चालित और विद्युत-चालित इंजिन चालू स्थिति में नहीं हैं;

(ख) क्या वस्तुओं के लाने ले जाने में विलम्ब होने के कारणों में से एक कारण यह भी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इंजनों की खराबी को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भाप और डीजल इंजनों के सम्बन्ध में जो इंजन चालू हालत में नहीं होते, उनकी संख्या आम तौर पर मरम्मत करने के लिए अनुमत छूट और निवारक अनुरक्षण अनुसूचियों के अन्तर्गत आ जाती है।

बिजली की उन इंजनों की संख्या भी, जो चालू हालत में नहीं होते, हैं, अनुमत छूट के अन्तर्गत आ जाती है सिवाय उसके जब कि दुर्घटनाओं में गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त इंजनों से अवरोध उत्पन्न हो जाता है जैसा कि पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर हुआ।

(ख) जी नहीं।

(ग) इंजनों के दोषों को दूर करना और मरम्मत कराना एक नियमित प्रक्रिया है। इसमें वे इंजन भी शामिल हैं जो दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और जिनकी मरम्मत के लिए विशेष उपाय किये जाते हैं।

रेलवे में भ्रष्टाचार को समाप्त करना

2038. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में सहायता देने के लिए कार्मिक संघ को विश्वास में लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) भ्रष्टाचार या कदाचार की किसी शिकायत या भ्रष्टाचार की रोक-थाम के लिए चलाये गये अभियान के सम्बन्ध में ट्रेड यूनियनों द्वारा सदाशयता से दिये गये सुझाव की जांच की जाती है और उन पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

(क) सरकार भारतीय रेलों पर भ्रष्टाचार की समस्या से पूरी तरह अवगत है। पिछले दो दशकों में दो उच्चाधिकार-प्राप्त समितियों ने रेलों पर भ्रष्टाचार की समस्या की जांच की थी।

भारतीय रेलों पर वर्तमान रूप में चौकसी संगठन की शुरूआत उपर्युक्त दो समितियों में से एक अर्थात रेलवे भ्रष्टाचार जाँच समिति, (कृपलानी समिति) की सिफारिशों के आधार पर की गयी थी, जिसमें 1953–55 में रेलों पर भ्रष्टाचार की समस्या की जांच की थी । दूसरी समिति, जिसे संथानम समिति कहते हैं, 1962 में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नियुक्त की गयी थी, ने रेलों सहित केन्द्रीय सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या का अध्ययन किया था । संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर रेलों पर चौकसी संगठन का पुनस्संगठन किया गया था और 1964–65 में उसे पर्याप्त रूप से सुदृढ़ कर दिया गया है ।

2. रेलों और रेलवे बोर्ड में चौकसी संगठन न केवल इसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर रेल कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और कदाचार के विरुद्ध जांच पड़ताल करता है बल्कि अलग से स्वयं और विशेष पुलिस स्थापना के सहयोग से रेल संचलन के उन विभिन्न पहलुओं की निवारक जांच भी करता है जिनमें भ्रष्ट तरीके अपनाने की संभावना रहती है । क्षेत्रीय रेलों और रेलवे बोर्ड में चौकसी संगठन विशेष पुलिस स्थापना से निकट सम्पर्क बनाये रखता है । राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध पेश किये गये मामलों में जांच पड़ताल और तदनुसार अनुशासनिक कार्रवाई को केन्द्रीय चौकसी आयोग के परामश से अन्तिम रूप दिया जाता है ।

3. इस संगठन द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 10,000 निवारक जांच की जाती है । इन जांच पड़तालों के दौरान संस्थापित कदाचारों और अनियमितताओं के विरुद्ध उत्तरदायी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अलावा चौकसी संगठन इन जाँच-पड़तालों में सामने लायी गयी कार्यविधि की त्रुटियों और नियमों में कमी की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान भी दिलाता है ताकि कदाचारों की गुंजाइश कम करने के लिए ये विभाग उन त्रुटियों को दूर करने और कमी को समाप्त करने के लिए कार्रवाई कर सकें ।

4. जांच की गतिविधियां चालू रखी जायेंगी ताकि भ्रष्टाचार के उन्मूलन के अन्तिम लक्ष्य के साथ चौकसी अभियान को प्रभावी रखा जा सके ।

दो टायर में सोने की सीटों की पुष्टि होने पर उनके बदले में यात्रियों को बैठने की सीटों का आबटन

2039. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षण कर्मचारियों द्वारा तैयार किए गए चार्ट के अनुसार जिस यात्री को दो टायर में सोने की सीट मिली होती है, किन्तु जो सोने की सीट का किराया देने से पूर्व, बैठने को सीट के लिए अनुरोध करता है, क्या उसे सोने की सीट के बजाय बैठने की सीट दे दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) शयनयानों में आरक्षण की पुष्टि के लिए यह आवश्यक है कि पहले यात्रा टिकट खरीदा जाये और आरक्षण शुल्क एवं शयनयान अधिप्रभार अदा किया जाये ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Scheme for Bihar for Protection from Floods in Punpun River

2040. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation & Power** be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have submitted an integrated scheme for protection from floods in the Punpun river and for irrigation;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) whether the Central Government have sanctioned funds for its implementation and if so, the quantum thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma): (a) No, Sir. The Government of Bihar have submitted only a scheme for protection from floods in the Punpun river.

(b) The scheme for protection from floods in the Punpun envisages construction of new embankments on both the banks of the river as well as its tributaries Dardha and Morhar in a total length of 198 km. In addition the existing embankments in a length of 28 km. are proposed to be raised and strengthened. The scheme also envisages provision of additional water-ways in the road and railway bridges near Fatwa. The scheme is estimated to cost Rs. 9.66 crores and will protect an area of 0.74 lakh ha.

(c) The scheme of embankment on the Punpun river is one of the priority flood control schemes in Bihar for which the Centre have agreed to provide special financial assistance outside the Plan during the last two years of the Fourth Plan. The scheme was recently examined by the Technical Advisory Committee of the Ganga Flood Control Commission when it was decided that some additional data should be collected and examined before the scheme is finalised. The Centre has not so far released any amount for the scheme as it is to be considered after the scheme is approved.

अस्पतालों में रेलवे के डाक्टरों द्वारा जीवन बचाने वाली दवाइयां देना

2041. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के डाक्टरों द्वारा अपने रोगियों के लिए, विशेषकर बहिरंग रोगियों के लिए बहुमूल्य दवाइयां नहीं दी जाती हैं और उनके स्थान पर उन जैसी दूसरी दवाइयां लिख दी जाती हैं;

(ख) क्या गत कुछ वर्षों में पूर्व रेलवे में दवाइयों पर होने वाला व्यय किफायत के तौर पर आधा रह गया है यद्यपि रोगियों की संख्या मे वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार पूर्व रेलवे के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में जीवन बचाने वाली दवाइयां रखेगी और क्या डाक्टरों को ऐसी दवाइयां उन रोगियों के लिए लिखने से मना नहीं किया जाएगा जिनके लिये वे आवश्यक होंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल कर्मचारियों को स्नातक कक्षाओं तक शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

2042. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों द्वारा उच्चतर माध्यमिक/प्री यूनिवर्सिटी आई० ए०/आई० एस० सी० के द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष तक अदा किये जाने वाले शिक्षा शुल्क की रेल कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ख) क्या सरकार का रेल कर्मचारियों के बच्चों द्वारा स्नातक कक्षा तक दिये जाने वाले शिक्षा शुल्क की रेल कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना के लिए सहायता

2043. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना को केन्द्रीय सरकार से विशेष सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार अपर कृष्णा परियोजना के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) इस वर्ष के दौरान नागार्जुनसागर परियोजना के लिए कोई विशेष केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) : देश में कुछ चुनी हुई बृहत् सिंचाई परियोजनाओं, जिनके निर्माण से अगले तीन वर्षों में पर्याप्त अतिरिक्त सिंचाई शक्यता पैदा करने में मदद मिल सकती है; के कार्य में तेजी लाने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है। अपर कृष्णा उन परियोजनाओं में से एक परियोजना है जिनकी जांच की जा रही है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की रेलवे कालोनी में बड़ी-बड़ी सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबन्ध

2044. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की रेलवे कालोनी को वहां दीवारें खड़ी करके और नाले खोद कर पृथक करने का निर्णय लिया है; और

(ख) क्या सभी नागरिकों और रेल कर्मचारियों के लिए उक्त रेलवे कालोनी में प्रवेश करने और वहां बड़ी-बड़ी सभाएं करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं। लेकिन, चितरंजन बस्ती के चारों तरफ चहारदीवारी और खाइयों की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि चोरी और लूट-पाट के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सके।

(ख) जी नहीं। लेकिन, चूंकि चितरंजन पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षक अधिनियम, 1970 के अधीन एक संरक्षित स्थान है, इसलिए वहां प्रवेश और निर्गम अनुज्ञा-पत्रों द्वारा विनियमित होता है। आम सभाओं के आयोजन के लिए भी अनुमति लेना अपेक्षित है।

दिल्ली क्षेत्र (उत्तर रेलवे) में क्वार्टरों का निर्माण और उनका कर्मचारियों को आवंटन

2045. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली क्षेत्र में कितने रेल कर्मचारियों के नाम सरकारी आवास के आवंटन के लिए

विभिन्न वरीयता सूचियों में अलग-अलग दर्ज हैं, और प्रत्येक सूची में अन्तिम व्यक्ति इसके लिए कब से प्रतीक्षा कर रहा है ?

(ख) दिल्ली क्षेत्र में 1972-73 में कितने क्वार्टर बनाए गये और 1973-74 में कितने क्वार्टर बनाए जायेंगे और दिल्ली क्षेत्र में निर्माण कार्य तेज करने के लिए क्या अतिरिक्त उपाय किए गए हैं; और

(ग) दिल्ली क्षेत्र में इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा आवास न दिए जाने के कारण कितना मकान किराया भत्ता प्रति वर्ष दिया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) कोटि	20-2-1973 को रंजीकृत कर्मचारियों की कुल संख्या		अग्रता सूची में अन्तिम व्यक्ति के पंजीकरण की तारीख					
			अनिवार्य			गैर अनिवार्य		
	अनिवार्य	गैर अनिवार्य	टाइप III और इससे ऊपर के लिए	टाइप II के लिए	टाइप I के लिए	टाइप III और इससे ऊपर के लिए	टाइप II के लिए	टाइप I के लिए
1. तृतीय श्रेणी	3340	10795	जनवरी 72	मई 65	लागू नहीं	जून 68	दिसम्बर 52	लागू नहीं
2. चतुर्थ श्रेणी	4883	5174	लागू नहीं	लागू नहीं	नवम्बर 62	लागू नहीं	लागू नहीं	सितम्बर 54

(ख)	तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
	नय	बदलाव	नय	बदलाव
(i) 1972-73 में बनाये गये क्वार्टर	39	32	175	32
(ii) 1972-73 में निर्माणाधीन क्वार्टर	236	—	96	160
(iii) 1973-74 में बनाये जाने वाले प्रस्तावित क्वार्टर	32	16	32	256

क्वार्टरों के निर्माण की योजना धन की उपलब्धता के अनुसार बनायी जाती है ।

(ग) लगभग 77 लाख रुपये वार्षिक ।

रेलवे सेंट्रल अस्पताल, नई दिल्ली में सफाई वाली द्वारा प्रसूति कराना

2046. **श्री राजदेव सिंह** : क्या रेल मंत्री रेलवे सैंट्रल अस्पताल, नई दिल्ली में प्रसूति के मामले में मेहतरानी द्वारा दाई का काम करने के बारे में 29 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3918 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी हो चुकी है और यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ख) दोषी पाए गए अस्पताल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या उपाय किए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हाँ। जांच से यह पता चला है कि श्री मंगू राम की धर्मपत्नी श्रीमती गुलजारी के मामले में प्रसव, एमिसिआटोमी आपरेशन,

स्टिचिंग और टीके लगाने का सारा काम अर्हता प्राप्त नर्स द्वारा स्वयं किया गया था और इनमें सफाई वाली का कोई काम नहीं था। इससे पहले, रोगिणी के दाखिल होने के बाद महिला डाक्टर ने यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी जाँच की थी कि यह मामला सामान्य प्रसव का है। प्रसूति के सामान्य मामलों में प्रसव कराने के लिए प्रशिक्षित नर्स सक्षम है।

(ख) जी नहीं।

(ग) फिर भी, इन अनुदेशों को फिर से दुहराने के लिए कार्रवाई की गयी है कि प्राधिकृत कर्मचारियों से भिन्न कोई अन्य कर्मचारी किसी प्रकार का इलाज करने का प्रयास न करें।

Overtime Allowance to Pump Drivers for Additional Duty Hours, Danapur Division (Eastern Railway)

2047. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether pump Drivers working in the Danapur Division are put on 12 hours' duty;

(b) whether Khalasis working in their place are given overtime allowance after 8 hours' duty;

(c) if so, whether Government propose to give overtime allowance to the Pump Drivers also, and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : a) The Pump Drivers working in the Danapur Division when required to operate one or more pumps situated close-by are classified as 'Essentially Intermittent' and put on 12 hours' daily duty roster, while other such staff operating a number of pumps situated at different places are classified as 'Continuous' and put on 8 hours' daily duty roster in accordance with the provisions of the Hours of Employment Regulations.

(b) Yes.

(c) Under the existing rules, the classification of the relieving staff for purposes of hours of employment and overtime payment should follow the same classification as has been assigned to the staff whom he relieves for the major portion of the week and when the period is equally divided, the relieving staff is to be treated as 'Continuous'. Therefore, it was irregular to grant the Khalasis overtime without regard to the above regulation. Steps are being taken to ensure that these provisions are correctly observed in the case of Khalasis posted to work against the Pump Drivers working in the Danapur Division.

Over-Bridge at Gaya Railway Station in Danapur Division

2048. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have been requested to construct another over-bridge at Gaya Railway Station in Danapur Division;

(b) whether Government are aware of the inconvenience experienced by passengers on account of only one bridge there; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) : Yes.

(c) Proposal for provision of a second foot over-bridge at Gaya Station has already been included in the budget for 1973-74 for execution.

'संसद सदस्य द्वारा उर्वरक निगम के निदेशकों की कटु आलोचना

2049. **श्री चन्द्र शैलानी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 सितम्बर, 1972 के समाचार पत्र 'दि टाइम्स ग्राफ इंडिया' में '2 ससद सदस्यों द्वारा उर्वरक निगम के निदेशकों की कटु ग्रालोचना' शीर्षक के ग्रन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उसमें लगाये गये ग्रारोपों की जांच की गई है; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; ग्रौर

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम ग्रौर रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रौर (ग) : उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित बिभिन्न बातों पर जाच की जा रही है ।

रेलवे ग्रधिकारियों के प्रयोग के लिए "सैलून कारें"

2050. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे ग्रधिकारियों के प्रयोग के लिए 31 दिसबम्र, 1972 को सारे देश में कितनी सैलून कारें थीं ;

(ख) ग्रधिकारियों की ये सैलून कारें 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक कुल कितने मील चलीं ; ग्रौर

(ग) इनका प्रयोग किस वर्ग के ग्रधिकारियों द्वारा ग्रौर किस प्रयोजन के लिए किया गया ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 31-3-1972 को बोगी निरीक्षण-यानों की संख्या लगभग इस प्रकार थी :

बड़ी लाइन	132
मीटर लाइन	162
छोटी लाइन	36

इनके ग्रतिरिक्त, भारतीय रेलों पर ग्रनेक निरीक्षण यान हैं जिनकी संख्या मालूम की जा रही है ।

(ख) ग्रौर (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है ग्रौर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वोत्तर रेलवे के गार्डों द्वारा नियमानुसार कार्य करने का नोटिस

2051. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 1973 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "नार्थ इस्टर्न रेलवे गार्डस टू वर्क टू रूल" शीर्षक के ग्रन्तर्गत छपे समाचार की ग्रोर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के गार्डों ने "नियमानुसार" काम करना ग्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रपने नोटिस में गार्डों ने क्या मांगें रखी हैं ;

(ग) गार्डों के इस निर्णय से रेलवे के कौन से डिवीजन प्रभावित हुए हैं ; ग्रौर

(घ) सरकार गार्डों की मांगें किस प्रकार पूरी करेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हाँ ।

(ख) ग्रमान्यता प्राप्त ग्राल इंडिया गार्डस कौंसिल द्वारा की गयी मुख्य मांगों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ग) इस रेलवे के सभी मण्डल।

(घ) ऐसे प्रश्न मान्यता प्राप्त श्रम संगठनों द्वारा समय-समय पर उठाये जाते हैं तथा विभिन्न स्तरों पर वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र की बैठकों में विचार-विमर्श द्वारा सुलझाये जाते हैं।

विवरण

पूर्वोत्तर रेलवे की आल इंडिया गार्डस कौंसिल द्वारा की गयी प्रमुख मांगों की सूची

(1) स्टेशन मास्टर और खजांची के बीच रुपये पैसे का सीधा लेन देन और मंडल मुख्यालयों में तिजोरी सम्हालना।

(2) एस० क्यू० टी० गार्डों के लिए समेकित किलोमीटर भत्ता।

(3) चलती गाड़ियों में और यार्डों में चोरी की जिम्मेदारी गार्डों पर से हटाना और भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत रेलवे सुरक्षा दल के अधिकारियों द्वारा अनुचित रूप से परेशान किया जाना।

(4) मंडल-वार गाड़ी संचालन और तदनुसार कर्मचारियों की संख्या निश्चित करना।

(5) दोहरे कर्मचारियों वाली सभी गाड़ियों में साज-सामान से लैस क्रू-यानों की व्यवस्था।

(6) अनिवार्य कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था और गार्डों के पूल के मकान केवल गार्डों को देना।

(7) पिछले दो वर्षों से देय वर्दी की सप्लाई।

(8) छुट्टी एवजी गार्डों की प्रतीक्षा-ड्यूटी भत्ता और जब प्रशासनिक कारणों से गाड़ी अथवा बुकिंग रद्द कर दी जाये, तो सभी गार्डों को न्यूनतम किलोमीटर का पूरा भत्ता।

(9) उन गार्डों के आश्रितों के लिए नौकरी की व्यवस्था करना जो सेवा-निवृत्ति की तारीख से पहले मर जाएं।

कुकिंग गैस का उत्पादन बढ़ाने के उपाय

2052. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगामी दो वर्षों में देश में कुकिंग गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जायेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : देश में शोधनशालाओं में कुकिंग गैस या तरल पैट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.) का उत्पादन शनैः शनैः बढ़ रहा है। 1971 में उत्पादन 195,000 मीटरी टन और 1972 में 227,000 मीटरी टन था। 1973 में इसके उत्पादन के 280,000 मीटरी टन हो जाने का पूर्वानुमान है। 1973 में कोचीन शोधनशाला, जो कि अब तक एल. पी. जी. का उत्पादन नहीं कर रही थी, ने 28,000 मीटरी टन तक एल. पी. जी. उत्पादन के लिए सहूलियतें स्थापित कर दी हैं। एल. पी. जी. के मार्केटिंग में दिक्कतों में एक मुख्य कारण है, सिलिंडरों की अनुपलब्धि। फिर भी, प्रयत्न ऐसा किया जा रहा है कि एल. पी. जी. जितना सम्भव हो सके उतनी संख्या में उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सके।

सेवा निवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति या उनका पुर्नानियोजन

2053. **श्री शशि भूषण :**

श्री बी० आर० शुक्ला :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में उच्च न्यायपालिका के कितने और कौन-कौन से न्यायाधीशों को उनकी सेवा निवृत्ति के बाद लाभ के पदों पर नियुक्त किया गया या पुर्नानियोजन किया गया और उन्हें दिए गए पदों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ऐसे पदों पर न्यायाधीशों को लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार की नियुक्तियों पर सरकार का प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों के नाम, जिन्हें दिसम्बर, 1972 के आरम्भ तक पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कार्य सौंपे गए हैं तथा उन्हें सौंपे गए कार्यों के ब्यौरे और उन कार्यों की अवधि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 4394/73]**

(ख) सेवा-निवृत्त न्याय धीशों को आमतौर पर ऐसे पदों पर नियुक्त किया जाता है, जिनका सम्बन्ध न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्रकार के कार्यों से होता है। ऐसे पदों के लिए सेवारत न्यायाधीशों की सेवाएं प्राप्त करना हमेशा संभव नहीं होता और उच्च न्यायालयों में बकाया पड़े मुकदमों को देखते हुए, ऐसा करना हमेशा वांछनीय भी नहीं होता है।

(ग) और (घ) : जी नहीं। यदि न्यायाधीशों के पुनर्नियोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो ऊपर (ख) में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए जांचों, न्यायाधिकरणों, आदि के लिए उनके परिपक्व न्यायिक अनुभव का, जिसकी अक्सर आवश्यकता होती है, उपयोग कर सकना संभव नहीं होगा।

रेलवे स्टेशनों पर अपराधों की रोकथाम के लिए पर्याप्त पुलिस का न होना

2054. **श्री शशि भूषण :**

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक दिसम्बर, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "नाट एनफ पुलिसमैन टु चेक क्राइम्स ऐट रेलवे स्टेशनों (रेलवे स्टेशनों पर अपराधों की रोकथाम के लिए पर्याप्त पुलिस का न होना) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के अपराधों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(ग) अपराधों की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर अपराधों में वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) पुलिस अपने अधिकारों के अन्तर्गत निवारक उपायों के द्वारा अपराधों की रोक-थाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करती है। गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान के समय प्लेटफार्मों पर पुलिस के सिपाही तैनात किये जाते हैं।

बार-बार गश्त लगाने के अतिरिक्त, जाने-माने अपराधियों की गतिविधियों की रोक-थाम करने तथा अपराधों को नियंत्रण में रखने के लिए संसाधनों की उपयोग तथा आसूचना आदि एकत्रीकरण कार्य भी किये जा रहे हैं।

मथुरा तेल शोधक कारखाना

2055. **श्री शशि भूषण :**

डा० हरी प्रसाद शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा में प्रस्तावित तेल शोधक कारखाने का निर्माण इस समय किस अवस्था में है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन हेतु स्थान का चयन इस बीच कर लिया गया है और यदि हां, तो उसका नाम क्या है ; और

(ग) परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या प्रभावशाली कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : मथुरा में प्रस्तावित तेल शोधनशाला के लिए स्थान चुन लिया गया है। यह मथुरा से भेनसा गाँव तक की बड़ी रेलवे लाइन पर बड़े रेलवे स्टेशन के दक्षिण की ओर स्थित है।

सर्वेक्षण भूमि की जांच पानी की सप्लाई आदि के बारे में अग्रिम कार्यवाही करने के लिए कदम उठाये गये हैं। राज्य सरकार से भूमि का अर्जन करने का अनुरोध किया गया है। प्रारम्भिक प्रक्रिया योजनाएं तैयार करने से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है। विभिन्न संबंधित संस्थाओं के परामर्श से परियोजना की कार्यान्वित की पद्धति तैयार की जा रही है। भूमि का अर्जन किये जाने और परियोजना की कार्यान्वित की पद्धति को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

मेल एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के इंजन चालकों की विश्राम की अवधि

2056. **श्री दिनेश जोरदार** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह स्टैण्डर्ड क्या है जिसके अनुसार रेल कर्मचारियों का "इनटैन्सिव" के रूप में वर्गीकरण किया जाता है ;

(ख) क्या इंजन के कर्मी दल को "इनटैन्सिव" घोषित किया गया है और यदि हाँ, तो रेलवे-वार, उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या एक बार ड्यूटी के लिए हस्ताक्षर कर देने के पश्चात् मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों के इंजन के कर्मी दल को कुछ विश्राम दिया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 71 क (घ) के अनुसार, यदि रेल कर्मचारी का काम इतना श्रमसाध्य हो कि उसे

निरन्तर अपना ध्यान केन्द्रित रखना पड़े अथवा कठिन शारीरिक श्रम करना पड़े और विश्राम के लिए बहुत कम अथवा बिल्कुल समय न हो तो उसे "गहन" कोटि में रखा जाता है। इसके अलावा, इसमें दो बातें और होनी चाहिए (i) काम श्रमसाध्य किस्म का हो जिससे मानसिक अथवा शारीरिक तनाव हो और (ii) इस तरह के काम में कर्मचारी निरन्तर लगा हो और उसमें विश्राम के लिए बहुत कम अथवा बिल्कुल समय न हो। इस मामले की जाँच करने वाले न्यान-निर्णायक का कहना है कि रनिंग ड्यूटी के बीच-बीच में विश्राम मिलता रहता है और कर्मचारियों को "गहन" कोटि में रखने के लिए निर्धारित शर्तें रनिंग कर्मचारियों के मामले में पूरी नहीं होती। तदनुसार इंजन कर्मी दल को "गहन" घोषित नहीं किया गया है।

पांचवें साधारण निर्वाचन के बारे में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट

2057. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971–72 में हुए पांचवें साधारण निर्वाचन के बारे में निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उन पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट 27 फरवरी, 1973 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी।

(ग) सिफारिशों की जांच की जा रही है।

फरवरी 1973 में नई दिल्ली में हुआ अन्तर्राष्ट्रीय रेल सम्मेलन

2058. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 फरवरी, 1973 को नई दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय रेल सम्मेलन में पाकिस्तान ने भाग नहीं लिया था ;

(ख) सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था ; और

(ग) सम्मेलन में किन विषयों पर चर्चा हुई थी और क्या निर्णय लिए गये थे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी) : (क) से (ग) : रेलों के अन्तर्राष्ट्रीय संघ (यू० आई० सी०)/अन्तर्राष्ट्रीय रेलवे कांग्रेस संगठन (आई० आर० सी० ए०) के तदर्थ दल की एक बैठक 5 और 6 फरवरी, 1973 को नयी दिल्ली में हुई थी। पाकिस्तान ने इस बैठक में भाग नहीं लिया।

यू० आई० सी० और आई० आर० सी० ए० के महासचिवों तथा लेटिन अमरीकन रेलवे संगठन के एक प्रतिनिधि के अतिरिक्त, भारत सहित तीन देशों ने इस बैठक में भाग लिया।

यह बैठक रेलवे सम्बन्धी ज्ञान के आदान प्रदान विषय पर 6 जून 1972 को पैरिस में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी के निष्कर्षों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में बुलायी गयी थी । नयी दिल्ली में आयोजित बैठक में सभी रेलों को भेजने के लिए एक प्रश्नावली बनायी गयी थी ताकि उनकी प्रतिक्रिया जानी जा सके तथा रेलवे सम्बन्धी ज्ञान के आदान प्रदान का लक्ष्य प्राप्त करने के साधनों और तरीकों को अन्तिम रूप दिया जा सके ।

रेल गाड़ी के डिब्बों की हालतों के बारे में राय

2059. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री के० लकप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन लाख से भी अधिक रेलवे यात्रियों ने नवम्बर, 1972 में सुझाव पुस्तकों में रेल गाड़ी के डिब्बों की हालतों के बारे में अपने सुझाव दिए हैं ;

(ख) क्या रेलवे ने उपचारात्मक कार्यवाही को सुविधाजनक बनाने हेतु यात्रियों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करने की व्यवस्था सितम्बर, 1971 में लागू की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है और इससे रेलवे तथा यात्रियों को कहां तक लाभ पहुँचा है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) नवम्बर 1972 में 35,094 यात्रियों ने सम्मत्ति पुस्तिकाओं में अपनी सम्मत्ति दर्ज की, लेकिन अप्रेल, 1972 से नवम्बर, 1972 तक की अवधि में (जिसमें दोनों महीने शामिल हैं 3 लाख से भी अधिक रेल यात्रियों ने सम्मत्ति पुस्तिकाओं में अपनी सम्मत्ति दर्ज की ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस योजना का मुख्य प्रयोजन यह है कि जिन सवारी डिब्बों से यात्रियों को यात्रा के लिए बुक किया गया था उनकी सफाई के बारे में और सुविधा फिटिंगों आदि के सही होने के बारे में "ग्राहकों" की राय मालूम की जाए ताकि अधिकाधिक सुधरी हुई सेवाओं की व्यवस्था की जा सके । सम्मत्ति पुस्तिकाओं के आधार पर, जिनका अध्ययन डिपो अधिकारी. डिपो पर्यवेक्षण कर्मचारी और अधिकारियों के स्तर पर किया जाता है तथा जिनकी रेलों के प्रशासी स्तर पर समीक्षा की जाती है, दर्ज किये गये सुझावों के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है ।

पंजाब में ताप बिजलीघर की स्थापना

2060. **श्री राम प्रकाश** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में एक नया ताप बिजलीघर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो बिजली घर के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) पंजाब में एक नये ताप केन्द्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बिजलीघरों द्वारा जल का उपयोग

2061. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों से सम्बद्ध प्रत्येक जलागार में कितनी मात्रा में पानी रहा; और

(ख) इस अवधि में प्रत्येक बिजलीघर द्वारा विद्युत प्रजनन के लिए कुल कितनी मात्रा में जल का उपयोग किया गया ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) गत तीन वर्षों में बृहद् जल-विद्युत् परियोजनाओं के जल-विद्युत् जलाशयों में संचय किए गए जल का अधिकतम परिमाण निम्न प्रकार है :

परियोजना का नाम	1970–71	1971–72	1972–73
	(ये आंकड़े मिलियन घन मीटरों में सक्रिय जल संचय क्षमता सूचित करते हैं)		
भाखड़ा	4460	6770	3880
गांधी सागर*	6140	6640	4240
रिहंद*	4100	8970	6800
शारावथी*	4275	3310	2365
हीराकुंड	5820	5820	5820
कोयना*	1868	1891	1650

(ख) गत तीन वर्षों में उपर्युक्त विद्युत् घरों द्वारा समुपयोजित जल की कुल मात्रा लगभग यह है :

(मिलियन घन मीटरों में आंकड़े)

	1970-71	19771–72	1972–73
भाखड़ा	11150	12000	1972–73 के लिए आंकड़े मार्च, 1973 की समाप्ति के बाद उपलब्ध होंगे।
गाँधी सागर	3545	4370	
रिहंद	6250	7060	
शारावथी	34:0	3670	
हीराकुंड	8710	9730	
कोयना	2980	3215	

उपर्युक्त जल समुपयोजन में मानसून की समाप्ति पर जलाशयों में संचय तथा मानसून पश्चात् प्रवाह भी शामिल है।

नोट : (क) के संबंध में सूचित की गई सक्रिय संचित क्षमता उन वर्षों में जलाशय के अधिकतम स्तर के समान है। जहां तक (ख) का संबंध है, समुपयोजित जल के परिमाण की गणना करीब-करीब उनमें सूचित किए वर्षों के दौरान परियोजना से वास्तविक उत्पादन के आंकड़ों से की गई है।

*सक्रिय जल संचय के अंतर्गत अच्छी वर्षा वाले वर्षों में उपलब्ध जल को कम वर्षा वाले वर्षों के लिए तक उठा रखने के लिए सुरक्षित (कैरी ओवर) संचय भी शामिल है।

उड़ीसा में खनन उद्योग को माल डिब्बों की सप्लाई के बारे में उड़ीसा सरकार का अभ्यावेदन

2062. **श्री देवेन्द्र सत्पथी :**

श्री सुरेन्द्र महन्ती :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल डिब्बों की सप्लाई के अभाव के कारण उड़ीसा में खनन उद्योग को धक्का पहुंचा है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि खनिज उत्पादों के ढोने के लिए पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे सप्लाई किये जाये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) इस मंत्रालय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) उड़ीसा में अयस्कों के लदान के लिए माल डिब्बों की सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास किये गये हैं। लेकिन वास्तविक लदान भिन्न-भिन्न बन्दरगाहों से निर्यात तथा इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। निर्यात और इस्पात कारखानों की माँगें पूर्णतः पूरी की जा रही हैं।

माल डिब्बों का निर्माण करने की क्षमता और उनकी आवश्यकता

2063. **श्री सतपाल कपूर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मालडिब्बों की वर्तमान आवश्यकता कितनी है;

(ख) देश में गत तीन वर्षों में, वर्षवार मालडिब्बों की आवश्यकता की तुलना में इसकी स्थिति क्या है;

(ग) देश में माल डिब्बों के निर्माण की वर्तमान क्षमता कितनी है तथा वस्तुतः कितने माल डिब्बों का निर्माण हुआ है, और

(घ) माल डिब्बों की पूरी मांग करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और माल डिब्बों की पूरी मांग को कब तक पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : माल डिब्बों की आवश्यकताओं का अनुमान, योजना अवधि में यातायात की संभावित वृद्धि के आधार पर समूचे पाँच वर्ष की योजना अवधि के लिए लगाया जाता है। मध्यावधि जानकारी के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, चौपहियों के हिसाब से मालडिब्बों की कुल संख्या 5,21,056 हो जाने की संभावना है जबकि चौथी योजना के शुरू में यह संख्या 4,85,022 थी।

(ग) (i) जिन 13 माल डिब्बा निर्माताओं पर माल डिब्बों के आर्डर बकाया है उनकी वर्तमान स्थापित क्षमता, चौपहियों के हिसाब से 27,815 माल डिब्बों की है।

(ii) चौथी योजना की अवधि में निर्मित माल डिब्बों और रेलों को सुपुर्द किये गये माल डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :

वर्ष	प्राइवेट माल डिब्बा निर्माताओं द्वारा	रेलवे कारखानों द्वारा	जोड़
1969-70	12001.0	2917.0	14918.5
1970-71	8964.5	2160.5	11125.9
1971-72	6543.5	1989.0	8532.5
1972-73	7299.0	1493.5	8792.5

(जनवरी, 73 तक)

(घ) माल डिब्बों की मांगें पूर्णतः पूरी करने के लिए माल डिब्बों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(i) माल डिब्बों के लिए पर्याप्त अग्रिम आर्डर दिये गये हैं।

(ii) देशी इस्पात और पहिया सैटों की कमी आयात से पूरी की जाती है।

(iii) सैन्ट्रल बफर कपलर, रोलर बियरिंग धुरी बक्स आदि जैसे महत्वपूर्ण पुर्जों की उत्पादन के अनुसार पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है।

(iv) तीनों रेल कारखानों अर्थात अमृतसर (उत्तर रेलवे) गोल्डेन राक (दक्षिण रेलवे) और समस्तीपुर (पूर्वोतर रेलवे) में माल डिब्बों के उत्पाद का लक्ष्य प्रतिवर्ष चौपहियों के हिसाब से 2000 से बढ़ाकर 4000 कर दिया गया है।

यातायात की वृद्धि के साथ-साथ माल डिब्बों की आवश्यकता भी बढ़ती जायेगी। अतः अधिक मालडिब्बों की निरन्तर व्यवस्था करनी ही पड़ेगी।

विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा गैर आवश्यक उपभोक्ताओं वस्तुओं का निर्माण

2064. **श्री सतपाल कपूर :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ विदेशी औषध निर्माता कंपनियों ने श्रृंगार सामग्री तथा गैर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन विदेशी औषध निर्माता कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनको इस बारे में आवश्यक अनुमति दी थी; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं। एक भारतीय फर्म जिसमें कि 50 प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी लगी हुई है, के बारे में शिकायत थी कि वह एक औषधारिक्त मद की उत्पादन कर रही है।

(ख) विदेशी फर्मों के नाम (जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी लगी हुई है) जो औषधारिक्त मदों का उत्पादन कर रही है। नीचे दिये गये हैं :

फर्म का नाम	तैयार किये गये औषधारिक्त पदार्थ
एलकली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	पेन्ट्स, रबड़ कैमिकल्स, आर्गेनिक, फुगींसाइड, पोलिथिलीन, कास्टिक लीकर, तरल क्लोराइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एलफ्लीर वाटर ट्रीटमेंट, प्राडैक्ट्स, बी. एच. सी. टैकनीकल एवं तरल इनसैक्टीसाइड्स ।
बीचम	कासमेट्रिक
सीनामिड लि०	एनिमल फीड एवं पेस्टीसाइड्ज
ग्लैक्सो प्रयोगशाला लि०	फूड एण्ड लेबोरेटरी कैमिकल
जौनसन एण्ड जौनसन आफ इंडिया लि०	श्रृंगारिक वस्तुएं, औद्योगिक टैप्स पाउडर, सेनटरी प्रोडैक्टशन प्रौडक्ट, टूथ, ब्रस
मे एण्ड बेकर लि०	फोटोग्राफिक प्रोडैक्ट, प्रयोगशाला रसायन, उद्यान उत्पाद
फाइजर लि०	खाद्य पदार्थ और पशु खाद्य पूरक पदार्थ
रिचर्डसन एण्ड हिन्दुस्तान लि०	मैनथोल एण्ड पेपरमेंट आयल
सैनडोज इंडिया लि०	एग्रो कैमिकल्स डाइज एवं रसायन
स्मिथ एण्ड नेप-यू लि०	श्रृगारिक वस्तुएं
सीबा एण्ड आफ इंडिया लि०	टैक्सटाइल सहायक उत्पाद, पैस्टीसाइडज, दन्त मंजन पाउडर एवं क्रीम
बायर इंडिया लि०	इनसैक्टीसाइडज एण्ड पैस्टीसाइड्ज
बूट्स कं० लि०	पशु स्वास्थ्य उत्पाद
	कृषि रसायन उत्पाद
रैकिट एण्ड कोलमन आफ इंडिया लि०	बूट पालिस, फर्स एण्ड फर्नीचर पालिस-4, मेटल सिलिवा पालिस, टोलेटरीज, श्रृंगारिक वस्तुएं एलट्रामैराइन ब्ल्यू पाउडर एण्ड पेरल बारले
ई मर्क लि०	फाइन कैमिकल
चेसबोग पौन्ड्स	श्रृंगारिक वस्तुएं
सी लो थाई कारपोरेशन	,, ,,
बुरूस वैलकम एण्ड कं०	,, ,,
डैनटल प्रोडैक्ट्स आफ इंडिया	दन्त सामग्री

(ग) जी हां, दो फर्मों के अतिरिक्त

(घ) मामला विचाराधीन है ।

Cost of Wagons Manufactured in Public and Private Sectors

2065. **Shri Hari Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railway wagons are manufactured both in public and private sectors;

(b) if so, wagon manufacturing capacity in each sector and the production cost of a wagon of same type in each sector; and

(c) the reasons for the difference in cost thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Wagons are manufactured both in the Private Sector and in Railway Workshops.

(b) Wagon Manufacturing Capacity.

Private Sector : The total licensed capacity of the 16 units licensed for manufacture of wagons in the private sector, is 40869 wagons in terms of four wheelers. Their total installed capacity is 31059.

Railway Workshops : Wagons are manufactured in three Railway Workshops. The anticipated production of these three units in 1972-73 is 2000 wagons in terms of four wheelers. This is being stepped upto 4000 in 1973-74.

Production Cost : The basic prices at which contracts were placed on the private wagon builders and the actual average cost of manufacture in Railway Workshops for two common types of wagons pertaining to the last 3 years, are furnished below :

(1) BASIC PRICES AT WHICH CONTRACTS WERE PLACED ON PRIVATE WAGON BUILDERS.

(applicable to port town wagon builders).

	Programme year/base date.		
	1969-70 (1.4.68) Rs.	1970-71 (1.4.69) Rs.	1971-72 (1.4.70) Rs.
TYPE			
(a) BOX	52,400	56,400	63,500
(b) BCX	54,900	No order placed.	No order placed.

NOTE : In addition to the above basic prices, steel and wage escalations with respect to the base date are admissible.

(ii) **Average cost of Manufacture of Wagons in Railway Workshops.**

	Year of manufacture		
	1969-70 Rs.	1970-71 Rs.	1971-72 Rs.
TYPE			
(a) BOX	—	56,613	56,154
(b) BCX	55,889	59,446	—

(c) The prices at which contracts are placed on the private wagon builders are based on steel prices and wages pertaining on a particular date (base date). Escalations for steel prices and wages are admissible in addition to the basic prices. The price accepted by the private wagon builders naturally would include an element of profit. As regards the Railway Workshops, the figures indicated against each year represent the actual average costs incurred for the batches of wagons completed during that year, by the Railway Workshops. The cost of material, steel and components reflected in these figures would pertain to a period prior to the actual dates of completion. From the latest available cost figures of the Railway Workshops, it is seen that they are more or less in the same range as the costs paid to the private wagon builders.

बंगलौर में तिरुपति तक ब्राड गेज लाइन

2066. **श्री धर्मराव श्रफजलपुरकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर तिरुपति एक तक सीधी ब्राड गेज लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गत तीन वर्षों में आरम्भ की गई तथा पूरी की गई बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

2067. **श्री भोला मांझी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में कितनी बड़ी तथा मध्यम सिंचाई योजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) इनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : चौथी योजना में, पिछली योजनाओं से चली आ रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाती है । बहरहाल, पिछले तीन वर्षों में 11 बृहत् और 49 मध्यम नई सिंचाई स्कीमें स्वीकार की गई थीं । ये निर्माण की प्रारम्भिक अवस्थाओं में हैं और इनमें से अधिकतर पांचवीं योजना के दौरान पूर्ण हो जाएगी ।

(ग) लगभग 22 करोड़ रुपये ।

रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन

2068. **श्री भोला मांझी** :

श्री एच० एम० पटेल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रासायनिक उर्वरकों का कुल वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्रों द्वारा कितना उत्पादन किया गया; और

(ग) पांचवीं योजना के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी संयंत्रों द्वारा अलग-अलग कितने अतिरिक्त उर्वरक का उत्पादन किये जाने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क)

('000 मीटरी टनों में)

	1971–72	1972–73 (जनवरी 1973 तक)
नाइट्रोजन फास्फेट	952	875
फास्फेट	278	271

(ख)

('000 मीटरी टनों में)

	1971–72	1972–73 (जनवरी 1973 तक)
नाइट्रोजन	509	473
फास्फेट	208	179

(ग) 1978–79 तक उर्वरकों की आवश्यकताओं का अनुमान 5.2 मिलियन मीटरी टन नाइट्रो-

जन तथा 2.2 मिलियन मीटरी टन पी2 ओ5 है और इस आवश्यकता के पूरा करने के लिये उपयुक्त स्थानों पर उर्वरकों की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना करने हेतु अध्ययन किये जा रहे हैं। इस बारे में कुछ गैर-सरकारी उद्यमकर्ताओं से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

सम्बलपुर जिले में सिंचाई सुविधाओं के लिए विद्युत चालित पंपिंग सैट

2069. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बलपुर जिले में बरकोट से देवगढ़ तक पन-बिजली लाइनों के पास की कृषि भूमि में 1973–74 में सिंचाई सुविधाओं के लिए विद्युत चालित पम्प सेट दिए जाएंगे; और

(ख) क्या प्रेषण तथा वितरण लाइनों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है और इस उद्देश्य हेतु कार्य शुरू हो गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : जैसा कि उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है 1973–74 के लिए लिफ्ट सिंचाई बिन्दुओं के प्रतिष्ठापन के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और अभी तक इस क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई बिन्दुओं को बिजली की व्यवस्था करने के लिए वितरण लाइनें लगाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं तैयार किया गया है।

दिल्ली डिवीजन (उत्तर रेलवे) के असिस्टैंट स्टेशन मास्टरों के स्टेट ड्यूटी रोस्टर की क्रियान्विति

2070. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली डिवीजन में 130 से 240 रुपये के वेतनमान के कितने असिस्टैंट स्टेशन मास्टर गुडस में अर्हता प्राप्त की है;

(ख) क्या दिल्ली डिवीजन में असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों के स्टेट ड्यूटी रोस्टर को लागू करने के लिए यह संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि हां, तो स्टेट ड्यूटी रोस्टर को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 95

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर रेलवे में असिस्टैन्ट स्टेशन मास्टरों की 205–280 रुपये के स्टेशन मास्टर ग्रेड में पदोन्नति प्रणाली (कोर्स)

2071. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यम रेलवे में 205 से 280 रुपये के ग्रेड के असिस्टैन्ट स्टेशन मास्टरों के लिए 205 से 280 रुपये के ग्रेड के स्टेशन मास्टरों के पदों पर पदोन्नति के लिए कोई पदोन्नति प्रणाली (कोर्स) नहीं है;

(ख) क्या 205 से 280/– रुपये के असिस्टैन्ट स्टेशन मास्टरों तथा 205 से 280 रुपये के स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता मिलीजुली है; और

(ग) यदि हां, तो उत्तर रेलवे में पदोन्नति कोर्स निर्धारित किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) मध्य रेलवे पर 205–280 रुपये के वेतनमान में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों की वरिष्ठता मिली-जुली है लेकिन उत्तर रेलवे पर नहीं है।

(ग) अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति की सरणियां प्रत्येक रेल प्रशासन द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार तथा श्रम संगठनों के परामर्श से निर्धारित की जाती हैं। उत्तर रेलवे पर 205–280 रुपये के वेतनमान में सहायक स्टेशन मास्टरों की 205–280 रुपये के वेतनमान में स्टेशन मास्टर के पद पर नियुक्ति पदोन्नति मानी जाती है और इसलिए पदोन्नति पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है।

आसाम में अशोधित तेल का उत्पादन

2072. **श्री के० मालन्ना : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों से इस समय कितना अशोधित तेल निकलता है;

(ख) 1971–72 में तेल क्षेत्र से कितना अशोधित तल निकला;

(ग) इस क्षेत्र में इस समय कितने कुओं से तेल निकाला जा रहा है; और

(घ) क्या सरकार ने आसाम के तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस समय, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग असम तेल क्षेत्रों से प्रतिवर्ष 0.37 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल का उत्पादन कर रहा है।

(ख) वर्ष 1971–72 के दौरान, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के असम तेल क्षेत्रों से 0.332 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल का उत्पादन किया गया था।

(ग) इस समय ऐसे 52 कुएं हैं।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने असम तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल के उत्पादन की वृद्धि के लिए एक कार्यक्रम बनाया है; जिसमें वर्ष 1973–74 के दौरान 0.47 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल का उत्पादन तथा वर्ष 1977–78 तक 2.10 मिलियन मीटरी टन तक उत्पादन बढ़ाना निहित है।

हसन से मंगलौर तक ब्राड गेज रेल लाइन

2073. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हसन से मंगलौर तक ब्राड गेज रेल लाइन बिछाने का इस बीच निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : हसन से मंगलूर तक बड़ी लाइन बनाने के बारे में विचार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र लिया जायेगा।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्ति न्यायाधीश

2074. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत दो वर्षों में उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में नियुक्ति न्यायाधीशों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या इन न्यायालयों में कई पद रिक्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये पद किन तारीखों से रिक्त हैं और सरकार ने इन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में पिछले दो वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के नाम दर्शाने वाला विवरण और 1-3-1973 को इन न्यायालयों में से प्रत्येक में रिक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4395/73**]

(ग) सेवा निवृत्ति या न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप रिक्तियां विभिन्न तारीखों से हुई और इनमें से पूर्वतर तारीख 24-5-1971 है । कतिपय उच्च न्यायालयों में रिक्तियां भरने के प्रस्तावों को राष्ट्रपति ने अनुमोदित कर दिया है और नियुक्तियां शीघ्र ही अधिसूचित कर दी जाएंगी । कुछ अन्य रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं और उन पर कार्यवाही की जा रही है । राज्य प्राधिकारियों को, जिनसे अभी प्रस्ताव प्राप्त होने हैं, अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिए स्मरण करा दिया गया है ।

आगामी तीन वर्षों में अधिक रेल सैक्शनों का विद्युतीकरण

2075. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी तीन वर्षों में देश में कुछ और रेल सैक्शनों के विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में सभी रेलों के किन-किन सैक्शनों का विद्युतीकरण किया जायेगा ; और

(ग) विद्युतीकरण कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा और इस प्रयोजन हेतु सरकार ने कितनी धनराशि निर्धारित की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : चौथी योजना में शामिल निम्नलिखित खण्डों में काम हो रहा है । इन योजनाओं के पूरा होने की सम्भावित अवधि प्रत्येक के सामने दी गयी है :

खण्ड	पूरा होने की सम्भावित अवधि
1. विरार-अहमदाबाद (पश्चिम रेलवे)	1973-74
2. पांशकुड़ा-हल्दिया (दक्षिण पूर्व रेलवे)	1973-74

3. टूण्डला-दिल्ली (उत्तर रेलवे)	1975-76
4. बालतेरु-किरांदुल (दक्षिण-पूर्वी रेलवे)	1975-76
5. मद्रास-विजयवाड़ा (दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे)	1976-77
6. मद्रास-तिरुवल्लूर (दक्षिण रेलवे)	1976-77

1973-74 में बिजलीकरण योजनाओं के लिए 16.43 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए 54.72 करोड़ रुपयों की और आवश्यकता पड़ेगी।

समाज सेवा, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी के पास देना

2076. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों, रेलवे कर्मचारियों और सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के अतिरिक्त किन वर्गों के व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेलवे पास दिये जाते हैं ; और

(ख) समाज सेवा और धार्मिक एवं साँस्कृतिक कार्यों में अपनी विशेष रुचि रखने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें ये पास दिये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) उन व्यक्तियों/संगठनों को पास जारी किये जाते हैं जो रेलवे या देश के लिए किये जाने वाले काम के आधार पर उनके पात्र होते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4396/73**]

काश्मीर घाटी में रेलवे लाइन

2077. **श्री नारायण चन्द पाराशर :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर घाटी में रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय आयेगा और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : श्रीनगर के रास्ते बारामूला और काजीवुंड के बीच बिजलीकृत मीटर आमान/बड़े आमान की रेलवे लाइन के निर्माण के लिए राज्य सरकार की लागत पर प्रारम्भिक इंजीनियरी व यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। इन सर्वेक्षणों का परिणाम मालूम होने पर इस परियोजना के बारे में आगे विचार किया जायेगा। सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के बाद इस परियोजना की लागत भी मालूम हो जायेगी।

Work on Mahananda Irrigation Scheme in Bihar

2078. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Irrigation & Fower** be pleased to state :

(a) whether the work on Mahananda Irrigation Scheme in Bihar State has ssarted; and

(b) if so, the total expenditure to be incurred thereon and the time by which the said project would be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma):

(a) & (b) : It has been ascertained from the Government of Bihar that they have not prepared Mahananda Irrigation Scheme so far.

Production at Barauni Fertilizer Factory

2079. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the date from which Barauni Fertilizer Factory is going to start production;

(b) the annual production capacity thereof;

(c) whether I.T.I. trained youths from North Bhagalpur and other places will get employment in the said factory; and

(d) if so, in what ratio ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) According to present indications, the factory is expected to go into commissioning trails by October 1973 and commercial production would start in about six months thereafter.

(b) About 3.3 lakh tonnes of urea per annum.

(c) & (d) : Yes, Sir, provided the candidates are found suitable as per the recruitment rules of the Corporation.

Result of Departmental Examination held in 1971 and 1972 for promotion from Class IV to Class III, Samastipur Division (North Eastern Railway)

2080. **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Departmental examination for promotion from Class IV to Class III was held in 1971 and 1972 for those Class IV employees who are working in the various Departments in Samastipur Division of North Eastern Railway; and

(b) if so, the reasons for non-publication of the list of successful candidates so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) ; (a) Yes.

(b) The selection initiated in 1971 had to be cancelled as the procedure for holding selections was revised with effect from 1.6.1971. Thereafter a selection was initiated in 1972 which has yet to be finalised. Some staff who were on Territorial Army duty and could not appear in the viva-voce test in November, 72 are to be tested shortly.

रेलवे स्टोर पैनल का बनाया जाना

2081. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में एक रेलवे स्टोर पैनल बनाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा उसके कृत्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) "रेलों पर भण्डार सूची प्रबन्ध समिति" नाम से सरकार ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं :

1. श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, रेल उपमंत्री	अध्यक्ष
2. श्री के० एस० सुन्दर राजन, वित्त कमिश्नर रेलवे	सदस्य
3. श्री एच० एम० चटर्जी, यांत्रिक सदस्य, रेलवे बोर्ड	सदस्य
4. श्री आर० राजगोपालन, मुख्य लागत लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय	सदस्य

5. श्री एम० वी० कामथ, विशेष निदेशक वित्त, ट्यूब इन्वेस्टमेंट आफ इंडिया, मद्रास — सदस्य

6. श्री ए० चान्द मल, उप-महाप्रबन्ध (सामान और वित्त) टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कम्पनी, जमशेदपुर — सदस्य

7. श्री आर० श्री निवासन, संयुक्त निदेशक, रेल भण्डार, रेलवे बोर्ड — सचिव

यह समिति, भारतीय रेलों पर भण्डार सूची नियंत्रण और भण्डार की खरीद जिसमें महा-निदेशक, संभरण एवम् निपटान के माध्यम से खरीदा गया भण्डार शामिल है ; से संधित नीति और कार्यविधि की समीक्षा करेगी ताकि सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ-साथ भण्डार सूचियों को भी अनुकूलतम स्तर पर रखा जा सके ।

कनिष्ठ न्यायपालिका की सेवा के निबन्धनों और शर्तों में सुधार

2082. **श्री बालदन्डायुतम** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने कनिष्ठ न्यायपालिका की सेवा के वर्तमान निबन्धनों और शर्तों में पर्याप्त सुधार लाने हेतु राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) जी हां । विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता पर अपनी चौअनवीं रिपोर्ट में ऐसा सुझाव दिया है ।

(ख) सरकार ने अभी तक प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया है ।

रेलवे डिब्बों को नया रूप देना

2083. **श्री के० बालदन्डायुतम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान रेलवे डिब्बों को कुछ नया रूप देने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि उनमें और अधिक यात्री यात्रा कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान पहले दर्जे और तीसरे दर्जे के शयन-यानों में यात्रियों की वहन-क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इनके वर्तमान सामान कक्षों को हटाया जा रहा है और इस तरह उपलब्ध होने वाले स्थान को यात्रियों के लिए अधिक स्थान की व्यवस्था करने के काम में लाया जायेगा ।

वर्तमान भोजन-यानों को क्रमशः पैंट्री-एवं-सवारी यानों के रूप में बदला जा रहा है और उनमें पहले अथवा तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए स्थान की व्यवस्था की जा रही है ।

दूसरे दर्जे के वर्तमान डिब्बों को क्रमशः तीसरे दर्जे के डिब्बों में बदला जा रहा है और इस तरह उसमें यात्रियों के लिए वहन-क्षमता बढ़ायी जा रही है ।

22124 शायिकाओं वाले दर्जे के वर्तमान डिब्बों के बदले, थोड़ी और मध्यम दूरी की यात्रा के लिए, परीक्षण के रूप में 48160 यात्रियों के स्थान वाले पहले दर्जे के कुर्सी-यान चलाने का प्रस्ताव

है । इससे गाड़ी में पहले दर्जे के कई डिब्बों के बदले तीसरे दर्जे के और डिब्बे लगाने के लिए जगह निकल आयेगी ।

भारत में पैट्रोलियम और डीजल के अधिक मूल्य

2084. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पैट्रोलियम और डीजल के मूल्य अधिकांश अन्य एशियाई देशों से अधिक हैं;

(ख) क्या भारत स्थित विदेशी तेल कम्पनियां पैट्रोलियम और डीजल के मूल्यों को कम करने में सरकार को सहयोग नहीं दे रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत में पैट्रोल और डीजल आयल के मूल्य एशिया के कुछ देशों की तुलना में कम हैं और कुछ देशों की तुलना में अधिक हैं ।

(ख) और (ग) : पैट्रोल और डीजल तेल जैसे प्रपुंज शोधित पैट्रोलियम उत्पादों के अधिकतम विक्रय मूल्यों का सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है । इस मूल्य-निर्धारण के समय, इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा समय समय पर गठित तेल-मूल्य जांच समितियों द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है । विदेशी तेल कम्पनियों सहित भारत में काम कर रही सभी तेल विक्रय करने वाली कम्पनियां, सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्यों को ध्यान में रखती हैं ।

विद्युत संयत्रों का कार्य

2085. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** :
श्री एस० ए० मुरुगनंतम :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयंत्रों में कार्य उनकी अधिकतम क्षमता के अनुसार नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : कमजोर मानसून के कारण जल-विद्युत जलाशयों में जल की कमी के फलस्वरूप जल-विद्युत केन्दों में कम विद्युत उत्पादन हुआ है और ईंधन में परिवर्तन करने की अनिवार्यता के कारण परमाणु शक्ति केन्द्रों से विद्युत उत्पादन में कमी रही है । दक्षिणी तथा उत्तरी क्षेत्रों में कुछ केन्द्रों को छोड़कर देश में ताप विद्युत केन्द्रों का काय समान्यतया संतोषजनक रहा है । पूर्वी क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्रों जहां घटिया किस्म के कोयले के उपयोग के कारण यूनिटें खराब हो गई थीं, को बढ़िया किस्म के कोयले की व्यवस्था कर दी गई है । यूनिटों की मरम्मत में शीघ्रता लाई गई है और समुचित फालतू पुर्जों की व्यवस्था कर दी गई है । विद्युत केन्द्रों का दौरा करने और प्रचालन तथा अनुरक्षण में सुधारार्थ सुझाव देने के लिए दो विशेषज्ञ दलों का गठन किया गया है ।

आन्दोलन के दौरान रेलगाड़ियों की अस्त-व्यवस्तता को दूर करने के लिए वै. ल्पिक रेल मार्ग

2086. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री भागवत झा आजाद :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने त्रिचूर, केरल में प्रेस संवाददाताओं से हाल की बातचीत में, आन्दोलन के कारण रेलगाड़ियों की अस्त-व्यवस्तता को दूर करने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था करने का सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन सुझाव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) त्रिचूर में भूतपूर्व रेल मंत्री का बयान, जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, बम्बई से पश्चिमी तट के साथ-साथ एक नयी रेलवे लाइन के प्रस्ताव से सम्बन्धित हैं, जिसे बनाने पर आन्दोलनों के समय दक्षिण के लिए रेल संचार के वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था हो जायेगी ।

(ख) इस लाइन के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि आप्टा से मंगलूर तक एक नयी रेलवे लाइन के लिए टोह इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और उसकी रिपोर्ट मिल गयी है । यह प्रस्ताव विचाराधीन है । सूखा संबंधी राहत कार्य के रूप में आप्टा से दसगांव (108 कि० मी०) तक मिट्टी का काम प्रारम्भ करने के लिए व्यवस्था की गयी है । दसगांव से मंगलूर तक के लिए भी ब्यौरेवार सर्वेक्षण प्रारंभ किया जा रहा है ।

पांचवीं योजना में आंध्र प्रदेश की ओर से सिंचाई योजना

2087. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान राज्य के लिए किन्हीं नई सिंचाई योजनाओं का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन योजनाओं का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) क्या केन्द्र ने इन योजनाओं को स्वीकृति दी है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : **(क) से (ग)** : राज्यों में पांचवीं योजना के सिंचाई कार्यक्रमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

पैट्रोलियम आधारित उर्वरक संयंत्रों का उत्पादन

2088. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी पैट्रोलियम आधारित उर्वरक संयंत्रों, जिसमें इस समय निर्माणाधीन संयंत्र भी शामिल हैं, की लाइसेंस प्राप्त उत्पादन क्षमता कितनी है; और

(ख) उपरोक्त में भारतीय उर्वरक निगम का कितना अंश होगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1 जनवरी 1973 को (नाइट्रोजन के रूप में) लगभग 23 लाख मीटरी टन

(ख) लगभग 27 प्रतिशत

तेल की खोज के लिए जोरदार अभियान

2089. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और उपलब्धता के बीच का अन्तर जो वर्ष 1970 में 120 लाख टन के लगभग था, वर्ष 1980 में बढ़कर 385 लाख टन तक हो जाने का अनुमान है;

(ख) क्या इससे तटवर्ती और तट से दूर के क्षेत्रों में तेल की जोरदार खोज करने की आवश्यकता पैदा हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तेल की खोज करने के लिए जोरदार अभियान चलाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उत्पादन की वर्तमान दर की कल्पना करते हुए 1980 में अशोधित तेल की कमी लगभग 37 मिलियन मीटरी टन अनुमानित है।

(ख) जी हाँ।

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 64 मि० मीटरी टन अशोधित तेल के अतिरिक्त प्राप्य संचयों की स्थापना और 1977–78 तक लगभग 8 मिलियन मीटरी अशोधित तेल के वार्षिक उत्पादन की क्षमता के विकास के विचार से अपने कार्यों की एक पंचवर्षीय (1973–74 से 1977–78 तक की) योजना तैयार की है। इसके अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अरब सागर के साथ संलग्न खंभात की खाड़ी के गहरे पानी में अपतट व्यधन के लिए एक कार्यक्रम तैयार कर रहा है। प्रारंभिक उपाय अपनाये गये हैं और इस वर्ष में पहले कुएं के खोदे जाने की आशा है। अपतट क्षेत्रों में खोज संबंधी कार्य की गति बढ़ाने के लिए सरकार 'जनरल कान्ट्रैक्ट, प्रकार के प्रबंध पर रुचि रखने वाली विदेशी तेल कंपनियों के प्रस्तावों पर भी विचार करेगी। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग विदेशों में भी अन्वेषण उद्यमों की खोज जारी रखेगा।

आयल इंडिया लि० पहले से ही आबंटित क्षेत्रों में अधिक तेल मालूम करने के लिए एक प्रस्ताव के अनुसार एक दीर्घ अवधि योजना जिसमें असम तथा अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में तेल के लिए खोज सम्मिलित है, के आधार पर कार्य कर रहा है।

माल यातायात के सम्बन्ध में रेल परिवहन और सड़क परिवहन के बीच समन्वय के बारे में हुई प्रगति

2090. **श्री एम० कतामुतु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में माल-यातायात के सम्बन्ध में रेल परिवहन और सड़क परिवहन के बीच बेहतर समन्वय की काफी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई प्रयास किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) रेल और परिवहन मंत्रालय तथा योजना आयोग रेल और सड़क परिवहन के विकास पर

सावधानी पूर्वक और निरन्तर ध्यान देते हैं। केन्द्र में गठित परिवहन विकास परिषद् जिसके केन्द्रीय जहाजरानी और परिवहन मंत्री अध्यक्ष हैं और रेल मंत्री तथा राज्यों के परिवहन मंत्री सदस्य हैं और योजना आयोग परियहन के समन्वय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण समस्याओं और नीतियों पर विचार करता है। कुछ राज्यों में परिवहन सलाहाकर समितियां/मण्डल, जिसमें रेलों के भी प्रतिनिधि होते हैं, समन्वय का काम देखते हैं।

आउट ऐजेंसियां, जगह-जगह से माल एकत्रित करने तथा सुपुर्दगी करने की सेवाएं, भाड़ा प्रेषक सेवाएं और कंटेनर सेवाएं चालू करके भारतीय रेलों द्वारा समेकित रेल और सड़क परिवहन की उत्तरोत्तर व्यवस्था की जा रही है।

सड़क परिवहन प्राधिकारी नये मार्गों पर लाइसेंस आवंटित करते समय रेलवे के दृष्टिकोण का ध्यान रखते हैं।

रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण

2091. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार वर्ष 1972-73 में कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का है तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण पूरा हो गया है और शेष स्टेशनों का आधुनिकीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) **और** (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और संकलित होते ही, सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलों में भीख मांगना बन्द करना

2092. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष चोरी करने के जुर्म में कुछ भिखारियो को पकड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे स्टेशनों और रेल गाड़ियों में भीख मांगना बन्द करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) रेल परिसरों और गाड़ियों से भिखारियों को दूर रखने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) भिखारियों को रेलवे स्टेशनों में घुसने से रोकने के लिए फाटकों पर टिकट जांच कर्मचारी रखे जाते हैं;

(2) गाड़ियों में यात्रा करते पाये जाने वाले भिखारियों को गाड़ी से उतार कर स्टेशन से बाहर कर दिया जाता है और जहाँ-कहीं सम्भव हो, उन पर मुकदमा चलाया जाता है ;

(3) रेल परिसरों और गाड़ियों से भिखारियों को हटाने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों, सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल द्वारा अलग-अलग मिलजुलकर बार-बार छापे मारे जाते हैं ;

(4) यात्री जनता से लाउडस्पीकरों द्वारा अपील की जाती है कि वह रेलवे स्टेशनों तथा

गाड़ियों में भिखारियों को भिक्षा न दें ।

(5) भिखारियों के उत्पात के सम्बन्ध में गाड़ियों तथा रेल परिसरों में पोस्टर लगाये जाते हैं ;

(6) भिखारियों के उत्पात की ओर राज्य सरकारों का विभिन्न स्तरों पर ध्यान दिलाया जाता है और इसे दूर करने के लिए नियमित रूप से बैठकें की जाती हैं ।

भारतीय उर्वरक निगम को होल्डिंग कम्पनी में परिवर्तित करना

2093. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम को होल्डिंग कम्पनी में परिवर्तित करने का निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं । सरकार द्वारा अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Deposits of Oil in Gujarat, Assam and Punjab

2094. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Biswanarayan Shastri :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government have found that there are sizable oil deposits in Gujarat, Assam and Punjab;

(b) whether the geologists have finalised seven schemes for prospecting oil from these deposits; and

(c) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Sizable Oil deposits have been found in Gujarat and Assam. No oil deposit has been found in Punjab.

(b) and (c) : A broad five-year programme for further exploration in the above areas has been drawn up by the ONGC. This involves continuance of geological and geophysical surveys, as also of exploratory drilling, to locate additional reserves in the various geological basins of the country. The Oil India Ltd. also intends to continue surveys and to undertake further exploratory drilling in certain areas of Assam which had been leased to them in the past.

सिंचाई के लिए समुद्र के पानी का उपयोग

2095. **श्री वेकारिया :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र के पानी की सिंचाई के लिए उपयोग करने के संबंध में प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रयोग के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) **और** (ख) : भारत में सिंचाई के लिए समुद्री जल के प्रयोग के लिए अभी तक कोइ क्षेत्रीय परीक्षण नहीं किए गये हैं।

हैवी इलेक्ट्रीकल्स, भोपाल द्वारा गुजरात को जेनेरेशन यूनिट की सप्लाई

2096. **श्री वेकारिया** :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या सिंचाई **और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 1965 में उकई बिजली घर के लिए जेनेरेशन यूनिट की सप्लाई हैवी इलेक्ट्रीकल्स, भोपाल को क्रयादेश दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये जेनेरेशन यूनिट अभी तक सप्लाई नहीं किया गया है ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने ऐसे जेनेरेशन यूनिट के आयात के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति मांगी है ; और

(घ) यदि हां, इसके प्रति केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) हैवी इलेक्ट्रीकल्स भोपाल द्वारा अब तक पूर्ण उत्पादन यूनिटों की सप्लाई नहीं की गई है।

(ग) और (घ) : गुजरात सरकार ने 1964 में सैट के आयात के लिए प्रस्ताव किया था परन्तु विदेशी मुद्रा की बचत के लिए और अधिकतम संभव आत्म-निभरता प्राप्त करने के उद्देश्य से उत्पादन संयंत्रों के आयात पर पाबन्दी लगा दी गई है। सभी राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे अपनी आवश्यकताओं को यथासंभव देशीय निर्माताओं जैसे हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इन्डिया) लि०, भोपाल से प्राप्त करें।

दिल्ली से अहमदाबाद तक दोहरी लाइन

2097. **श्री वेकारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कारण है कि सरकार दिल्ली-अहमदाबाद रेलवे लाइन को दोहरा नहीं करना चाहती है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। आशा है, यह सर्वेक्षण मार्च, 1973 तक पूरा हो जायेगा। इस खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने अथवा विकल्प रूप में दोहरी मीटर लाइन डालने की आवश्यकता, सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मालूम हो सकेगी।

"डीजल कारें" चालू करना

2098. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन मार्गों पर "डीजल कारें" चल रही हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य मार्गों पर भी ऐसी सेवाएं आरम्भ करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) डीजल रेल कारें अब जालंधर और

राजमुंडी क्षेत्रों में बड़ी लाइन पर, विरुच्चिरापल्लि, मैसूर, कानपुर और वाराणसी क्षेत्रों में मीटर लाइन पर और शिमला-कालका और वर्दवान-कटवा खण्डों में छोटी लाइन पर चल रही हैं।

(ख) और (ग) : बड़ी लाइन की दो प्रोटो टाइप डीजल रेलकार यूनिटों और छोटी लाइन की 6 डीजल रेल कार यूनिटों के लिए आर्डर दिया जा चुका है, जो क्रमशः जालन्धर-होशियारपुर और बंगारेमेट छोटी लाइन खण्डों पर उपयोग में लायी जायेंगी। पांचवी योजना के दौरान रेलकार चलाने के लिए कुछ और खण्डों का चयन करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

पोंग बांध क्षेत्र के विस्थापितों को दिया गया मुआवजा

2099. **श्री विक्रम महाजन** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बांध क्षेत्र के विस्थापितों को फरवरी, 1973 तक कितना मुआवजा दिया गया है ; और

(ख) इस मुआवजे की शेष राशि उन्हें कब तक दे दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) पोंग बाँध के विस्थापितों को फरवरी, 1973 तक, 20.05 करोड़ रुपये की धनराशि दे दी गई है।

(ख) शेष अदायगी भू-अर्जन अधिकारियों द्वारा पंचाट घोषित करने के पश्चात् की जाएगी। बहरहाल, भू-अर्जन का अधिकतर कार्य जुलाई, 1973 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है तथा साथ-साथ अदायगियाँ भी कर दी जाएंगी।

मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (महानगरीय परिवहन परियोजना) कलकत्ता के मैन्टेनैंस आर्गेनाइजेशन में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के भूतपूर्व कर्मचारियों को लेना

2100. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय कोई योजना बनाई है कि भविष्य में महानगरीय परिवहन परियोजना के 'मैन्टेनैंस आर्गेनाइजेशन' को किस प्रकार संगठित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन हेतु प्रत्येक श्रेणी में कुल कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ;

(ग) इस 'मैन्टेनेंस आर्गेनाइजेशन' के लिये कर्मचारी कहां से लिये जायेंगे ; और

(घ) क्या सरकार महानगरीय परिवहन परियोजना/कलकत्ता के इस 'मैन्टेनैंस आर्गेनाइजेशन' में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन' के भूतपूर्व कर्मचारियों को स्थायी रूप से लेने की योजना बना रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता रिपोर्ट के पूर्वानुमान के अनुसार इस प्रयोजन के लिए 3600 से अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

(ग) निर्माण संगठन, जिसमें भूतपूर्व रेलवे बिजली योजना के कर्मचारी भी शामिल हैं, बहुत बड़ा होगा और निर्माण कर्मचारियों को समाहित करने के बारे में पहले विचार किया जायेगा।

(घ) (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बांकुरा दामोदर नदी रेलवे में रेलगाड़ी की असुरक्षित यात्री सेवाएं

2101. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता से इस आशय का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि बांकुरा दामोदर नदी रेलवे में रेलगाड़ी की यात्री सेवाएं चलाना असुरक्षित है और यात्रियों को ले जाने के लिए माल डिब्बों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने और इसे दुर्गापुर तक बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं। लेकिन इस सम्बन्ध में साउथ ईस्टर्न रेलवेमेन्ज यूनियन की ओर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) मेकलियोड एण्ड कं० से इस रेलवे का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने के पश्चात इसके रेल-पथ में सुधार किया गया है और इसके इंजनों तथा सवारी डिब्बों की संख्या में वृद्धि की गयी है।

(ग) जी हां।

(घ) धन की कमी और यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य न होने के कारण बी० डी० आर रेलवे को बड़ी लाइन में बदलने और दुर्गापुर तल इसका विस्तार करने के बारे में विचार करना कठिन है।

उड़ीसा में मझली सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन

2102. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा राज्य में कतिपय मझली सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन हेतु योजना से बाहर अतिरिक्त धन देने का है; और

(क) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इनके लिए कुल कितनी सहायता देने का प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : **(क) और (ख)** : उड़ीसा सरकार आग्रह करती रही है कि उनके राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के लिए उनको, राज्य योजना सीमा से बाहर, विशेष केन्द्रीय सहायता को व्यवस्था की जाय। 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं नामशः सलिया, धोडहाडो, बहुदा (चरण-एक) उट्टी बघुआ और दहुका और साथ-साथ महानदी डेल्टा परियोजना, जिनके तेजी के साथ निर्माण होने से अगामी तीन वर्षों में विशिष्ट अतिरिक्त सिंचाई शक्यता उत्पन्न करने में सहायता हो सकती है, के लिए ऐसी सहायता की व्यवस्था के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

रेलवे के कुलियों और वस्तु विक्रेताओं (वैन्डर्स) को चतुर्थ श्रेणी का दर्जा देना

2103. **श्री मुहम्मद शरीफ** :

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के कुलियों और वस्तु विक्रेताओं के राष्ट्रीय संघ (नेशनल फैडरेशन आफ रेलवे

पोर्टर्स एण्ड वेन्डर्स) ने केन्द्र से अनुरोध किया कि कुलियों और वस्तु विक्रेताओं को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का दर्जा दिया जाये और उनके संघों को मान्यता दी जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 14 और 15 जुलाई, 1972 को जयपुर में हुए अपने वार्षिक सम्मेलन में नेशनल फैडरेशन आफ रेलवे पोर्टर्स एंड वेन्डर्स द्वारा स्वीकृत संस्तावों में फैडरेशन को मान्यता देने की और श्रेणी IV के रेल कमचारियों को प्राप्त सुविधाओं के समान लाइसेंसधारी भारिकों और वेन्डरों को भी कुछ सुविधाएं देने की मांगें शामिल हैं।

(ख) केवल सरकारी कर्मचारियों की यूनियनें ही मान्यता की पात्र होती हैं। लाइसेंसधारी भारिकों और वेन्डरों को रेलवे स्टेशनों पर काम करने का लाइसेंस मात्र दिया गया है, इसलिए उन्हें श्रेणी IV के रेल कर्मचारियों को उपलब्ध स्थिति और सुविधायें नहीं दी जा सकती और उन लोगों द्वारा गठित किसी भी यूनियन को मान्यता नहीं दी जा सकती।

रिहन्द बांध पर ऊर्जा प्रजनन

2104 **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बाँध पर इस समय कुल कितनी मात्रा में ऊर्जा प्रजनित की जाती है और प्रति एकक उत्पादन लागत कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) 1971-72 के दौरान रिहन्द बांध में 965 00 मिलियन यूनिट विद्युत-उत्पादन किया गया था। उत्पादन की लागत 3.73 पैसे/प्रति यूनिट थी।

उत्तरी भारत में रेल लाइनों को दोहरा करना

2105. **श्री विरेन्द्र सिंह राव** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तरी भारत में कुछ रेल लाइनों को दोहरा करने के कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तरी भारत में आगामी तीन वर्षों में किन-किन रेलवे सेक्शनों को दोहरा किया जायेगा;

(ग) क्या कुछ रेल लाइनों को बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, और यदि हां, तो आगामी तीन वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे के भिन्न-भिन्न सैक्शनों में लाइनें बढ़ायी जायेंगी; और

(घ) उन पर कितना धन लगेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : (क) और (ख) : दोहरी लाइनें बिछाने का काम एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि दोहरी लाइन बिछाने का काम तभी किया जाता है जब वर्तमान इकहरी लाइन खण्ड की क्षमता बढ़ाने के अन्य सभी सस्ते उपायों द्वारा यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफलता नहीं मिलती। उत्तर रेलवें में शकूरबस्ती-रोहतक खण्ड में दोहरी लाइन बिछाने का काम हो रहा है और आशा है, यह काल 1974 तक पूरा हो जायेगा। गाजियाबाद-सहारनपुर खण्ड में कुल 50.86 किलोमीटर लम्बे तीन टुकड़ों में दोहरी लाइन बिछाने का काम 1973-74 के बजट में शामिल किया गया है।

(ग) उत्तर रेलवे में निम्नलिखित लाइनों के विस्तार I को फिर से बिछाने के संबंध में

विचार किया जा रहा है :

(i) जगाधरी-चंडीगढ़-लुधियाना सम्पर्क,

(ii) नं लडैम-तलवाड़ा सम्पर्क;

(iii) जम्मू-ऊधमपुर सम्पर्क;

(iv) रोहतक-भिवानी सम्पर्क;

(v) शाहदरा-सहारनपुर अलग बड़ी लाइन; और

(vi) गोहाना-पानीपत लाइन को फिर से बिछाना ।

मद (i) और (ii) से सम्बन्धित सर्वेक्षण किये जा रहे हैं जबकि मद (iii) और (iv) के सर्वेक्षण अभी किये जाने हैं। मद (v) में उल्लिखित शाहदरा-सहारनपुर अलग बड़ी लाइन का जो सर्वेक्षण पहले किया गया था, उसे अद्यतन बनाया गया है और रिपोर्ट की जांच की जा रही है। जहां तक मद (vi) का सम्बन्ध है, इस लाइन को फिर से बिछाने के लिए 1971 में जो यातायात सर्वेक्षण किया गया था, उससे पता चला था कि यह लाइन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगी। फिर भी हाल में इस लाइन का प्रारम्भिक मूल्यांकन किया गया है और हाल में उत्तर रेलवे से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। इन प्रस्तावों पर आगे कार्रवाई तभी की जायेगी जब सर्वेक्षण का काम पूरा हो जायेगा और उनकी रिपोर्टों पर सभी दृष्टियों से विचार कर लिया जायेगा। इसलिए अभी से यह बताना संभव नहीं है कि अगले तीन चार वर्षों में रेलों के कार्यक्रम में इनमें से किन-किन प्रस्तावों को शामिल किया जा सकेगा ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सिंध नदी के जल के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान संधि के अन्तर्गत 10 वर्षीय अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् सिंध नदी के जल का उपयोग

2106. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंध नदी के जल के बारे में भारत-पाकिस्तान संधि के अन्तर्गत भारत के भाग में आने वाला सिंध नदी का बड़ी मात्रा में जल अभी भी पाकिस्तान की ओर बह रहा है तथा वर्ष 1970 में 10 वर्षीय अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् भी भारत इसका उपयोग नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस नदी के जल में निहित सिंचाई और बिजली पैदा करने की क्षमता का लाभ देश को पहुंचाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और कई वर्षों से इस क्षमता का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षमता का पूर्ण उपयोग कब तक किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री : (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ग): सिंधु जल संधि, 1960 के अन्तर्गत, तीनों पूर्वी नदियों (सतलज, रावी और व्यास) का पानी, पानी के लगभग 33 मिलियन एकड़ फुट कुल औसत अन्तः प्रवाह के साथ, भारत को आबंटित किया गया है। इस समय सतलज का सारा पानी तथा वर्ष में 9-10 महीनों के दौरान व्यास और रावी का पानी जो कि कुल अन्तः प्रवाह का लगभग तीन-चौथाई भाग होता है, प्रयोग में लाया जा रहा है। शेष जल जो कि

मुख्यतः ब्यास और रावी का बालू का पानी होता है, जुलाई से सितम्बर के मानसून महीनों के दौरान पाकिस्तान की ओर बहता है। इस पानी का अधिकतर भाग भी पोंग में ब्यास पर संचय, ब्यास-सतलज सम्पर्क और राजस्थान नहर के पूर्ण होने पर उपयोग में लाया जायेगा। ये सभी निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं। इससे एक औसत वर्ष में लगभग 1 मिलियन एकड़ फुट शेष जल रह जायेगा जिसका उपयोग रावी पर एक संचय निर्मित करके कर लिया जायेगा। इसके लिये प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं।

निर्माणाधीन कार्य निम्नलिखित सूत्र से काफी हद तक पूर्ण हो जायेंगे :

1. ब्यास पर पोंग बाँध	जुलाई, 1973 (खास बांध)
2. ब्यास-सतलज सम्पर्क	जून 1974 (पंडोह बांध और व्यवर्तन कार्य)
3. राजस्थान नहर	1973-74 (चरण-एक)

राजस्थान में छोटी और मझली सिंचाई योजनाएं

2107. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष 1973-74 के लिए राजस्थान राज्य में मझली सिंचाई सुविधाएं विकसित करने हेतु राजस्थान सरकार ने कौन-कौन सी योजनाएं भेजी हैं;

(ख) उनकी लागत क्या है और उनके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता मांगी गई है;

(ग) क्या सरकार ने उन पर मंजूरी दे दी है, यदि हां, तो यदि कोई परिवर्तन किए गए हों तो वे क्या हैं; और

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (घ) : राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित दो नई स्कीमें प्रस्तावित की गई हैं :

	अनुमानित लागत	अंतिम लाभ
1. पंचाना	103 लाख रुपये	5.7 हजार हैक्टेयर
3. बागली	95.27 लाख रुपये	2 4 हजार हैक्टेयर

इनकी तकनीको जांच की जा रही है।

सिंचाई राज्य विषय है तथा केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में राज्य की सारी योजनाओं के लिए एक राशि में दी जाती है और किसी विशिष्ट शीर्ष के अथवा क्षेत्र या परियोजना से बंधी नहीं होती।

नेपाल द्वारा करनाली नदी पर पन-बिजली परियोजना का निर्माण

2108. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के दौरान नेपाल द्वारा करनाली नदी पर बनायी जाने वाली विशाल पन-बिजली परियोजना से बिजली खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी;

(ख) क्या इस संबंध में नेपाल के साथ कोई निश्चित समझौता हुआ है;

(ग) क्या भारत ने उस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए नेपाल को कोई तकनीकी अथवा अन्य सहायता देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सहायता के लिए अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

तत्कालीन शाहदरा-सहारनपुर लाईट रेलवे को पुनः आरम्भ करना तथा उसे ब्राड गेज लाइन में बदलना

2109. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस सैक्शन में रेलवे सेवा पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव इस समय किस चरण पर है जिस पर पहले तत्कालीन शाहदरा-सहारनपुर लाईट रेलवे चलती थी; और

(ख) क्या वर्तमान नैरो गेज लाइन को ब्राड गेज लाइन में बदलने की कोई योजना है; यदि हां, तो उसका सारांश क्या है तथा इसमें कितनी लागत आयेगी तथा इसको कितने चरणों में पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : नयी छोटी लाइन या मीटर लाइन या बड़ी लाइन बिछाने की व्यावहारिकता और वित्तीय फलितार्थों की जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ जो और विचार-विमर्श होगा उसको देखते हुए यह विनिश्चय किया जायेगा कि क्या इस लाइन को पूर्व आमान या चौड़े आमान के रूप में बिछाया जाय।

दुर्घटनाओं और पुलिस द्वारा गोली चलाने से मरे रेलवे श्रमिक और उनके परिवारों को अदा कया गया मुआवजा

2110. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 के दौरान दुर्घटनाओं और पुलिस द्वारा गोली चलाने के परिणामस्वरूप, अलग-अलग, कितने रेलवे श्रमिक मरे; और

(ख) क्या उन सभी श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा अदा कर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 1972 के वर्ष में, भारत की सरकारी रेलों में गाड़ियों की टक्कर, गाड़ियों के पटरी से उतरने, समपार की दुर्घटनाओं और गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटनाओं में पन्द्रह रेल कर्मचारियों की मृत्यु हुई।

पुलिस की गोली से मरने वाले रेल कर्मचारियों की संख्या सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठे करके सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

डाल्टनगंज-पटना बोगी को बम्बई मेल के साथ जोड़ना

2111. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाल्टनगंज-पटना बोगी को डेहरी-ग्रोन-सोन पर बम्बई मेल के साथ जोड़ने का विचार कर रही है ताकि यात्रीगण प्रातः काल पटना पहुंच सकें; और

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक आरम्भ कर दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं । फिलहाल, बरवाडीह-पटना थ्रू सवारी डिब्बे को बम्बई डाकगाड़ी के साथ लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस डिब्बे में डाल्टनगंज से यात्रा करने वाले, यात्री भी जाते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बरवाडीह और चिरीमिरी के बीच रेल लाइन को पूरा करना

2112. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पालामऊ में बरवाडीह और मध्य प्रदेश में चिरीमिरी के बीच बन रही 103 मील लम्बी रेल लाइन कब तक पूरी हो जायेगी और उस पर गाड़ियां चलने लगेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : बरवाडीह और चिरीमरी के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम 1947 में आरम्भ किया गया था लेकिन बाद में अर्थोपाय को कठिन स्थिति के कारण और यह पता चलने पर कि इस खण्ड पर जितना यातायात प्रत्याशित था उतना होने की संभावना नहीं है, इस काम को रोक दिया गया था । इस लाइन के निर्माण के संबंध में तभी विचार किया जा सकेगा । जब इस क्षेत्र में कोयला खानों के विकास की कोई सुनिश्चित योजनायें उपलब्ध हो जायें ।

श्री एन० एम० मियांभाई की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण के प्रतिवेदन पर निर्णय

2113. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री एन० एम० मियांभाई की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट किस दिन प्रस्तुत किया था;

(ख) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं किया गया है तो विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 8 अगस्त, 1972

(ख) और (ग) : सरकार ने मियांभाय अधिकरण-1969 की सिफारिशों पर विचार किया है और रात्रि भत्ता, कीमैनों और गेंगमेटों के वेतनमानों के पुनरीक्षण, ग्रेड 'ए' के फोरमैनों को विशेष वेतन, कारखाना कर्मचारियों की कुछ कोटियों के और लम्बी दूरी की सवारी गाड़ियों पर काम करने वाले ड्राइवरों और गार्डों के ग्रेड बढ़ाने से सम्बन्धित उसकी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

अधिकरण की अन्य सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

उत्तर रेलवे के प्रधान कार्यालय के दावा और निवारण यूनिटों (क्लेम्स एण्ड प्रिवेन्शन यूनिट्स) के अनुसचिवीय और गैर-अनुसचिवीय कर्मचारियों के कर्त्तव्यों में परिवर्तन

2114. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के प्रधान कार्यालय के दावा और निवारण यूनिटों के अनुसचिवीय और गैर अनुसचिवीय कर्मचारी पिछले दस वर्षों से, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अपने कर्त्तव्य में बिना किसी परिवर्तन के, एक सा ही कार्य कर रहे हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति के बाद भी वही कार्य करने और उन्हीं पदों पर बने रहने के लिये विवश किया जाता है और उन्हें उच्च-स्तर-दायित्व लेने नहीं दिये जाते हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में प्रशासन ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : सचिवालीय और गैर-सचिवालीय दोनों तरह के अधिकांश कर्मचारी लम्बे अर्से से उसी शाखा में काम कर रहे हैं। अभी तक उन्हें केवल पदोन्नति पर ही स्थानान्तरित किया गया है फिर भी, अब यह विनिश्चय किया गया है कि भविष्य में जब भी रिक्तियाँ हों, दावा-निरोध अनुभाग के कर्मचारियों को दावा अनुभाग में और दावा अनुभाग के कर्मचारियों को दावा निरोध अनुभाग में क्रमशः स्थानान्तरित किया जायेगा।

गोआ की सीलौलिम सिंचाई परियोजना का निष्पादन

2115. **श्री राम भगत परवान** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ की सीलौलिम सिंचाई परियोजना के निष्पादन में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : सलौली परियोजना योजना आयोग द्वारा दिसम्बर, 1971 में स्वीकृत की गई थी। परियोजना पर अब प्रारम्भिक कार्य शुरू हैं। इस परिक्षण की परियोजनाओं को पूर्ण होने के लिए 5-6 वर्ष चाहिए।

Law Books translated into Hindi during 1970, 1971 and 1972

2116. **Sri M. C. Daga** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state tha names of law books translated into Hindi during 1970, 1971 and 1972 ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : No law book has been translated into Hindi during the years 1970, 1971 and 1972. One of the main features of the scheme instituted for the production of standard law books in Hindi pertains to the translation into Hindi of law books which have acquired the status of classics on the subjects dealt with therein. A panel of competent persons considered suitable for translating such law books into Hindi has been drawn up after inviting applications by open advertisement. Steps have been initiated for obtaining translation rights of the books selected for translation from the concerned foreign/Indian publishers. Tae work of translation will be taken up after the terms and conditions relating to translation rights are negotiated and settled in each case.

Locating of Oil or Gas in Jaisalmer, Rajasthan

2117. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there is any possibility of locating oil or gas as a result of the exploration work in progress for the last four years in Jaisalmer District of Rajasthan; and

(b) the total expenditure incurred by Government so far on the exploration work being carried out in this area?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum aud Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Althouh the drilling of shallow wells in the area has not revealed any oil/gas accumulation of commercial significance uptil now, certain locations for drilling deep wells have been released on the basis of the results of geological and geophysical surveys. The possibility of striking oil/gas in this area can not be ruled out at this stage.

(b) The total expenditure on exploration of oil in the district of Jaisalmer of Rajasthan up to 31st March 1972, was Rs. 630.97 lakhs.

Action against Persons who Damaged Railway Property

2118. **Shri M. C. Daga :**

Shri Y. Eswara Reddy :

Will the Minister of Railways be pleased to state whether any action has been taken against persons who damaged Railway property during recent agitations in Andhra Pradesh and if so, the names of such persons and the nature of action taken and if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : The information is being collected and the same will be laid on the table of the Sabha.

तृतीय श्रेणी के डिब्बे हटाने के कारण तृतीय श्रेणी में भीड़

2119. **श्री रण बहादुर सिंह :**

श्री धर्मराव अफजल पुरकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय श्रेणी के डिब्बों को हटाने से जो प्रभाव पड़ेगा उसका अध्ययन कर लिया है;

(ख) क्या इसके कारण तृतीय श्रेणी के डिब्बों में भीड़ हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो तृतीय श्रेणी के डिब्बों में भीड़ कम कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। इसके विपरीत दूसरा दर्जा समाप्त करने के फलस्वरूप तीसरे दर्जे में और अधिक स्थान उपलब्ध होगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पांचवीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में नई रेल लाइनें

2120. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में जो नई रेल लाइनें बिछाई जायेंगी उनका ब्योरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़

2121. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर बहुत अधिक भीड़ रहती है जिसके कारण आने-जाने वाले यात्रियों को असुविधा होती है;

(ख) क्या सरकार ने यात्रियों की इस बढ़ती हुई भीड़ से निपटने के लिये इन दोनों स्टेशनों को विकसित करने की कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : केवल व्यस्त समय में दिल्ली और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर भीड़-भाड़ रहती है और पहुँच मार्गों पर भीड़-भाड़ के कारण आने-जाने वाले यात्रियों को कुछ सुविधा भी महसूस होती है। आबादी वाले क्षेत्र में स्थित होने के कारण इन दो स्टेशनों का और विस्तार करने की कोई गुंजाइश नहीं है । तीसरे टर्मिनल स्टेशन की व्यवस्था करने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

अलबाई और चेव्बरा के बीच रेलवे पुल संख्या 175 और 176 के साथ-साथ फुटपाथ बनाना

2122. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे में अलबाई और चेव्बरा के बीच पुल संख्या 175 और 176 के साथ-साथ फुटपाथ बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उस पर क्या कायवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) नियमों के अन्तर्गत रेल प्रशासन, रेलवे पुलों पर जनता के उपयोग के लिए पैदल पथ की व्यवस्था केवल तभी करते हैं जब राज्य सरकार या सम्बन्धित प्राधिकरण उस काम में आने वाली लागत को वहन करे और साथ ही जब ऐसा पैदल-पथ तकनीकी और परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक हो ।

केरल सरकार से पहले ही यह अनुरोध किया जा चुका है कि यह बताये कि क्या वह इन दोनों पुलों पर पैदल पथ की व्यवस्था में शुरू में आने वाली लागत साथ ही आवर्ती अनुरक्षण आदि की लागत को वहन करने के लिए तैयार है ।

केन्द्रीय विद्युत् परियोजनाओं के लिए विद्युत प्रजनन बोर्ड की स्थापना

2123. **श्री अण्णा साहिब गोटखिंडे** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत प्रजनन बोर्ड की स्थापना के प्रश्न पर कोई निर्णय किया गया है;

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) राज्यों द्वारा विद्युत् प्रजनन को बढ़ाये जाने के लिए, पांचवीं योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत प्रजनन के लिए कौन-कौन सी परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं के लिए विद्युत उत्पादन बोर्ड अथवा अन्य उपयुक्त संगठन स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है और अभी तक मामले पर कोई फैसला नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सेक्टर में पांचवीं योजना में शामिल करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं ये हैं :

उत्तरी क्षेत्र

(1) बदरपुर ताप विस्तार (400 मेगावाट)

(2) परमाणु ऊर्जा केन्द्र, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना (400 मेगावाट)

(3) डुलहस्ती (330 मेगावाट)

(4) बैरा-सियुल जल-विद्युत (180 मेगावाट)

(5) सलाल जल-विद्युत (270 मेगावाट)

पश्चिमी क्षेत्र

(1) तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र विस्तार (200 मेगावाट)

दक्षिणी क्षेत्र

(1) कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र (400 मेगावाट)

(2) कलपक्कम परमाणु विद्युत केन्द्र विस्तार (400 मेगावाट)

(3) नए परमाणु केन्द्र (200 मेगावाट)

पूर्वी क्षेत्र

(1) दामोदर घाटी निगम ताप परियोजनाएं (640 मेगावाट)

(2) तेनुघाट ताप विद्युत् परियोजना (400 मेगावाट)

(3) उत्तरी-बंगाल ताप विद्युत परियोजना (240 मेगावाट)

(4) पम्प संचय संयंत्र जल विद्युत-डी० वी० सी० (200 मेगावाट)

(5) कोयल-कारो-जल विद्युत परियोजना (120 मेगावाट)

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

(1) लोकतक जल-विद्युत परियोजना (70 मेगावाट)

(2) लोकतक जल-विद्युत परियोजना विस्तार (35 मेगावाट)

(3) कामेंग जल-विद्युत (200 मेगावाट)

चल (फ्लोटिंग) बिजली घरों की स्थापना

2124. **श्री बख्शी नायक** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चल (फ्लोटिंग) बिजली घर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बिजली घरों के लिए उपकरण किस देश से आयात किए जाएंगे; और

(ग) ये बिजली घर देश में बिजली की सप्लाई में किस सीमा तक वृद्धि करने में सहायक होंगे ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) देश में चल (फ्लोटिंग) विद्युत केन्द्रों की स्थापना की संभाव्यताओं की इस समय प्रारम्भिक जांच हो रही है ।

(ख) और (ग) : तैयार की जाने वाली परियोजनाओं की किस्म, उनकी ईंधन संबंधी आवश्यकताओं, भार क्षमताओं आदि पर निर्भर करते हुए, उन मामलों का हिसाब लगाया जाएगा ।

दिल्ली से अहमदाबाद तक राजधानी एक्सप्रैस

2125. **श्री डी० पी जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली से अहमदाबाद तक राजधानी एक्सप्रेस चलाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह कब तक चलाई जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं ।

(क) प्रश्न नहीं उठता ।

लोकोमोटिव की गति तथा शक्ति का नियन्त्रण करने के लिए स्वदेशी इलैक्ट्रानिक पद्धति

2126. **श्री पी० के० देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लोकोमोटिव की गति और शक्ति को नियन्त्रित करने के लिए एक स्वदेशी इलैक्ट्रानिक पद्धति का विकास किया गया है ;

(ख) इस उपकरण का विकास किस संगठन ने किया; और

(ग) क्या इस उपकरण का परीक्षण कर लिया गया है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हाँ। एक यंत्र की रूपरेखा पर जिसे अमरीका से आयात किया जा रहा था ।

(ख) इस यंत्र को डीजल रेल इंजन कारखाना वाराणसी, हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० भोपाल, सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी और इलैक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इंडिया, हैदराबाद ने मिलकर बनाया था ।

(ग) जी हाँ, रेल इंजनों पर परीक्षणों और और प्रयोगों के परिणाम सफलतापूर्ण रहे हैं ।

Provision of electricity and telephone at Garot Railway Station in Ratlam Division

2127. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Garot Railway station of Ratlam Division is not electrified despite the availability of electricity lines near the Railway station, nor has the station any telephone connection there; and

(b) if so, the difficulty in providing electricity and telephone connection at the station ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) A view of the exorbitant service connection charges asked for by the supply authorities, the electrification of Garot Railway station has not been considered so far.

A demand for the provision of a P & T telephone has already been placed on Divisional Engineer (Telephone), Indore.

Sale of Base Oil in Market by Private Companies

2128. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Base oil is supplied only for defence purposes;

(b) whether the supply of the Base oil to defence was entrusted to the Swastik Petroleum Auto Industries, Central Oil Company and Jay Bharat Lubricants;

(c) whether the Base Oil was soid in the market by the sald private Companies; and

(d(if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

I. O. C. Cargo by Shipping Corporations of India

2129. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Indian Oil Corporation has entrusted the work of transporting cargo to some Private Shipping Agencies instead of entrusting it to the Shipping Corporation of India; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : **(a) & (b)** : IOC have chartered tankers both from Shipping Corporation of India and the Private Shipping agencies. Tankers of the Private Shipping agencies are, however, chartered only when the Shipping Corporation of India is not able to offer adequate suitable tanker tonnage to IOC to suit its requirements.

Shortage of Kerosene Oil in Delhi

2130. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether there has been acute shortage of Kerosene oil in Delhi during the last 12 months; and

(b) if so, the reasons therefor and the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) No, Sir. There have, however, been some sporadic shortages of Kerosene Oil in some parts of Delhi.

(b) The product availability position has so far been generally good. However, local shortages occured sometimes mainly due to operational reasons. To maintain kerosene supplies to the areas where such shortages occur, special arrangements are made from time to time and the supply position kept at a generally satisfactory level.

Demands of Wagons for Transportation of Soft Coke for Delhi

2131. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of wagons demanded by Delhi per month for transportation of soft coke during the last three years; and

(b) the extent to which the demand has been met during 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) : Before January '72 the allotment of soft coke to Delhi was made as per indents placed by the collieries in favour of different licencees recommended by the Delhi State within the overall soft coke quota allocated to different collieries in West Bengal-Bihar fields. From January '72 Delhi State was allotted a quota of 1500 wagons per month of soft coke. The monthwise allotment during the period from January '72 to February '73 is furnished below :

	Programme	Allotment
January '72	1500	1107
February '72	,,	1675
March '72	,,	1488
April '72	,,	1254
May '72	,,	927
June '72	,,	1279
July '72	,,	1072
August '72	,,	1512
September '72	,,	1738
October '72	,,	1496
November '72	,,	1083
December '72	,,	1027
January '73	,,	1521
February '73	,,	1069

विद्युत संयंत्रों की आयोजना और निष्पादन के क्षेत्र में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कृत्य

2132. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के योगदान के संबंध में मूलतः क्या परिकल्पना की गई थी और इस समय विद्युत संयंत्रों, विशेष रूप से तापीय विद्युत संयंत्रों की आयोजना, डिजाइन और निष्पादन के क्षेत्र में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के कृत्य तथा उत्तरदायित्व क्या हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का वर्तमान कार्य उसके मूल्य परिकल्पित कार्य से भिन्न है और यदि हां, तो इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के कार्य, भूतपूर्व प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के संकल्प सं० ई० एल०-1-201 (5), दिनाँक 21 अप्रैल, 1951 में निहित हैं जिनकी एक प्रति संलग्न है। आयोग के कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4397/73]**

उर्वरकों के लिए तेल के मूल्यों में कमी लाना

2133. **श्री सरोज मुखर्जी :**

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ईंधन तेल के मूल्य को कम करके उर्वरक उद्योग को रियायत देने की योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : उर्वरकों के उत्पादन के लिये संभरण सामग्री के रूप में प्रयोग किये जाने वाले ईंधन तेल पर उत्पादन शुल्क न लगाने का सरकार ने निर्णय कर लिया है। ईंधन तेल पर आधारित उर्वरक संयंत्र की लाभप्रदता में सुधार लाने के लिये ईंधन तेल के मूल्य समंजन हेतु कुछ अन्य उपाय अपनाये जाने पर भी विचार किया जा रहा है। इन उपायों से दोनों सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उर्वरकों के उत्पादन के लिये संभरण-सामग्री के रूप में ईंधन तेल के प्रयोग में वृद्धि हो जाने की आशा है।

फालतू बिजली वाले राज्यों से बिजली की सप्लाई करना

2134. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :** क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले चार महीनों से बिजली की अत्यधिक कमी का सामना करने वाले राज्यों को फालतू बिजली वाले राज्यों से बिजली की सप्लाई करने की दिशा में क्या कार्यवाही की ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन्हें बिजली की कितनी मात्रा उपलब्ध की गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : वर्ष के दौरान, उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, पश्चिमी क्षेत्र में मध्य प्रदेश और दक्षिण क्षेत्र में केरल में फालतू बिजली उपलब्ध रही है। दिल्ली से हरियाणा को प्रतिदिन 8-10 लाख यूनिट विद्युत् तथा हिमाचल प्रदेश में बस्सो से पंजाब को प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख यूनिट विद्युत् सप्लाई की जाती रही है। मध्य प्रदेश उत्तरी क्षेत्र को प्रतिदिन लगभग 10 लाख यूनिट विद्युत् सप्लाई करता रहा है। केरल, तमिलनाडु को प्रतिदिन लगभग 3 लाख यूनिट विद्युत् सप्लाई कर रहा है। बिहार/दामोदर घाटी निगम उत्तर प्रदेश को प्रतिदिन लगभग 5 लाख यूनिट आफ-पीक विद्युत् सप्लाई कर रहा है।

दिल्ली न्यायालयों में लम्बित मामले

2135. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1972 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'न्यायालयों (दिल्ली) में 1.5 लाख से अधिक लम्बित मामले' (ओवर 1.5 लाख केसिस पैंडिग इन कोर्ट्स (दिल्ली) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) सम्बन्धित समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है।

(ख) अधिकांश बकाया मुकदमे यातायात-अपराधों के बारे में पुलिस-चालानों से संबंधित हैं।

इस प्रकार के बकाया मुकदमों के निपटारे के लिए, नियमित यातायात-न्यायालयों की संख्या दो से बढ़ाकर चार कर दी गई है और संबंधित मजिस्ट्रेटों को निदेश दे दिए गए हैं कि वे मुकदमों का निपटारा और शीघ्रता से करें। उनको ये अनुदेश भी दिए गए हैं कि वे मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 1 0 के उपबन्धों को भी उपयोग में लाएं जिससे उक्त धारा के अन्तर्गत मुकदमों का निपटारा अभियुक्त द्वारा, विचारण के लिए न्यायालय में उपस्थित हुए बिना ही जुर्माने का संदाय करके किया जा सके। अभियुक्तों और साक्षियों को आदेशिका की तामील कराने के लिए और अच्छी व्यवस्था की जा रही है। परिणाम उत्साहवर्द्धक है और बकाया यातायात मुकदमों की संख्या प्रतिमास कम हो रही है।

इस समय दो अधिकारी अधिकतर उन्हीं मुकदमों को निपटा रहे हैं जो हिन्दू विवाह से सम्बन्धित हैं। आशा है कि इस कार्याविधि से इस प्रकार संस्थित किए जाने वाले मुकदमों का निपटारा अवश्य ही शीघ्रता से होगा। यदि यह पता चला कि ऐसे बकाया मुकदमों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके निपटारे के लिए और न्यायाधीशों की आवश्यकता है तो उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी।

हाल ही में दिल्ली न्यायिक सेवा में पच्चीस और अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनमें से इक्कीस ने कार्य आरम्भ कर दिया है और शेष भी शीघ्र ही पद-भार ग्रहण करने वाले हैं। आशा है कि इस प्रकार अधिकारियों की संख्या बढ़ जाने से मुकदमों का निपटारा और शीघ्रता से होगा और बकाया मामलों की संख्या कम हो जाएगी।

रेलवे डाक सेवा डिब्बों, और पार्सल डिब्बों के लिए अलग तेज गति की गाड़ियां चलाना

2136. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक सेवा डिब्बों, स्लिप कोचों और पार्सल के डिब्बों के लिए अलग से तेज गति की रेल गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे कि पैसेंजर गाड़ियों में अधिक यात्रियों को स्थान मिल सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : इन अतिरिक्त गाड़ियों को सम्हालने के लिए खण्ड की क्षमता और पर्यन्त स्टेशनों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय रेलों के परामर्श से एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

खुर्दा रोड डिवीजन (दक्षिण पूर्व रेलवे) में गेंगमैन के स्थायी पद बनाना

2137. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड डिवीजन में पिछले दस वर्षों से कार्य कर रहे गेंगमैनों के लिए अधिकृत वेतनमान में स्थायी पद बनाने के मार्ग में क्या कठिनाइयाँ हैं ; और

(ख) सरकार इस संबंध में इस समय किस प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : रेलपथ अनुरक्षण की आवश्यकता के अनुसार खुर्दा रोड मण्डल में पिछले दस वर्षों के दौरान गेंगमैनों के लगभग 1500 स्थायी पदों का सृजन किया गया है। समय-समय पर स्थिति की समीक्षा की जाती है। फिलहाल आवश्यकताओं के बारे में जांच की जा रही है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के फ्लैग स्टेशनों के एजेन्टों को टिकटों की बिक्री पर दी जाने वाली कमीशन की दर का पुनरीक्षण

2138. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के फ्लैग स्टेशनों के एजेन्टों को टिकटों की बिक्री पर किस दर से कमीशन दी जाती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कमीशन को बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) फ्लैग स्टेशन एजेन्टों द्वारा नहीं बल्कि विभाग द्वारा संचालित किये जाते हैं। स्पष्टतः आशय हाल्ट एजेन्टों से है जिनका संचालन हाल्ट एजेन्टों द्वारा किया जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे सहित सभी रेलों पर इन हाल्ट एजेन्टों को कुल बिक्री के 15 प्रतिशत की दर से अधिक भुगतान नहीं किया जाता है ताकि उन्हें हर महीने लगभग 150 रुपये कमीशन मिल जाये।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी की बाढ़ नियंत्रण योजना संबंधी परियोजना

2139. **श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्वर्ण रेखा नदी की बाढ़ नियंत्रण योजना के बारे में कोई परियोजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा लागत अनुमान क्या हैं और इसे कब तक पूरा किया जाएगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) उड़ीसा सरकार ने पश्चिमी बगाल-उड़ीसा सीमा से समुद्र तक, उड़ीसा राज्य में सुवर्ण रेखा नदी के दोनों किनारों पर तटबन्धों का निर्माण करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है।

(ख) 10.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना रिपोर्ट में 75 किलोमीटर की लम्बाई में नए तटबन्धों का निर्माण करना और 20 किलोमीटर की लम्बाई में वर्तमान तटबन्धों को ऊँचा और सुदृढ़ करना परिकल्पित है। इसमें लगभग 33 किलोमीटर की लम्बाई में वर्तमान जल निकास चैनलों का पुनरूपण और जल-निकास और तटबन्धों में जल प्लावित सिंचाई सलूइसों की अवस्था करना भी परिकल्पित है। इस परियोजना से 0.8 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ होने की प्रत्याशा है।

केन्द्र द्वारा बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के राज्यों में सुवर्णरेखा के वाह-क्षेत्र में संचय जलाशयों के निर्माण की संभाव्यताओं की जांच करने हेतु और समग्र रूप से सुवर्णरेखा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए दीर्घकालीन उपायों की सिफारिश करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् जिसकी जून, 1973 तक प्रस्तुत होने की संभावना है उड़ीसा में परियोजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सुवर्ण रेखा और बुराबालांग नदी बेसिन में अनेक नलकूप लगाने का कार्यक्रम बनाने और भूमिगत पानी के लिए सर्वेक्षण

2140. **श्री अर्जुन सेठी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री सुवर्ण रेखा और बुराबालांग नदी बेसिन

में अनेक नलकूप लगाने का कार्यक्रम बनाने और भूमिगत पानी के लिए सर्वेक्षण के बारे में 9 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3965 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुवर्ण रेखा और बुराबालांग नदी बेसिन में अनेक नलकूप लगाने का कार्यक्रम बनाने और भूमिगत पानी के लिए सर्वेक्षण के बारे में कोई अग्रेतर कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बुराबालांग बेसिन में 350 वर्ग मील और सुवर्ण रेखा बेसिन में 420 वर्ग मील का भूगत जल के लिए सर्वेक्षण किया गया है तथा बुराबांलाग बेसिन में 22 नलकूप और सुवर्ण रेखा बेसिन में 42 नलकूप लगाए गए हैं ।

सरकार को रेलवे स्टेशनों पर बुक-स्टाल फर्मों से हुआ लाभ

2141. **श्री हरिकिशोर सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे स्टेशनों पर कितनी गैर-सरकारी फर्मों के बुक स्टाल हैं ;

(ख) प्रत्येक फर्म के अपने अथवा उसके अधीन कितने बुक स्टाल हैं ; और

(ग) सरकार को उक्त फर्मों से, फर्मवार, कुल कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 41 फर्म (इस संख्या में फर्मों के अलावा व्यक्तियों को दिये गये ठेके शामिल नहीं हैं) ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4398/73]**

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का आयात

2142. **श्री हरिकिशोर शर्मा** :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फारस की खाड़ी के देशों से कच्चा तेल आयात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : अशोधित तेल के वैकल्पिक स्रोतों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस स्थिति पर इनके ब्यौरे इतने समय पूर्व बताना कठिन है । ईराक से अशोधित तेल की कुछ मात्राएं खरीदने की व्यवस्था की गई है।

जन आन्दोलन के कारण रेल कर्मचारियों की मृत्यु

2143. **श्री गदाधर साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के कार्य से असम्बद्ध जन आन्दोलनों के कारण वर्ष 1972 में कितने रेल कर्मचारियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या सरकार ने उन आन्दोलनों के परिणामस्वरूप मरने वाले कर्मचारियों के लिए कोई मुआवजा दिया है; और

(ग) यदि हां, तो कितना और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) दक्षिण मध्य रेलवे के निडुब्रोलु स्टेशन के केबिन में काम कर रहे एक रेल कर्मचारी की, आन्दोलनकारियों द्वारा उसके केबिन में आग लगा दिये जाने के फलस्वरूप 22-11-1972 को आयी चोटों से मृत्यु हो गयी ।

(ख) और (ग) : रेल मंत्री की कल्याण राहत निधि तथा क्षेत्रीय रेलों पर परिचालित अन्य निधियों से मृतक के परिवार को अनुग्रह के रूप में 8,650 रुपये की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है । क्षतिपूर्ति के भुगतान के रूप में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को 9,000 रु० की राशि के मामले में सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है और यह राशि शीघ्र ही कर्मकार प्रतिकर-आयुक्त के पास जमा कर दी जायेगी ।

लाइट डीजल आयल की सप्लाई

2144. **श्री माधुर्य हाल्दर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइट डीजल आयल की सप्लाई के लिए राज्यों का कोटा नियत करने के अतिरिक्त, सरकार कुछ उद्योगों अथवा संगठनों को सीधे भी लाइट डीजल आयल देती है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों और संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) उन्हें कितना तेल दिया गया था ?

पेट्रोलियम और रसायन मत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दक्षिण मध्य रेलवे (दक्षिण रेलवे) के सिगनल और दूर सचार विभाग के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल के परिणामस्वरूप जन-दिवसों की हानि

2145. **श्री माधुर्य हाल्दार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के सिगनल और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों ने वर्ष 1972 में हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो कितने जन-दिवसों की हानि हुई; हड़ताल किन शर्तों पर समाप्त हुई और क्या उन शर्तों को कार्यान्वित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : काजीपेट में नियुक्त सिगनल तथा दूर संचार विभाग के लगभग 400 नैमित्तिक दिहाड़ी मजदूर 20-7-72 से 9-8-72 तक की अवधि में काम पर नहीं आये । 23-7-72 को उन्हें बताया गया था कि स्थानीय रेल प्रशासन उनकी शिकायतों पर विचार करेगा । प्रत्येक मांग पर विचार किया गया है और उपयुक्त कार्रवाई की गयी है, जिसमें कुछ कोटियों के मजदूरों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि करना और ऐसे मजदूरों को चौथे दर्जे में समाहित करना भी शामिल है जिन्हें इसके लिए उपयुक्त पाया गया था ।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के मूल्य में वृद्धि की प्रवृत्ति

2146. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति दृष्टिगत हुई है;

(ख) क्या शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय तेल व्यापार संघ पेट्रोलियम और कच्चे तेल की कर समेत लागत का सारा भार उपभोक्ता देशों पर डालने का प्रयास कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत अन्य तेल-आयातकर्ता विकासशील देशों के सहयोग से तेल व्यापार संघों की चुनौती का सामना करने के लिए और मित्र देशों की सहायता से तेल की खोज, उत्पादन तथा सप्लाई हेतु दीर्घावधि परियोजना बनाने के लिए कोई कार्यवाही कर रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) निम्नलिखित उपाय अपनाए जा रहे हैं :

(i) अशोधित तेल की सप्लाई के वैकल्पिक स्रोतों की स्थापना;

(ii) देश के तट-पर एवं अपतट क्षेत्रों में तेल की खोज कार्य का विस्तार एवं गति-वर्धन; और

(iii) विदेश में तेल की खोज के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना।

राष्ट्रीय न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना

2147. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने राष्ट्रीय न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी हां। विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता पर अपनी चौअनवीं रिपोर्ट में ऐसी अकादमी की स्थापना के लिए सिफारिश की है।

(ख) सरकार ने अभी तक प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया है।

पूर्वी रेलवे द्वारा बढ़े हुए माल यातायात के लिए अतिरिक्त सुविधाओं की आवश्यकता

2148. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पांचवीं योजना में माल यातायात में होने वाली वृद्धि के लिए पूर्वी रेलवे द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) पूर्वी रेलवे को अपेक्षित अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : पांचवीं योजना के दौरान होने वाले यातायात और उसके लिए अपेक्षित सुविधाओं का अभी अनुमान लगाया जा रहा है। इन अभ्यासों के पूरा हो जाने पर वार्षिक योजनाओं के द्वारा सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

उड़ीसा की महानदी और ल्यूना-चित्रोथपला सिंचाई योजनाओं के लिए सहायता

2149. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को आश्वासन दिया गया था कि महानदी और ल्यूना-चित्रोथपला के डेल्टा क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त धन उपलब्ध कर दिया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : देश में महानदी डेल्टा और अन्य सिंचाई परियोजनाओं, जो अगले तीन वर्षों में पर्याप्त अतिरिक्त सिंचाई शक्यता पैदा करने में मदद कर सकती हैं, के कार्य में तेजी लाने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है ।

भिलाई स्थित इलैक्ट्रिक लोकोशेड (दक्षिण पूर्वी-रेलवे) में कर्मचारियों सम्बन्धी मामलों में अनियमितताएं

2150. **श्री मुहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण-पूर्व रेलवे के भिलाई स्थित इलैक्ट्रिक लोकोशेड में कर्मचारियों सम्बन्धी मामलों में कतिपय अनियमितताओं के बारे में सूचित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : कुछ आरोपित अनियमितताएं माननीय सदस्य द्वारा ध्यान में लायी गयी थीं । इन पर सावधानी से जांच की गयी, परन्तु अनियमितताओं के आरोप सही नहीं पाये गये । तदनुसार उन्हें उत्तर भेज दिया गया था ।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे (विद्युतीकरण) के कर्मचारियों को 'लियन' प्रदान करना

2151. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे (विद्युतीकरण) के अनेक कर्मचारियों का किसी भी ओपन लाइन रेलवे में 'लियन' नहीं है,

(ख) क्या उन्हें 'लियन' प्रदान करना सरकार की स्वीकृत नीति है; और

(ग) यदि हां, तो दक्षिण-पूर्व रेलवे (विद्युतीकरण) के सभी 'लियन' रहित कर्मचारियों को किसी निश्चित तारीख तक 'लियन' प्रदान कर दिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हाँ, बशर्ते चालू लाइन रेलों पर उस ग्रेड में रिक्तियां हों और पद उपलब्ध हों जिस लिए, उन्हें छानबीन करने के पश्चात उपयुक्त पाया जाये ।

(ग) इस प्रयोजन के लिए निश्चित तारीख तय करना संभव नहीं है खासतौर पर जबकि उससे सम्बन्धित कुछ कर्मचारी जांच-समिति के समक्ष उपस्थित होने से कतरा रहे हैं ।

तापीय विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई

2152. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ तापीय विद्युत केन्द्रों पर कोयले की कमी है;

(ख) क्या इस कमी के कारण उनकी विद्युत-प्रजनन क्षमता पर कुप्रभाव पड़ा है और यदि हां

तो किस सीमा तक; और

(ग) तापीय विद्युत-केन्द्रों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ग) : 1972 के दौरान अपर्याप्त वर्षापात के कारण सितम्बर/अक्तूबर, 1972 से जल विद्युत केन्द्रों के विद्युत उत्पादन में अत्याधिक कमी आई है। परमाणु विद्युत, केन्द्रों के विद्युत उत्पादन में भी कमी आई थी। चूंकि जल विद्युत और परमाणु केन्द्रों से विद्युत में कमी और विद्युत की बढ़ती हुई माँग में स्वाभाविक वृद्धि यथासंभव ताप केन्द्रों के विद्युत उत्पादन में तेजी लाने से पूरी की जाती है, कोयले की खपत में तेजी से वृद्धि हुई है। फलस्वरूप, सरकारी और निजी सैक्टरों में कोयला खानें ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की अचानक बढ़ी हुई मांग को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रही है, यद्यपि वे कोयला सप्लाई की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार, रेलवे ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त वेगन उपलब्ध कराने में कठिनाई का सामना कर रही है। कुछ ताप विद्युत केन्द्रों पर, कोयले के भण्डार में कमी आने के कारण क्षेत्र की पूरी विद्युत मांग काफी हद तक पूरी नहीं की जा सकी। इस स्थिति से निपटने के उद्देश्य से भारत सरकार के संबंधित विभाग ताप विद्युत केन्द्रों को पर्याप्त कोयले की सप्लाई के लिए अपने संसाधनों को एकत्र कर रहे हैं। जनवरी, 1973 में रेलवे बोर्ड में एक नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां इस्पात और खान, सिंचाई और विद्युत मंत्रालयों और रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधि कोयला खपत और कोयला सप्लाई स्थिति तथा जहाँ आवश्यक हो किसी संकट को टालने के लिए आपात आधारों पर कोयला भेजने पर निगरानी रखने के लिए प्रतिदिन बैठकें कर रहे हैं।

बाढ़ नियन्त्रण उपाय

2153. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाढ़ नियन्त्रण के लिए अब तक किये गये उपायों से प्रायः बाढ़-ग्रस्त होने वाले कुल क्षेत्र का केवल एक तिहाई भाग ही लाभान्वित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो शेष क्षेत्र को भी बाढ़ से बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) अब तक किए बाढ़ नियंत्रण उपायों से लगभग 65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को यथोउचित सुरक्षा प्रदान की गई है जो कि बाढ़ों से हानि के अन्तर्गत आने वाले मोटे तौर पर अनुमानित कुल क्षेत्र का लगभग तीसरा भाग है।

(ख) अधिकतम संभाव क्षेत्र को यथाशीघ्र बाढ़ सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की गति में तेजी लाने का प्रस्ताव है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निश्चित करने तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए व्यापक योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा व्यापक योजनाएं तैयार करने तथा सापेक्ष प्राथमिकतायें निर्धारित करने के उपरान्त प्रस्तावों के ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जाना है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ने मोटे तौर पर यह अनुमान लगाया है कि पचास प्रतिशत बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की यथोचित सुरक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के कार्य क्रम पर 1971-81 की अवधि में लगभग 540 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

गम्भीर रूप में बाढ़ से प्रभावित बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों में बाढ़ों से बार बार होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों में कुछ प्राथमिकता प्राप्त कार्य भी किए गए हैं ।

व्यापक योजनाएं बनाने तथा समेकित और प्रभावी तरीके से उनका कार्यान्वयन करने के लिए असम और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः असम में ब्रह्मपुत्र घाटी और उत्तरी बंगाल की नदियों के लिए बाढ़ नियन्त्रण आयोगों का गठन किया गया है । भारत सरकार ने गंगा बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण की एक व्यापक योजना तैयार करने तथा एक समन्वित रीति से सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा इसके कार्यान्वयन की व्यवस्था करने के लिए गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग का गठन किया है ।

कच्चे तेल का आयात करने के लिए विदेशी तेल कम्पनियों को विदेशी मुद्रा देना

2154. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी कम्पनियों को कच्चे तेल के आयात के लिए स्वदेशी मुद्रा देने का प्रणाली में परिवर्तन कर दिया है;

(ख) इस परिवर्तन के क्या कारण हैं तथा उसके क्या लाभ हैं; और

(ग) क्या वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत पहली नियतन प्रणाली की अपेक्षा कच्चे तेल के प्रति बैरल पर अधिक आयात मूल्य देना पड़ता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : जी नहीं । सरकार तदर्थ आधार पर अशोधित तेल के आयात के लिए विदेशी तेल कम्पनियों को विदेशी मुद्रा निरन्तर दे रही है ।

मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए पास तथा पी० टी० ओ० धारियों के लिए कोटा

2155. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या रेल मन्त्री रेलवे अधिकारियों के लिए आरक्षण कोटे के औचित्य के बारे में 19 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पास-धारियों को देश भर में प्रमुख मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों में प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित डिब्बों में काफी स्थान मिल जाते हैं जबकि टिकट-धारियों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड ने प्रमुख मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों में ऐसे पास तथा पी० टी० ओ० धारियों के लिए एक निश्चित कोटा निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार किया है ताकि टिकट-धारियों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े तथा रेलवे को राजस्व की हानि न हो; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं । रेलगाड़ियों में, सभी दर्जों में यात्रियों के लिए, जिनमें रेलवे पासधारी भी शामिल हैं, स्थान का आरक्षण 'पहले आवे पहले पावे' के आधार पर किया जाता है । आरक्षण के मामले में रेलवे पासधारियों के साथ तरजीही व्यवहार नहीं किया जाता और गाड़ियों में अपनी बारी के अनुसार उन्हें स्थान दिया जाता है ।

(ख) और (ग) : पासों और सुविधा टिकट आदेशों पर आरक्षण के लिए कोई विशिष्ट कोटा निर्धारित करने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, भीड़-भाड़ के दिनों में यथासंभव, टिकटधारियों को असुविधा न होने देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण गाड़ियों में पास और सुविधा टिकट आदेशों पर आरक्षण के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। रेल-कर्मचारियों को दिये जाने वाले पास और सुविधा टिकट आदेशों जैसी रियायतों को सरकार कुछ इस रूप में मानती है कि वे अपनी सेवा की शर्तों के अंग के रूप में इन्हें पाने के वैध पात्र है, अतः इसके कारण रेलवे को हानि हो रही है, ऐसा प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में श्रम सम्बंधों में सुधार करने हेतु नयी व्यवस्था

2156. **श्री सी० के० चंद्रप्पन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे अपने यहाँ श्रम सम्बन्धों में सुधार करने के उद्देश्य से एक नई व्यवस्था गठित करने का विचार कर रही है जैसा कि केन्द्रीय रेल मन्त्री ने दिनांक 27 जनवरी, 1973 के 'ब्लिट्ज' के गणतन्त्र दिवस विशेषाँक में प्रकाशित एक हस्ताक्षरकृत लेख में सुझाव दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नई व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 'प्रबन्धकों और श्रमिकों' का संयुक्त उद्यम समूह 'नामक फोरम' जिसका लेख में उल्लेख किया गया है पहले ही गठित किया जा चुका है।

(ख) इस फोरम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(i) रेलों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना और उद्यम की कार्यकुशलता तथा अर्थ क्षमता बढ़ाने के लिए अर्थोपायों से सम्बन्धित आंकड़ों और विचारों का आदान-प्रदान करना;

(ii) पूंजी निवेश कार्यक्रमों, विशेषकर आवास एवं कल्याणकारी सेवाओं से सम्बन्धित निवेश कार्यक्रमों से अवगत कराना;

(iii) संगठन में अधिकतम प्रभावोत्पादकता लाने के लिए क्षेत्रों का पता लगाना और कार्य परक तौर तरीके निकालना, प्राद्योगिकी का उपयोग करना और सेवा संगठन के रूप में रेलों की प्रतिष्ठा बढ़ाना।

केरल में परियोजनाओं की पूर्ति के लिए निधियां

2157. **श्री सी० के० चंद्रप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य को पांचवीं योजना में पूरी होने वाली सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही करने के लिए चौथी योजना के अन्तिम दो वर्षों में कोई विशेष निधियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) : चुनी हुई वृहत् सिंचाई परियोजनाओं पर, जिनमें केरल की कुछ सिंचाई परियोजनायें भी सम्मिलित हैं और जिनके निर्माण में तेजी लाने से अगले तीन वर्षों में काफी अतिरिक्त सिंचाई शक्यता उत्पन्न करने में सहायता हो सकती है, कार्य में तेजी लाने के प्रश्न पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

रूपसा तलबन्द लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना

2158. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में रुपसा-तलबन्द लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव में और आगे प्रगति हुई है; और

(ख) लाइन परिवर्तित करने का यह कार्य कब आरम्भ किया जाने वाला है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : रुपसा-तलबन्द छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए यातायात सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच की जा रही है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, इस परियोजना की अनुमानित लागत 3.79 करोड़ रुपये है जिससे केवल 2.53 प्रतिशत प्रतिफल मिलेगा। फिर भी, रिपोर्ट की सभी पहलुओं से जाँच कर लेने के बाद ही कोई विनिश्चय किया जायेगा।

उड़ीसा में अपर इन्द्रावती परियोजना की क्रियान्विति

2159. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अपर इन्द्रावती परियोजना सम्बन्धी जांच का कार्य पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उक्त परियोजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि इन्द्रावती परियोजना का अनुसंधान कार्य अभी भी किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : अनुसंधानों के पूर्ण होने और राज्य सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् ही इनका पता लग सकेगा।

बिजलीघरों के लिए आवश्यक ठण्डा जल (कूलिंग वाटर)

2160. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बिजलीघरों के क्या नाम हैं जिन्हें बिजली घरों को ठण्डा रखने के आवश्यक मात्रा में ठण्डा जल प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तथा ऐसा कब से हो रहा है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) उन केन्द्रों को ठण्डे जल की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) केवल प्रवेश मार्ग में रेत की रोधन बन जाने के कारण शीतल जल की अपेक्षित मात्रा प्राप्त करने में तमिलनाडु में एन्नोर विद्युत केन्द्र को कठिनाई का अनुभव हुआ। तमिलनाडु के बेसिन ब्रिज विद्युत केन्द्र की भी शीतक जल सप्लाई करने में सीमायें थी।

(ख) रेत पम्पों, बुल-डोजर्स और स्क्रेपर्स के प्रयोग मे तमिलनाडु में, एन्नोर विद्युत केन्द्र, को शीतक जल सप्लाई की उपलब्धता में वृद्धि की गई है। तमिलनाडु में बेसिन ब्रिज विद्युत केन्द्र को शीतक जल की सप्लाई बढ़ाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

बिजली घरों द्वारा जल का उपयोग

2161. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों से सम्बद्ध प्रत्येक जलागार में कितनी मात्रा में पानी रहा; और

(ख) इस अवधि में प्रत्येक बिजली घर द्वारा विद्युत-प्रजनन के लिए कुल कितनी मात्रा में जल का उपयोग किया गया ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : **(क)** गत तीन वर्षों में बृहद् जल-विद्युत परियोजनाओं के जल-विद्युत जलाशयों में संचय किए गए जल का अधिकतम परिमाण निम्न प्रकार है :

परियोजना का नाम	1970-71	1971-72	1972-73
	(ये आंकड़े मिलियन घन मीटरों में सक्रिय जल संचय क्षमता सूचित करते हैं)		
भाखड़ा	4460	6770	3880
गांधी सागर*	6140	6640	4240
रिहंद†	4100	8970	6800
शारावथी*	4275	3310	2365
हीराकुंड	5820	5820	5820
कोयना*	1868	1891	1650

(ख) गत तीन वर्षों में उपर्युक्त विद्युत घरों द्वारा समुपयोजित जल की कुल मात्रा लगभग **यह** है :

	1970-71	1971-72	1972-73
			(मिलियन घन मीटरों में आंकड़े)
भाखड़ा	11150	12000	1972-73 के लिए आंकड़े मार्च, 197 . की समाप्ति के बाद उपलब्ध होंगे।
गांधी सागर	3545	4 70	
रिंहद	6250	7060	
शारावथी	3450	3670	
हीराकुंड	8710	9730	
कोयना	2980	3215	

उपर्युक्त जल समुपयोजन में मानसून की समाप्ति पर जलाशयों में संचय तथा मानसून पश्चात प्रवाह भी शामिल है।

* सक्रिय जल संचय के अन्तर्गत अच्छी वर्षा वाले वर्षों में उपलब्ध जल को कम वर्षा वाले वर्षों के लिए तक उठा रखने के लिए सुरक्षिय (कैरी ओवर) संचय भी शामिल है।

नोटः—(क) के संबंध में सूचित की गई सक्रिय संचित क्षमता उन वर्षों में जलाशय के अधिकतक स्तर के समान है। जहां तक (ख) का संबंध है, समुपयोजित जल के परिमाण की गणना करीब करीब उनमें सूचित किए वर्षों के दौरान परियोजना से वास्तविक उत्पादन के आंकड़ों से की गई है।

बिजलीघरों के लिए फालतू पूर्जों का न मिलना

2162. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र के कुल कितने बिजली घर फालतू पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सके;

(ख) प्रत्येक मामले में फालतू पुर्जे न मिलने के क्या कारण थे; और

(ग) ऐसे प्रत्येक बिजलीघर के लिए फालतू पुर्जे प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा करने का विचार है ?

सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : सामान्यतः फालतू पुर्जे की अनुपलब्धता के कारण देश में विद्युत केन्द्रों को कोई हानि नहीं हुई है। तेजी से घिसने वाले फालतू पुर्जे, साधारणतया सभी विद्युत केदों पर उपलब्ध हैं। बृहत् खराबियों के मामले में, पुर्जों को विशेषतया निर्मित, मरम्मत अथवा आयात करना पड़ता है। विद्युत केन्द्रों में, आयातित पुर्जों के स्थान पर देशी पुर्जों का उपयोग किया जा रहा है जो हो सकता है, कुछ मामलों में, उपयुक्त कोटि के न हों और जिसके परिणामस्वरूप कुछ विद्युत केन्द्र इष्टतम क्षमता तक कार्य नहीं कर रहे हैं।

दुर्गापुर और बोकारो में 75 मैगावाट को दो यूनिट, कोरबा में 30 मैगावाट को एक यूनिट, पतरातू में 50 मैगावाट को एक यूनिट, 62.5–62.5 मैगावाट की सतपुड़ा और तलचर में एक-एक यूनिट कुछ समय के लिए कोरबा और पतरातू के मामले में बड़ी मरम्मतों और दुर्गापुर तथा बोकारो के मामले में फालतू पुर्जों की आवश्यकता के कारण कार्य नहीं कर रही हैं।

(ग) कोरबा और पतरातू के लिये जनित्रों की मरम्मत भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० द्वारा उनके कार्य-स्थलों पर की जा रही है। दुर्गापुर और बोकारो के लिए फालतू पुर्जों का प्रबन्ध कर लिया गया है और यूनिटों के मार्च और जून, 1973 में पुनः चालू होने की संभावना है। आयातित पुर्जों के स्थान पर देशी पुर्जों की कोटि का संतत पुनरीक्षण किया जा रहा है और इनमें सुधार किया जा रहा है। संयंत्रों के सरकारी क्षेत्र के निर्माता बड़ी मात्रा में फालतू पुर्जों के निर्माण और उत्पादन यूनिटों की भारी मरम्मतों को हाथ में लेने की संभाव्यता पर विचार कर रहे हैं। जहां पर आवश्यक होता है मूल फालतू पुर्जों का आयात करने हेतु विदेशी मुद्रा आवंटित की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों की कोयले तथा तेल की आवश्यकता

2163. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बिजली घरों को अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए कुल कितनी मात्रा में कोयला तथा तेल चाहिए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे बिजली घरों को इनकी कुल कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी कितनी अवधि के पश्चात् कितनी-कितनी अवधि के पश्चात् मात्रा में उक्त सप्लाई की गई; और

(घ) बिजली घरों को कोयले तथा तेल की सप्लाई करने वाली पार्टियों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 1973-74 के दौरान कोयले तथा तेल की कुल आवश्यकता का निम्न प्रकार से मूल्यांकन किया गया है :

कोयला	30.37 मिलियन मीट्रिक टन
तेल	2.00 मिलियन मीट्रिक टन

(ख) पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित परिमाण में सप्लाई की गई थी :

	1970-71	1971-72	1972-73 (जनवरी-दिसम्बर)
		(मिलियन मीट्रिक टन)	
कोयला	12.93	16.08	18.26
तेल	1.317	1.444	1·575

(ग) जानकारी उपाबंध-एक में संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4399/73**]

(घ) **कोयल प्रदाय** :

1. मैसर्स राष्ट्रीय कोयला विकास निगम
2. मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
3. मैसर्स सिंगरेणी कोलियरीज लिमिटेड
4. मिडलिंगम की सप्लाई के लिए कोयला बाशरियां'
5. निजी कोलियरीज/कोयला खान प्राधिकार के कसटोडियन जनरल (राष्ट्रीयकरण के बाद)

तेल प्रदाय :

1. मैसर्स इन्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड
2. मैसर्स बर्माशैल रिफाइनरीज
3. मैसर्स एस्सो रिफाइनरीज
4. मैसर्स कालटैक्स आयल रिफाइनरीज
5. मैसर्स मद्रास रिफाइनरीज

विद्युत-प्रजनन

2164. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत प्रजनन अपने निर्धारित लक्ष्य से कितने किलोवाट पीछे है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा चालू योजना के दौरान निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुछ पुराने और अप्रचलित सेटों को कार्यमुक्त करने के पश्चात प्रतिष्ठापित विद्युत जनन क्षमता को 14.3 मिलियन किलोवाट से बढ़ाकर 23.1 मिलियन किलोवाट करना परिकल्पित है। अंतिम पुनरीक्षण से मालूम होता है कि योजना लक्ष्य में 3 से 3.5 मिलियन किलोवाट तक की कमी हो सकती है।

(ख) इस कमी के कारण ये हैं : अनिवार्य सामग्री जैसे इस्पात, सीमेंट आदि की आवश्यक मात्रा में अनुपलब्धता, सिविल कार्यों में देरी, विदेशों से प्रस्थापन पुर्जों की प्राप्ति में देरी, श्रमिक अशांति और देशीय निर्माताओं द्वारा उपस्कर की सप्लाई में देरी के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में देरी।

संयंत्र और उपस्कर की समय पर सप्लाई करने के लिए देशी निर्माताओं के साथ विभिन्न स्तरों पर निर्माणाधीन परियोजनाओं के संतत पुनरीक्षण किया जा रहे हैं। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने हेतु अतिरिक्त धन राशि की व्यवस्था की गई है। परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन करने हेतु और देरियों को रोकने के लिए औपचारिक उपाय हाथ में लेने के लिए प्रबोधन दल नियुक्त किए गए हैं। परियोजना-प्रबन्ध के विकसित तरीकों को अपनाया जा रहा है।

बदरपुर तापीय बिजली परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तरदायी ठेकेदार

2165. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुर तापीय बिजली परियोजना के समय पर पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त परियोजना को पूरा करने तथा उसे चालू करने के लिए उत्तरदायी ठेकेदारों के नाम क्या है,

(ग) क्या इन आसामियों के ठेका-अनुबंधों में कोई एस्केलेशन खंड भी था, यदि हां, तो क्या उक्त खण्ड को इन ठेकेदारों के संबंध में प्रभावी किया गया था; और

(घ) प्रत्येक ठेकेदार को कितनी राशि का मुआवजा दिया गया ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं :

कठिन स्थल-स्थितियां, अपेक्षित बृहद् इस्पात संरचनाओं की अनुपलब्धता के कारण मुख्य विद्युत गृह भवन के निर्माण में विलम्ब, बृहद् सिविल कार्य-ठेकेदारों का पूर्ण करने की तारीखों के लक्ष्यों को पूरा न करना, संयंत्र तथा उपस्कर की सप्लाई में हुई देरी, रेलवे साइडिंग के निर्माण में विलम्ब, भारत पाक-युद्ध के कारण इस्पात, सीमेंट तथा अन्य सामग्री के प्रदाय से बाधाएं तथा सीमेंट, इस्पात, आक्सीजन/ऐसिटिलीन गैस इत्यादि दुर्लभ सामग्री का सामान्य अभाव।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-उपाबंध-एक में दी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4400/73]**

(ग) अधिकतर सिविल ठेकों में तथा उपस्कर की सप्लाई और लगाने के कुछ ठेकों में, एक मूल्य-वृद्धि उपधारा होती है जिसमें यदि कार्य की प्रगति के दौरान, किसी कानून, सांविधिक नियम अथवा आदेश के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप कार्य में लगाई जा रही किसी सामग्री के मूल्य में या मजदूरी में कोई वृद्धि हो जाती है तो ठेकेदारों की अदायगी में वृद्धि का प्रावधान होता है। इसे, जहां आव-

श्यक होता है, ठेके के प्रावधानों के अनुसार इसे लागू किया जाता है।

(घ) अभी तक केवल एक ही ठेकेदार ने नामशः मेसर्स भारत इंडस्ट्रीयल वर्क्स ने सामग्री की लागत में वृद्धि के लिए दावा किया है तथा ठेके के प्रावधानों के अनुसार उन्हें लगभग 3.25 लाख रुपये की अदायगी की गई।

जल-परियोजनाओं के विकास हेतु उपयुक्त स्थानों का चयन करने के लिए सर्वेक्षण

2166. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल-परियोजनाओं के विकास हेतु उपयुक्त स्थलों का पता लगाने के लिए मैसूर, महाराष्ट्र तथा केरल राज्यों के पश्चिमी तटों में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री : (श्री बालगोविंद वर्मा) : (क) और (ख) : केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा 1953 से 1959 तक की अवधि के दौरान किए गए केरल, महाराष्ट्र और मैसूर के पश्चिमी घाट क्षेत्रों की जल-विद्युत संभाव्यताओं के प्रारम्भिक सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि पश्चिमी घाटों के साथ निर्मित की जाने वाली स्कीमों की कुल जल-विद्युत शक्यता 60% भार अनुपात पर 4.96 मिलियन किलोवाट है। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

मैसूर	1.54 मिलियन किलोवाट
महाराष्ट्र	0.76 मिलियन किलोवाट
केरल	2.66 मिलियन किलोवाट
	4.96 मिलियन किलोवाट

बिजलीघरों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सलाहकारों के दो दलों का गठन

2167. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में स्थित बिजलीघरों का दौरा करने तथा उनके कार्यकरण में सुधार के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए गठित सलाहकारों के दो दलों के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या उन्होंने अब तक देखे गये किन्हीं बिजलीघरों के बारे में कोई सुझाव दिये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) दोनों दलों का संगठन निम्न प्रकार है :

I. तापीय दल :

1. श्री के० आर० राधाकृष्णन,
   निवृत्त अध्यक्ष,
   तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड
2. श्री सी० लक्ष्मीपति,
   निवृत्त मुख्य इन्जीनियर,
   आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

3. श्री एल० जे० साने,
निवृत्त, मुख्य इन्जीनियर,
मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

II. **जल विद्युत दल :**

1. श्री के० एल० विज,
निवृत्त उपाध्यक्ष,
केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

2. श्री जी० एस० ज्ञानी,
निवृत्त सदस्य,
भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड

3. श्री वी० गणपति,
निवृत्त तकनीकी सदस्य,
केरल राज्य बिजली बोर्ड

(ख) तापीय दल ने अभी तक तलचर (उड़ीसा), बरौनी (बिहार), गुरुनानक (पंजाब), रूड़केला (उड़ीसा), इन्द्रप्रस्थ केन्द्र (दिल्ली) ताप विद्युत केन्द्रों का दौरा किया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं।

जयन्ती एक्सप्रेस में उपलब्ध सुविधाओं की व्यवस्था का अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों में भी किया जाना

2168. **श्री एस० सी० सामन्त :**
श्री शिवकुमार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयन्ती एक्सप्रेस गाड़ी आरम्भ करते समय उन्होंने कहा था कि जयन्ती एक्सप्रेस गाड़ी में उपलब्ध सुविधाएं अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों में भी दी जायेंगी; और

(ख) अन्य एक्सप्रेस गाड़ियों में ये सुविधाएं कब से और कितने चरणों में दी जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं। लेकिन, यह कहा गया था कि अन्य महत्वपूर्ण मार्गों पर इसी नमूने की लम्बी दूरी वाली गाड़ियों को चलाने का हमारा प्रयास रहेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बीना-बम्बई जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को लखनऊ तक चलाना

2169. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीना-बम्बई जनता एक्सप्रेस गाड़ी, जिसे बम्बई से लखनऊ तक बढ़ा दिया गया है, लखनऊ से कब से चलेगी;

(ख) क्या यह रेलगाड़ी सप्ताह के सभी दिन चलेगी; और

(ग) क्या इस रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी तथा अन्य श्रेणियां होंगी अथवा इसमें केवल तीसरी श्रेणी ही होगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) 3-4-1973

(ख) जी नहीं।

(ग) यह पूरी तरह तीसरे दर्जे की गाड़ी होगी।

रेलवे बोर्ड द्वारा अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी के प्रकाशन पर किया गया व्यय

2170. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक की प्रथा के अनुसार प्रति छः महीने के उपरान्त रेलवे समय सारणियों के प्रकाशित न होने के क्या कारण हैं जबकि तथ्य यह है कि रेलगाड़ियों के आने-जाने के समय में प्रति छः महीने के उपरान्त काफी परिवर्तन हो जाता है; और

(ख) रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित इन समय सारणियों के प्रकाशन और वितरण तथा इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त अन्य सेवाओं का कुल व्यय कितना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) आवश्यकता और मितव्ययिता के विचार से।

(ख) लगभग 1,09,906 रुपये।

Non-utilisation of funds provided under "Staff amenities" and "Railway users' amenities" heads

2171. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the annual amount provided in the budget under the Heads "staff amenities" and "Railway users" amenities respectively during the last three years and the amount actually utilised for these purposes; and

(b) the reasons for not utilising these allocations fully ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 4401/73]**

(b) Variations between the amounts provided for in the budget and the actual expenditure are nominal.

Scheme for Increasing Speed of Mail Trains

2172. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme under the consideration of Government to increase the speed of Mail and Express trains (including Janata Express) in the fifteen-year plan;

(b) if so, the extent of increase in speed proposed; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c) : For increase of speeds of Mail/Express trains during the coming 15 year period, data collection on all aspects of railway working has already been intiaited for purposes ol Corporate Planning. The studies of various aspects, including the maximum permissible speeds for Mail and Express trains will be undertaken before the 15-year Plan is finalised.

Number of classes of Compartments in Railway trains

2173. **Shri Chandrika Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the number of various classes and kinds of accommodation in trains is proposed to be reduced in number in the fifteen year plan; and

(b) if so, the main features of the proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) : It has already been decided to abolish the second class of accomodation in trains. There is no other proposal at present under consideration regarding the reduction of the number of classes.

बदरपुर तापीय बिजलीघर का निर्माण

2174. **श्री दलीप सिंह** : क्या सिंचाई **और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) बदरपुर तापीय बिजलीघर के पहले चरण के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह निर्माण कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने और बदरपुर तापीय बिजली घर में निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण में 100—100 मेगावाट के तीन यूनिटों का प्रतिष्ठापन शामिल है। 100 मेगावाट के प्रथम यूनिट से सम्बद्ध लगभग 95% कार्य पूर्ण कर दिया गया है और शेष कार्यों के अगले 2 से 3 महीनों में पूर्ण होने की संभावना है। यूनिट-एक के लिए प्रबवित सुविधाएं यूनिट-दो और यूनिट-तीन के लिए भी इस्तेमाल में लाई जाएंगी। यूनिट-दो के लिए बायलरों को लगाने से संबंधि लगभग 75% कार्य और यूनिट-तीन के लिए लगभग 50% कार्य पूर्ण हो चुके हैं। यूनिट-दो के लिए आनुषंगिक सेटों और टर्बो-जनित्रों के लिए नीवें पूर्ण हो चुकी हैं और यूनिट-तीन के लिए निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं।

(ख) मूल अनुसूची के संदर्भ में परियोजना के निर्माण में कुछ विलम्ब हुआ है।

(ग) विलम्ब के मुख्य कारण ये हैं :

प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब कठिन स्थल स्थितियां अपेक्षित संरचनात्मक इस्पात सेवाओं के उपलब्ध न होने के कारण मुख्य सिविल कार्यों के ठेकेदारों का कार्य को पूर्ण करने की लक्षित तारीखों का अनुपालन न करना, संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब, रेलवे साइडिंग के निर्माण में विलम्ब, भारत-पाक युद्ध के कारण इस्पात, सीमेंट और अन्य उपस्कर की सप्लाई में बाना तथा सीमेंट, इस्पात, आक्सीजन/एसिटिलीन गैस आदि जैसी दुर्लभ सामग्री की आम कमी।

(घ) ठेकेदारों/सम्भरणों के साथ, उच्चतम स्तर पर, कई पुनरवलोकन बैठकें की गई और कार्यों की प्रगति में बाधा डालने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी चरणों में लगातार हर कोशिश की जा रही है। अस्थायी कठिनाइयों को दूर करने के लिए ठेकेदारों को अन्य परियोजनाओं से स्टील दिया गया और इस्पात की प्राथमिक कोटे से प्राप्ति के लिए उनकी सहायता की गई। अन्य परियोजनाओं से भी, यथा आवश्यक, सीमेंट, आक्सीजन/एसिटिलीन गैस प्राप्त करने के लिए सहायता की गई। संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई में तेजी लाई गई है।

पतरातू तापीय विद्युत संयंत्र का विस्तार

2175. **श्री दलीप सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पतरातू तापीय विद्युत संयंत्र का विस्तार करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 4,270 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 110—110 मैगावाट के दो और यूनिटों के

योग से पतरातू ताप-विद्युत केन्द्र के विस्तार के लिए, बिहार राज्य बिजली बोड से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

रेलगाड़ियों की गति बढ़ाना

2176. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कई रेलगाड़ियों की गति बढ़ाई गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो समय में औसतन कितनी कमी हुई है; और

(ग) भविष्य में रेल गाड़ियों की गति बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : नवम्बर, 1972 से लागू समय-सारणी में कुल 134 गाड़ियों के चालन-समय में 15 मिनट और इससे अधिक की कमी की गयी है। चालन-समय में अधिकतम कमी 165 मिनट की हुई है।

(ग) समय सारणियों के पुनरीक्षण के समय, रेल-पक्ष और कर्षण की वर्तमान स्थितियों को देखते हुए, चालन-समय कम करने की दृष्टि से, सवारी ले जाने वाली गाड़ियों की समय-सूची पर पुनर्विचार किया जाता है।

डिब्बे बनाने में आत्म-निर्भरता

2177. **श्री एम० एस० संजीवी राव** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने डिब्बे बनाने में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है; और

(ख) यदि नहीं, तो डिब्बे बनाने में रेलवे कब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख) : चौथी योजना में रेलों की आवश्यकताएं प्रायः पूरी हो जायेंगी। लेकिन भविष्य में हमारी बढ़ने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सवारी डिब्बा निर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

बिहार में पैट्रोल पम्पों को खोलना

2178. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने युवकों के लिए रोजगार के अवसरों का पता लगाने के लिए, जो कि अधिक पैट्रोल पम्पों को खोलने से बनाये जा सकते हैं, कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा बिहार राज्य में गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने पैट्रोल पम्पों को मंजूरी दी गई है और कितने पैट्रोल पम्पों को खोला गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मोटर स्पिरिट को शामिल करते हुये विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों के लिये अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों में विस्तार करने की योजना के लिये भारतीय तेल निगम विभिन्न शहरों/क्षेत्रों में ग्राहक संभाव्य का समय समय पर मूल्यांकन करता है। इसके अतिरिक्त, अधिक पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने से रोजगार की संभावनाओं का सरकार द्वारा अथवा भारतीय तेल निगम द्वारा कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

सरकार के अनुरोध पर, भारतीय तेल निगम ने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत फुटकर बिक्री केन्द्र, मिट्टी के तेल/हल्के डीजल तेल तथा इण्डेन गैस की एजेंसियां देने में कम आय वाले परिवारों के बेरोजगार इंजीनियर/स्नातकों को तरजीह दी जाती थी। लेकिन दिसम्बर, 1971 में हुए संघर्ष के तुरन्त बाद यह योजना स्थगित कर दी गई थी और समय से भारतीय तेल निगम अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों तथा एजेंसियां देने में विकलाँग सैनिकों, युद्ध में हताहत या गुम हुये सैनिकों की विधवाओं/आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों को सबसे पहले तरजीह दे रहा है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में चालू किये गये भारतीय तेल निगम के फुटकर बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या इस प्रकार है :

1970	17
1971	14
1972	16

बोकारो तापीय बिजलीघर

2179. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो तापीय बिजलीघर अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो अपनी पूरी क्षमता के अनुसार इसके कार्यकरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या तीन संयंत्रों में से केवल एक संयंत्र ही कार्य कर रहा है और अन्य दो संयंत्र इंजीनियरों और अधीनस्थ कर्मचारियों की मिली भगत के कारण कोयले की घटिया, किस्म का लगातार प्रयोग करने से खराब हो गए हैं; और

(घ) क्या अन्य दो संयंत्रों के न चलने के कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) बोकारो ताप विद्युत केन्द्र में प्रतिष्ठापित 3 × 57.5 मैगावाट और 1 × 75 मैगावाट में से 75 मैगावाट का यूनिट, जनित्र नुक्स के कारण, बड़ी मरम्मत के लिए निकाला गया है।

(ख) 75 मैगावाट के यूनिट की मरम्मत हो रही है और इसके जून, 1973 तक पुनः चालू होने की संभावना है।

(ग) घटिया किस्म के कोयले के प्रयोग के कारण, यूनिटों को रखरखाव के लिए बार-बार निकालना पड़ता है।

(घ) जी, नहीं। कारण तकनीकी किस्म के हैं।

पांच वर्ष से अधिक की सेवा वाले पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना

2180. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के स्थायी बनाये जाने के बारे में 12 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4078 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में डिवीजनवार, पाँच वर्ष से अधिक सेवा वाले उन कर्मचारियों,

जिनको अभी तक स्थायी नहीं बनाया गया है, की कुल संख्या के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सारांश क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक एकत्र कर लिये जाने तथा सभा-पटल पर रख दिये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : अनुबन्ध "क" के विवरण में अपेक्षित सूचना दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4402/73]**

पश्चिम रेलवे में एस० एण्ड टी० इंस्पेक्टरों की कोटे से अधिक भर्ती

2181. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० एण्ड टी० इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत रिक्त स्थानों का कोटा है जब कि पश्चिम रेलवे ने लगभग 25 इंजीनियरिंग स्नातकों की भर्ती की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भर्ती निर्धारित अनुपात से अधिक है ; और

(ग) एस० एण्ड टी० विभाग में 335-425 रुपये के ग्रेड वाले इंस्पेक्टरों की कुल संख्या क्या है और कोटे अधिक सीधी भर्ती के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) 335-425 रुपये के ग्रेड में कुल संख्या 66 है। 1969 से इस ग्रेड में प्रत्याशित रिक्तियों के ठीक 25 प्रतिशत के आधार पर 15 व्यक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया है।

पश्चिम रेलवे में ए० एस० टी० ई० (श्रेणी–2) के चयन का परिणाम

2182. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे में ए० एस० टी० ई० (श्रेणी-2) पद के लिए पिछला चयन 1970 में हुआ था और उसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या पश्चिम रेलवे ने सिगनल और दूर-संचार विभाग में अन्य रेलवेज से, श्रेणी–2 के कुछ अधिकारी लिये हैं जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों के पदोन्नति अवसर कम हुए हैं ; और

(ग) पश्चिम रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जानी है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां। एक अनन्तिम पेनल शीघ्र ही अधिसूचित किया जायेगा।

(ख) काम की आवश्यकता को देखते हुए दो अधिकारियों को दूसरी रेलों से स्थानान्तरित किया गया था।

(ग) पश्चिम रेलवे के कर्मचारियों का हित पहले से ही सुरक्षित है क्योंकि श्रेणी–2 के 14 अधिकारियों का एक पेनल बनाना है ; पश्चिम रेलवे के श्रेणी III के 19 कर्मचारियों की पदोन्नति की गयी है और उन्हें तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक सिगनल और दूर-संचार इंजीनियर (श्रेणी II) के रूप में नियुक्त किया गया है।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्रों में रेलवे विकास योजनाओं का निष्पादन

2183. **श्री समर गुह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्रों के 23 जनवरी, 1973 के दौरे के दौरान उस क्षेत्र में रेलों के विकास के संबंध में उन्हें अभ्यावेदन दिये गये थे ;

(ख) क्या सरकार ने उस क्षेत्र में रेलों का विकास करने की योजनाएं प्रारम्भ की हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें कब तक निष्पादित किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : प्रधानमंत्री को प्रस्तुत ज्ञापन में काकद्वीप के रास्ते लक्ष्मीकांतपुर से नामखाना तक एक रेल सम्पर्क के लिए अनुरोध किया गया है । पश्चिम बंगाल सरकार और जनता से पहले जो अनुरोध प्राप्त हुआ था वह कल्पी के रास्ते लक्ष्मीकांतपुर से काकद्वीप तक रेल सम्पर्क के संबंध में था । तदनुसार, सुन्दरबन क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सुझाये गये तीन अन्य रेल सम्पर्कों के साथ-साथ काकद्वीप तक के इस रेल सम्पर्क के लिए एक यातायात सर्वेक्षण करने का निश्चिय किया गया था । सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के बाद इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जायेगा ।

धार्मिक तथा अन्य समारोहों के लिए बिजली सप्लाई करना

2184. **श्री समर गुह** : : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिजली के गम्भीर संकट के बावजूद समस्त देश में धार्मिक तथा अन्य समारोहों में रोशनी तथा अन्य प्रयोजनों के लिए दी जाने वाली बिजली का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने धार्मिक तथा अन्य सामाजिक समारोहों तथा रस्मों के लिए दी जाने वाली अतिरिक्त बिजली का युक्तियुक्त उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की है या करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविंद वर्मा) : (क) से (ग) : देश के अधिकांश भागों में विद्युत् कमी की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे धर्मानुष्ठान अवसरों जैसे विवाहों इत्यादि पर विद्युत का उपभोग हतोत्साहित करके तथा उस पर प्रतिबंध लगाकर न्यूनतम करके अधिकतम सम्भव सीमा तक विद्युत को सुरक्षित रखें ।

कम पनबिजली उत्पादन के कारण तापीय बिजलीघरों का सुचारू रूप से कार्य न करना

2185. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तापीय बिजली घर सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं जिससे पन बिजली के कम उत्पादन से हुई बिजली की कमी और बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट को दूर करने के लिए क्या अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ केन्द्रों को छोड़कर, देश के तापीय केन्द्रों का कार्य सामान्यतः संतोषजनक है।

(ख) दक्षिणी क्षेत्र में ताप केन्द्रों को पर्याप्त मात्रा में प्रशीतक जल तथा ईंधन की सप्लाई के लिए प्रबन्ध किए गए / किए जा रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में पर्याप्त तथा बेहतर किस्म का ईंधन सप्लाई किया जा रहा है। उचित किस्म के फालतू पुर्जों की सप्लाई द्वारा उपस्कर की मरम्मत में तेजी लाई जा रही है। कार्य निष्पादन का नियंत्रण करने के लिए तथा केन्द्रों के प्रचालन में सुधार लाने के लिए और उपचारी उपाय सुझाने के उद्देश्य से विशेषज्ञों के दल नियुक्त किए गये हैं।

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा तटदूर तेल की खोज

2186. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयल इण्डिया लिमिटेड को तटदूर तेल की खोज का कार्य करने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ;

(ग) उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिनके सहयोग से आयल इण्डिया लिमिटेड यह कार्य करेगा ; और

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस कार्य को न कर सकने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जब तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अन्वेषी व्यधन सहित अपतट क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य को प्रारम्भ करेगा उसी बीच में सरकार ने ; अपने देश में अशोधित तेल की अनुमानित आवश्यकताओं तथा आगामी वर्षों में देश में अनुमानित उत्पादन के बीच अन्तराल में सम्भावित वृद्धि, विश्व में तेल सम्बन्धी परिस्थितियों में विकास एवं देश में विशेषज्ञों की पर्याप्त संख्या में कमी को ध्यान में रखते हुए अपतट क्षेत्रों में तेल अन्वेषण के लिए विदेशी सहयोग पर विचार करने का भी निर्णय लिया है।

टिकट ट्यूबों और ब्लैक पेपर टिकटों के सम्बन्ध में रेलवे बुकिंग क्लर्कों द्वारा चार्ज लेने और देने सम्बन्धी नियम

2187. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने भारतीय रेलवे में काम करने वाले बुकिंग क्लर्कों से टिकट ट्यूबों और ब्लैक पेपर टिकटों के सम्बन्ध में चार्ज लेने और देने के बारे में कुछ नियम और विनियम बनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां।

(ख) मोटेतौर पर पाली की ड्यूटी में लगे टिकट बाबू से यह अपेक्षित है कि वह दैनिक गाड़ी रोकड़ बही में टिकटों की अन्तिम संख्या नोट कर दे ताकि उसके द्वारा वेचे गये टिकटों की संख्या और उनकी कीमत की गणना की जा सके और वेचे गये टिकटों की कीमत और नकद रोकड़ का मिलान

किया जा सके। ड्यूटी पर आने वाले टिकट बाबू से यह अपेक्षित है कि वह यात्रियों को टिकट बांटना शुरू करने से पहले टिकटों की अन्तिम संख्या और उसके द्वारा हस्तगत रोकड़ के ठीक होने का सत्यापन कर ले। इस प्रयोजन के लिए टिकट बाबू को उपयुक्त समय की छूट दी जाती है और इस बीच टिकट घर बन्द रखा जाता है।

जन साधारण व्यापारियों के साथ करार करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को प्राप्त शक्तियां

2188. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जन साधारण अथवा व्यापारियों के साथ करार करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को सामान्य शक्तियां प्राप्त हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री श्री मुहम्मद शफी करैशी) : रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने क्षेत्रीय रेलों के महा-प्रबन्धकों को इस बात का अधिकार दे रखा है कि वे स्वीकृत निर्माण कार्य और भंडार की खरीद के सम्बन्ध में 50 लाख रुपये तक की लागत का ठेका दे सकें। महा-प्रबन्धकों को यह अधिकार है कि अपने वित्त सलाहकारों और मुख्य लेखा अधिकारियों के परामर्श से निचले प्राधिकारियों अर्थात् विभागाध्यक्षों, उप-विभागाध्यक्षों, मंडल अधीक्षकों और मंडल अधिकारियों को ऐसे अधिकार पुनः प्रत्यायोजित कर सकें जिन्हें वे ठीक समझें। यह पुनः प्रत्यायोजन अलग-अलग रेलों पर भिन्न-भिन्न हैं। स्थूल रूप में यह भिन्नता इस प्रकार है :

पुनः प्रत्यायोजन की सीमा

	विभागाध्यक्षों को	उप-विभागाध्यक्षों मंडल अधिकारियों को	मंडल अधिकारियों को
निर्माण कार्य का ठेका देने के लिये	5 लाख से 25 लाख रुपये तक भिन्न-भिन्न है।	50,000 रुपये से 10 लाख रुपये तक भिन्न-भिन्न है।	5,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक भिन्न-भिन्न है।
भंडार को ठेका देने के लिए	10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक भिन्न-भिन्न है।	50,000 रुपये तक	50,000 रुपये तक

रेलवे कर्मचारियों का नियतकालिक स्थानान्तरण

2189. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री रेलवे कर्मचारियों के नियतकालिक स्थानान्तरण के बारे में 8 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1297 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन का विचार इस वर्ष बड़ी संख्या में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का स्थान्तरण करने का है; और

(ग) यदि हां, प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्रेणी तीन में वैकल्पिक नियुक्ति हेतु वरीयता के लिए पूर्व सेवा की गणना

2190. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र संख्या ई (एन जी) 11-62 ई० ई० दिनांक 26 नवम्बर, 1970 के द्वारा यह अनुदेश दिये हैं, श्रेणी तीन में वैकल्पिक नियुक्ति पाने वाले रेलवे कर्मचारी की वरीयता के सम्बन्ध में पूर्व सेवा की गणना की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नियम क्या है और यह रेलवे की किस श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होते हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) वैकल्पिक नियुक्तियों में समाहित रेल कर्मचारियों को, वरिष्ठता के लिए नये पदों पर पिछली सेवा का लाभ देने के संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फरक्का बांध योजना के अन्तर्गत बाढ़ नियंत्रण बांध का निर्माण पूरा होना

2191. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालदा जिले में गंगा के बाएं किनारे पर फरक्का बांध योजना के अन्तर्गत बनाया गया बाढ़ नियंत्रण बांध निश्चित समय में पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : फरक्का बराज परियोजना के बायें सहायक जलोत्थान बंध का जो मालदा जिले में लगभग 210 वर्ग मील क्षेत्र के बचाव के लिए है, निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है : ,क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने परियोजना को सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तावित संरेखण के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण करने में कठिनाई व्यक्त की है ।

फरक्का से नीचे की ओर गंगा नदी द्वारा भूमि के कटावों का भारतबंगला देश संयुक्त नदी आयोग द्वारा अध्ययन

2192. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का से नीचे की ओर गंगा नदी द्वारा दाहिने तट की भूमि के भारी कटाव की समस्या का भारत बंगला देश संयुक्त नदी आयोग ने अध्ययन किया था अथवा संयुक्त नदी आयोग के तत्वावधान में गत मास बंगला देश से पश्चिम बंगाल आए अध्ययन दल के साथ उस पर चर्चा हुई थी; और

(ख) संयुक्त नदी आयोग और कमीशन को सहायक संस्थाओं द्वारा अन्य किन समस्याओं का अब तक अध्ययन किया गया है ।

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(क) इस आयोग तथा इसके अध्ययन दलों द्वारा अध्ययन की गई समस्याओं के अन्तर्गत क्षेत्र में बाढ़ चेतावनी व्यवस्था, त्रिपुरा में अगरतला नगर और पश्चिम बंगाल में दंतभंगा बोल की जल-निकास समस्या, बंगलादेश में सागरखली बांध के आस-पास बाढ़ का पानी भर जाना और सिलहट, कछार तथा दोनों देशों में निकटवर्ती क्षेत्रों की बाढ़ समस्या शामिल है । संस्था पर प्रस्तावित बराजों के अभिकल्प-पहलुओं और पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र तथा बंगला देश में बाढ़ समस्या पर भी उनके द्वारा विचार किया जा रहा है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आसाम चाय कम्पनी की सम्पत्ति की खरीद के बारे में जांच

2193. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नाजीरा में आसाम चाय कम्पनी की सम्पत्ति खरीदने की संदिग्ध सौदेबाजी की जांच करने का आदेश दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस जाँच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने आसाम कम्पनी लि० से तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नाजीरा एस्टेट के क्रय से सम्बन्धित सौदे बाजी की जांच की थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार ऐसी कोई सीधी साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी जिससे इस सौदे बाजी में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार (घूसखोरी) की प्रवृत्ति का पता लग सके। फिर भी, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन एवं अन्य तीन अधिकारियों की ओर से सौदे बाजी के निष्पादन में कई अकरण एवं कमियां दृष्टिगोचर हुई थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श के अनुसार, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के भूतपूर्व चेयरमैन की सरकार की ओर से असन्तोष व्यक्त किया गया है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को उनके अधीन कार्य कर रहे उक्त तीन अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का भी परामर्श दिया गया है।

अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार न चलने वाले तेल शोधक कारखाने

2194 **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल शोधक कारखाने अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि तेल शोधक कारखाने अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार कार्य करें ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : भारत में 9 शोधनशालाएं हैं, पांच सरकारी क्षेत्र में और चार गैर सरकारी क्षेत्र में / सरकारी क्षेत्र की पांच शोधनशालाओं में से, कोयाली गोहाटी तथा मद्रास में स्थित शोधनशालाओं ने अपनी स्थापित क्षमता से अधिक कार्य किया। कोचीन शोधनशाला की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन है। इसकी तुलना में इस शोधनशाला में वर्ष 1972 के दौरान 2.35 मिलियन मीटरी टन कच्चा माल तेल शोधित किया गया था। बिजली की सप्लाई में हुई बाधाओं कच्चे तेल के टैंक में आकस्मिक आग लग जाने, बिजली गिरने के कारण कुछ युनिटों में मरम्मत आदि के कारण कोचीन शोधनशाला की थ्रुपुट में थोड़ी सी गिरावट हुई थी। बरौनी शोधनशाला की स्थापित क्षमता प्रतिवर्ष 3 मिलियन मीटरी टन है। 1972 के दौरान शोधनशाला की थ्रुपुट लगभग 2.29 मिलियन मीटरी टन थी जो सारे का सारा वह देशीय कच्चा तेल था जो सप्लाई किया जा सका था। बरौनी शोधनशाला में असम के देशीय

कच्चे तेल के अतिरिक्त आयातित कच्चे तेल का शोधन करने के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस योजना के मार्च 1975 तक पूरा किये जाने की आशा है और इससे शोधनशाला की शोधन क्षमता प्रतिवर्ष 3.4 मिलियन मीटरी टन हो जायेगी। अन्तरिम उपाय के तौर पर हल्दिया बरौनी पाइपलाइन से लाया गया आयातित नार्थ रूमेला क्रूड का शोधन शुरू कर दिया गया है जिससे शोधनशाला में प्रतिवर्ष 0.5 से 0.7 मिलियन मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता हो जायेगी।

गैर सरकारी क्षेत्र की चार शोधनशालाओं की लाइसेंस युक्त क्षमता 5.075 मिनियन मीटरी टन है किन्तु इन शोधनशालाओं में 1972 के दौरान लगभग 7.83 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल शोधित किया गया। बर्मा शैल एस्सो तथा कालटैक्स की गैर सरकारी क्षेत्र की तीन शोधनशालाएं लगभग 3 मिलियन मीटरी टन की अतिरिक्त क्षमता का दावा करती हैं। इन शोधन में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता के प्रयोग किये जाने के प्रश्न पर सरकार द्वारा उस समय विचार किया जायेगा जब इन शोधनशालाओं के लाभप्रद सप्लाई क्षेत्र में इस उत्पाद की मांग से ऐसे प्रयोग का किया जाना उचित होगा।

पंजाब में किसानों द्वारा बिजली घर पर हमला करने के फलस्वरूप राजस्थान को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई का रोका जाना

2195. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पंजाब में एक बिजली घर पर किसानों ने हमला कर दिया था और राजस्थान को दी जाने वाली बिजली की सप्लाई को रोक दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां। मुक्तसर में किए गये धरने से श्री गंगानगर को विद्युत सप्लाइ में बाधा पड़ गई।

(ख) मांग, कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त बिजली की सप्लाई के लिए थी। नंगल फर्टिलाइजर फैक्टरी को विद्युत की सप्लाई की मात्रा, आवर्धित कृषि मांगों को पूरा करने के लिए 98 मैगावाट से कम करके 60 मैगावाट कर दी गई।

दिल्ली में बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए योजना

2196. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बिजली सप्लाई बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चालू की गई हैं ; और

(ख) इन योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : दिल्ली में बढ़ती हुई विद्युत मांगों को 300 मेगावाट के बदरपुर ताप विद्युत परियोजना के द्वारा जिसके 1973–74 के दौरान चालू होने की प्रत्याशा है, विद्युत जनन के 1/3 भाग को आबंटित करके पूरा करने का प्रस्ताव है। और मांगों को पूरा करने के लिए, पांचवीं योजना के दौरान 400 मेगावाट की और क्षमता द्वारा इस केन्द्र का विस्तार करना प्रस्तावित है तब इसकी अतिरिक्त विद्युत दिल्ली को उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली को सप्लाई करने के लिए बैरा-सियुल (20 मेगावाट) और सलाल (30 मेगावाट) की केन्द्रीय सेक्टर में जल-विद्युत परियोजनाओं से जिनका क्रमशः हिमाचल प्रदेश और जम्मू

व कश्मीर में निर्माण किया जा रहा है, 50 मेगावाट विद्युत की सप्लाई भी पृथक-रक्षित है। इन स्कीमों के क्रमशः 1974–75 के दौरान और पांचवीं योजना के अन्त तक चालू होने की प्रत्याशा है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में नया पूंजी निवेश

2197. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, प्रति वर्ष, गैर सरकारी क्षेत्र में कितना नया पूंजी निवेश हुआ है ; और

(ख) उसमें 20 बड़े एकाधिकार गृहों का कितना हिस्सा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चव्हाण) : (क) तथा (ख) : सूचना संग्रह की जा रही है व सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

बिजली का उत्पादन करने वाले सेटों का आयात

2198. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने बिजली का उत्पादन करने वाले सेटों का आयात करने की मांग की है ; और

(ख) क्या बिजली का उत्पादन करने वाले सेटों का निर्माण करने वाले दो सरकारी एकाधिकार वाले कारखानों द्वारा इन सेटों के उत्पादन और सप्लाई में देरी किए जाने के कारण हुई राष्ट्रीय धन हानि और बेरोजगारी का सरकार ने अनुमान लगाया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां। कुछ राज्यों में विद्युत उत्पादन सेटों के आयात के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है।

(ख) जी, नहीं।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अधिकारी संस्था को मान्यता देना

2199. **श्री नवलकिशोर सिंह** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय उर्वरक निगम को भारतीय उर्वरक निगम अधिकारी संस्था को मान्यता देने का आदेश दिया है;

(ख) क्या इसे मान्यता दे दी गई है और कार्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह मामला इस समय निगम के विचाराधीन है।

भारतीय उर्वरक निगम में बट्टे खाते डाली गई राशि

2200. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम के मार्केटिंग डिवीजन में गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी

राशि बट्टे खाते डाली गई; और

(ख) पार्टीवार तथा राज्यवार इस धनराशि के आँकड़े क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

कारगली (बिहार) में कोयला खान कामगरों पर गोली चलाये जाने के परिणाम-स्वरूप 4 कामगारों के मारे जाने का समाचार

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : श्रीमन् मैं इस्पात और खान मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें।

"बिहार में गिरिडीह जिले में कारगली में कोयला खान कर्मगरों पर कथित गोली काण्ड जिसके फलस्वरूप चार कामगर मारे गये और अनेक घायल हुए।"

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमार मंगलम) : महोदय,

प्यारे धोरी कोलियरी बोकारो-कारगली क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कारगली कोयला खान के निकट स्थित है। यह सामयिक खान है जो दामोदर नदी के सन्निकट अवस्थित है और वर्ष में लगभग चार मासों के लिए बन्द रहती है। अंगवाली मौजा खान को सम्मिलित कर प्यौर धोरी कोलियरी में हाल ही के प्रबन्ध ग्रहण के समय लगभग 570 कर्मकार थे।

तथापि, प्रबन्ध ग्रहण की तारीख के दिन लगभग 570 कर्मकारों की तुलना में पूर्ववर्ती स्वामी और संविदाकार द्वारा कपट पूर्वक 2500 से भी अधिक कर्मकारों को प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात् कार्य पर लगाया गया और यह दावा किया गया कि कोलियरी की मानव शक्ति 3200 कर्मकार थी। अभिरक्षक की यह धारणा थी कि यह उसके लिए सम्भव नहीं होगा कि वह इन समस्त व्यक्तियों को संदाय करे और केवल असली कर्मकारों को ही संदाय किया जा सकेगा।

2-3-73 को लगभग 11.30 पूर्वाह्न दो व्यक्ति नामतः जानकी मिश्र और सेशन रजवाड़, जिन्होंने अपने को प्यौर धोरी कोलियरी के कर्मकार होने का और किसी भी ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं होने का दावा किया किया था, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कारगली विश्राम गृह, जहां अभिरक्षक का कार्यालय है, लगभग 200 व्यक्तियों की भीड़ को एकत्रित किया। उन्होंने उन चार सप्ताहों में किए गये कार्य के लिए मजदूरी के संदाय के लिए प्रदर्शन किया, जो कार्य उन्होंने सविदाकारों के अधीन अप्राधिकृत तरीके और खान सुरक्षा के महानिदेशक द्वारा खान अधिनियम के अधीन अधिरोपित निषेधाज्ञा के उल्लंघन में किया था। तथापि, अभिरक्षक ने इस पर बल दिया कि यह उसके लिए संभव नहीं होगा कि वह कोलियरी के रौल पर असली कर्मकारों के अलावा अन्य किन्हीं कर्मकारों को भुगतान करें।

झुण्ड के उपरिकथित दो नेता विश्राम गृह के आवासीय भाग में प्रविष्ट हुए और अभिरक्षक पर प्रहार करने की धमकी दी। इस पर अभिरक्षक ने मजिस्ट्रेट और पुलिस के पास शिकायत भेजी। पुलिस ने इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। तत्पश्चात् अधिकारों के साथ मामले पर विचार विमर्श करने के उपरान्त अभिरक्षक इस बात पर सहमत हुआ कि कार्य की सर्वेक्षण मात्रा के आधार

पर भुगतान किया जाये । इसी बीच में गुप्तियों, कुदालियों आदि हथियारों सहित अनेक गुण्डों को सम्मिलित कर भीड़ ने 3,000 व्यक्तियों के रूप में विकराल रूप धारण किया । भीड़ ने यह मांग की कि दो गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों को मुक्त किया जाए । मजिस्ट्रेट ने उनको यह परामर्श दिया कि वे सबडिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाए क्योंकि उसको जमानत मंजूर करने की शक्ति नहीं है । इस पर भीड़ पूर्णतया उत्तेजित हो उठी और हिंसात्मक कार्रवाही पर उतारू होकर विश्राम गृह के परिसर में कूद पड़ी और पत्थर और ईंटों का प्रहार शुरू किया जिससे मजिस्ट्रेट और पुलिस के सिपाहियों को चोटें लगीं और विश्राम गृह क्षतिग्रस्त हुआ । इसके परिणामस्वरूप मजिस्ट्रेट और चौदह सिपाही घायल हुए ।

पुलिस ने लाठी चार्ज किया लेकिन आक्रमणकारी भीड़ पर नियन्त्रण न पा सकी । अभिरक्षक और मजिस्ट्रेट के जीवन पर प्रत्यक्ष धमकी से स्थिति ने विकट रूप धारण किया । इसलिए, मजिस्ट्रेट ने लगभग 3.30 अपराहन गोली चलाने का आदेश दिया जिसके परिणामस्वरूप दुर्भाग्यतः चार व्यक्तियों की मौतें हुई और तीन व्यक्ति घायल हुए । गोलीकाण्ड में मारे गये चार व्यक्तियों में 12 वर्ष की आयु का आठवीं कक्षा का विद्यार्थी प्रह्लाद नैक सुपुत्र लखन क्लिम्पमैन सम्मिलित है। लखन क्लिम्पमैन राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कारगली कोलियरी का कर्मचारी है । अन्य तीन व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई, प्यौर धोरी कोलियरी के कर्मकार बताए जाते हैं ।

दुर्घटना के समय ट्रेड यूनियन का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था । दुर्घटना विस्थापित संविदाकारों की उत्तेजना के कारण हुई क्योंकि वे कर्मकारों को भगतान करने में असफल रहे । तथापि, ट्रेड यूनियन के नेताओं से उसी रात्रि को सम्पर्क स्थापित किया गया और 2/3 मार्च की रात्रि के प्रथम चरण में उपमहाअभिरक्षक और जिला अधिकारियों की यूनियन के नेताओं के साथ बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि कोयला खान प्राधिकारी द्वारा आहत व्यक्तियों के परिवारों को प्रतिकर संदत्त किया जायेगा और प्रत्येक परिवार से एक सम्बन्धी को नियोजित किया जायेगा ।

अभिरक्षक द्वारा हताहत व्यक्तियों के परिवारों को 5000/- रुपया और घायल व्यक्तियों को 500/- रुपया भुगतान के लिए व्यवस्था की गई है । उपलब्ध जानकारी के आधार पर बिहार सरकार की यह राय है कि गोलीकाण्ड न्यायोचित्य था । तथापि, दुर्घटना की जांच करने के लिए छोटा

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले इस दुर्घटना पर मैं खेद प्रकट करता हूं और इस दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिवार के व्यक्तियों को अपनी संवेदना भेजता हूँ ।

नागपुर डिविजन के आयुक्त श्रीराम सुब्रह्मण्यन् की नियुक्ति की गई है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य सन्तोषजनक नहीं है । 2-3-73 को लगभग एक हजार कारगली कोयला खान के कामगरों ने कोयला खान प्राधिकरण के अभिरक्षक के सामने प्रदर्शश किया और एक निजी ठेकेदार के अधीन चार सप्ताह तक किए काम की मजदूरी के भुगतान की मांग की ।

यह आरोप लगाया गया है कि ठेकेदार ने अभिरक्षक के कार्यालय के समीप गुण्डे तैनात किए थे और गुण्डों ने घातक हथियारों से उन श्रमिकों पर हमला किया जो ठेकेदार से अपनी मंजूरी के भुगतान की मांग कर रहे थे । सरकार का कर्त्तव्य था कि वह मजदूरों की मंजूरी का भुगतान न करने के कारण ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करती, किन्तु इन श्रमिकों को यह आश्वासन देने के बजाय कि उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जायेगा, सरकारी अधिकारियों ने ठेकेदार और उसके गुण्डों से तब साँठ-गांठ की । जब गुण्डों ने श्रमिकों पर जहरीले हथियारों से हमला किया तो अनेक श्रमिक गम्भीर रूप से घायल हुए और अपनी रक्षा करते हुए श्रमिकों ने गुण्डों के हमले को रोकने का प्रयास किया । वहां मौन खड़ी पुलिस ने श्रमिकों पर निर्दयता से लाठी और गोली चलाई । मजदूर यूनियन के स्रोतों

के अनुसार पुलिस ने 40 बार गोलियां चलाईं जिसमें 7 व्यक्ति मारे गये और अनेकों घायल हुए। 12 वर्ष का एक बालक, प्रहलाद नायक भी पुलिस की गोली का शिकार हुआ। पुलिस द्वारा निर्दयता से गोली चलाने की यह एक जिन्दा मिसाल है। अपनी मजूरी की मांग करने वाले भूखे श्रमिकों को सरकार का उत्तर था गोलियों और लाठियों से उन पर प्रहार।

श्रमिकों के साथ इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार किया गया है। इन कोयला खानों से ठेकेदार द्वारा गैर कानूनी तौर पर कोयला निकाला जाता था जिसके लिए श्रमिक किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं हैं।

सरकार स्पष्ट रूप से बताये कि कोयला खानों में गैर कानूनी तौर पर कार्य करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और ठेकेदार को श्रमिकों की बकाया मजूरी का भुगतान करने के लिए क्यों नहीं बाध्य किया गया। जब गुण्डों ने श्रमिकों पर निर्दयता से हमला किया तो वहां पर तैनात पुलिस ने उन गुण्डों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? क्या इन कोयला खानों के रिकार्ड ठीक तरह से रखे जाते हैं या इन्हें नष्ट कर दिया गया है ? कितने दिनों की बकाया मजूरी इन श्रमिकों को दी जानी है ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस गोली काण्ड के लिए जिम्मेदार मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को मुअत्तल करेगी। इस दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों के परिवार वालों को सरकार जो मुआवजा देने जा रही है वह बहुत कम है। अतः उन्हें पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस दुर्घटना को जांच के लिए एक सर्वदलीय संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : ठेकेदारों ने गुण्डों को अभिरक्षक और पुलिस पर हमला करने के लिए रखा हुआ था। अतः श्रमिकों पर गुण्डों के हमले का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां कोई रिकार्ड नहीं है क्योंकि पिछले स्वामी ने वहाँ कोई रिकार्ड नहीं रखा था। जहां तक श्रमिकों की संख्या की बात है, हम तो केवल यही जानते हैं कि जब 30-31 जनवरी, 1973 को अभिरक्षक ने इस खान को अपने अधीन लिया था तो उसमें लगभग 750 श्रमिक थे। ठेकेदार और मालिक श्रमिकों को धोखा दे रहे थे और वे धोखे से उन श्रमिकों को खान के वास्तविक श्रमिक बनाना चाहते थे जो वहां काम नहीं करते थे।

इस खान से 191 टन कोयला निकाला जाता था और इसको औसत लगाने से पता लगता है कि इसमें 400-500 से अधिक श्रमिक नहीं होने चाहियें।

इस समय हमें इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि ठेकेदार छल-कपट से उन व्यक्तियों को भी खान के श्रमिकों में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं जो वास्तव में वहाँ के श्रमिक नही हैं।

जहां तक श्रमिकों की बकाया मजूरी का प्रश्न है, इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता क्योंकि ठेकेदार गैर कानूनी खानों में कार्य कराते थे। और इस खान में ऐसा कोई रिकार्ड नहीं है।

कहा गया है कि मुआवजा पर्याप्त नहीं है। किन्तु यह मुआवजा मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से सलाह करने के पश्चात् निर्धारित किया गया है और यह पूर्णतयः पर्याप्त है।

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdal) : Sir first of all I pay my homage to those workers who were killed in the brutal firing of police. It is an inhuman act on the part of police to resort to indiscriminate firing on the innocent workers. Government should investigate the matter as to why the police resorted to indiscriminate firing on workers. They should have been warned to disperse before the firing was resorted to.

I want to know the quantum of compensation given to the families of those workers who have been killed in firing; and also whether any immediate relief has been given to them ? Has the arrears of production bonus and active allowances which their presuous management could not pay, been fully paid to the workers ?

Is Government going to give any subsistance allowance to the minor children of the workers killed in police firing ? Government should assure the House that such incidents would not happen in future and workers would be treated sympathetically. After the coal mines have been taken over by the custodians, all the recreation clubs, cinemas etc. have been closed down. Payment of production allowance to the workers has been stopped which has resulted in decline in the production of coal. All these facilities and amenities should be restored to the workers. The practice of contract system should be abolished and the atrocities being suited out to the workers of Gorakhpur should be stopped. A nation wide programme should be formulated to boost the production of coal mines. Joint management committees of the representatives should be appointed in every nationalised condon for the purpose of Joint management in the industries.

Coal mines of the country should be nationalised. Government should ensure proper protection to the mine workers and their problems should be rationally solved.

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वहां गोली अधाधुंध नहीं चलाई गई थी अपितु स्थिति अत्यन्त भयानक हो गई थी। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, हथियारों से लैस कुछ गुण्डे भीड़ में आ गये थे जो हमला करने की धमकी दे रहे थे। वहां ईंटे और पत्थर फैंके जा रहे थे। शान्तिपूर्ण वातावरण वहां नहीं था। और स्थिति की नाजुकता को देखते हुए गोली चलानी पड़ी। फिर भी इस दुर्घटना की जाँच करके अपनी रिपोर्ट देने के लिए बिहार सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी छोटा नागपुर डिविजन के आयुक्त श्री राम सुब्रह्मण्यम को नियुक्त किया गया है।

मृत श्रमिकों के दुःखी परिवारों की सहायता करने का हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिवारों को 5000 रुपये दिये जा रहे हैं या दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मृतक के परिवार के एक सदस्य को कोयला खानों के अधिकारियों द्वारा रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। यह निर्णय कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों की सलाह से किया गया है। श्रमिकों का कल्याण कार्य के हम बहुत इच्छुक हैं और हमें इसकी बहुत चिन्ता रहती है।

जहां तक शाहदौल क्षेत्र की स्थिति का सम्बन्ध है, मैं स्वयं उस क्षेत्र में जा चुका हूं और यह कहना गलत है कि वहां श्रमिकों को पूरी मजूरी नहीं मिलती।

श्रमिकों के मनोरंजन क्लब के बन्द होने के बारे में मैं जानता हूं। मैं समझता हूं कि यह नौरोजाबाद कोयला खान के सम्बन्ध में है किन्तु वहाँ का मनोरंजन क्लब बन्द नहीं किया गया है। किन्तु फिर भी मैं इस बात की जांच करूंगा।

यह बात सही है कि कोयला खान श्रमिकों के साथ पुराने मालिकों और ठेकेदारों का व्यवहार बहुत खराब और अत्याचारपूर्ण था। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने का यही मुख्य कारण था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोयला खानों के मालिकों को राष्ट्रीयकरण के पश्चात् जब दशकों के ऐश्वर्य से वंचित होना पड़ा, तो उन्होंने सरकार की कार्यवाही को कार्यान्वित नहीं किया। इसीलिए इस सम्पूर्ण घटना के पीछे इस खान के पहले वाले मालिकों और ठेकेदारों का हाथ था, जो कुछ अधिकारों से वंचित कर दिए गए हैं, जो उन्हें सतत दशकों से प्राप्त थे।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है फरवरी में उत्पादन औसतन 1,43,000 तक बढ़ गया है।

इससे पता लगता है कि पहले के खान मालिकों ने बहुत सा उत्पादन खानों में नहीं दिखाया था, जिससे कि वे शुल्क तथा स्वामित्व आदि का भुगतान न करके धन कमा सके। श्रमिक सरकार को पूरा सहयोग दे रहे हैं। आज अधिकारी प्रत्येक कार्यवाही कार्मिक संघों की सलाह से कर रहे हैं। कार्मिक संघों ने यह बात स्वीकार की है कि सबसे पहले लगभग 2 स्थाई लाख कोयला खान श्रमिकों की सेवाओं को नियमित किया जाए। और यह कार्य आसान नहीं है। इसके पश्चात् ही ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। हम इस बात के लिए वचन बद्ध हैं कि जो कार्य विभागीय तौर पर किया जा सकता है उसे विभागीय तौर पर ही किया जायेगा, ठेके की प्रणाली द्वारा नहीं। किन्तु यह तभी किया जा सकता है जबकि स्थाई श्रमिकों को नियमित करने के प्रारम्भिक चरण को पूरा कर लिया जाए। कार्मिक संघों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि स्थाई श्रमिकों को नियमित करने के पश्चात ही ठेके के श्रमिकों के विभागीयकरण पर विचार किया जाये।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मंत्री महोदय की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि इस दुर्घटना को रोकने का अधिकारियों ने भरसक प्रयास किया था। अधिकारी खान मालिकों और ठेकेदारों से मिले हुए हैं और इसी कारण यह घटना घटी है।

यह बात तो ठीक है कि वहां लगभग 600 या 700 श्रमिक थे और पहले वाले मालिक और वर्तमान ठेकेदार ने इस संख्या में गड़बड़ी की है। यह सच है कि फरवरी के मध्य में अपने आपको श्रमिक बताने वाले व्यक्तियों को गैर कानूनी तौर पर 80,000 रुपये का भुगतान किया गया और जब यह रुपया इन अवैध मजदूरों को भुगतान किया गया तो ठेकेदार और पिछला खान मालिक उन मजदूरों के पास गये और उनसे रुपया वापस ले आये। उसमें बहुत सा रुपया अधिकारियों की जेबों में गया। मैं जानना चाहता हूं कि 80000 रुपये का भुगतान क्यों किया गया; और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? सरकारी क्षेत्र को दोनों ओर से हानि हो रही है। अधिकारी अपराध करते हैं और पकड़े नहीं जाते।

बिहार सरकार के अधिकारियों ने कहा है वहां गोली चलाना उचित था। ऐसी स्थिति में बिहार के किसी आयुक्त द्वारा जांच कराना उचित नहीं है क्योंकि बिहार का कोई अधिकारी निष्पक्ष जांच नहीं करेगा।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहाँ है कि किए गये काम के आधार पर यह समझौता हुआ है। किन्तु यह उचित नहीं है क्योंकि इस खान में मौसम के दौरान ही काम होता है।

इस क्षेत्र से कुछ दूर धनबाद में खान सुरक्षा का निदेशक है तो यह अवैध कोयला खान कैसे चल रही थी? इस्पात मंत्रालय को ऐसी अवैध खानों का सर्वेक्षण करना चाहिए और इसके लिए धनबाद स्थित कोयला खान सुरक्षा के निदेशक के विरूद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। अन्य स्थानों पर भी इस प्रकार के अवैध भुगतान किए गए हैं जिससे हमारे सरकारी उपक्रमों को हानि होती है।

वहां जब समझौता हो गया था जिसकी घोषणा श्रमिकों को करदी थी तो उन्होंने पकड़े गए दो व्यक्तियों को जमानत पर छोड़ने की मांग की थी और मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ने से इन्कार कर दिया था। वक्तव्य के अनुसार मजिस्ट्रेट ने उन्हें बताया है कि वह उनकी जमानत नहीं ले सकता।

मंत्री महोदय ने कहा कि गोली अंधाधुंध नहीं चलाई गई थी, तो 12 वर्ष का लड़का जो दुकान पर सब्जी खरीदने गया था, वहां गोली से कैसे मारा गया? क्या गोली नियंत्रित रूप में चलाई गई थी, और क्या गोली चलाने से पहले अश्रु गैस छोड़ी गई थी जिससे आन्दोलनकारी वहां से चले जाते, क्योंकि हमारी सूचना के अनुसार वहां गोली चलाने से पूर्व न तो कोई चेतावनी दी गई थी और

न ही अश्रु गैस छोड़ी गई थी ?

ठेकेदारों, खान मालिकों और पुलिस ने मिलकर श्रमिकों पर लाठी चलाई और उनका लगभग 50 गज तक पीछा किया जिससे यह संकट और बढ़ा। इतना करने पर भी ठेकेदार और खान मालिक वर्तमान प्रबन्धकों की दृष्टि में अच्छे हैं। क्या इस खान मालिक और ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि ये ही मुख्य रूप से हत्या और अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और ठेकेदारी की प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। तभी खानों का राष्ट्रीयकरण सफल सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त इस घटना की न्यायिक जांच की जानी चाहिए क्योंकि बिहार सरकार के किसी अधिकारी पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : कुछ अधिकारियों को छोड़कर शेष सब अधिकारी अपने कर्त्तव्य पालन में निष्ठावान रहे हैं। इन्हीं के परिश्रम से ही 464 खानों का 12 घंटे में सरकारीकरण किया जा सका है और अन्य 200 खानों का 10 दिन में सरकारीकरण कर दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है।

हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों में त्रुटियां की हों। यदि माननीय सदस्य मुझे उनका नाम बतायें तो मैं इस बारे में जांच कर सकता हूँ। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि यदि इस मामले में किसी गलती का पता लगा तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। मैंने भी इस सम्बन्ध में कुछ सुना है लेकिन मैं इस मामले में जब तक तथ्यों का पता न लगा लूं कोई वक्तव्य देना उचित नहीं समझता।

जहां तक गोली चलाए जाने का प्रश्न है, राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखना राज्य का विषय है। इसके लिये केन्द्र जिम्मेवार नहीं है। राज्य सरकार इस बारे में उचित कार्यवाही कर रही है। इस मामले में निर्णय का दायित्व राज्य सरकार पर ही है।

अवैध खनन के बारे में माननीय सदस्य को मुझ से अधिक जानकारी है। सरकार का मुख्य कार्य खानों को नियंत्रण में लेने को नियमित करना होगा और यह देखना होगा कि हम एक ओर कर्मचारियों की मांगें और दूसरी ओर उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं इस बारे में जांच करूंगा।

उन्होंने पूछा कि दो व्यक्तियों को जमानत पर क्यों नहीं छोड़ा गया। इस बारे में हमें यह बताया गया है कि स्थल पर नियुक्त मजिस्ट्रेट को उनको जमानत पर छोड़ने का अधिकार नहीं था। इस मामले पर आयुक्त द्वारा जांच करते समय ध्यान दिया जायेगा और तब उसका उत्तर प्राप्त हो जायेगा।

नियंत्रित अथवा अनियंत्रित गोली चलाने के बारे में निर्णय देने का काम मेरा नहीं है। मैं तो केवल उतना कह सकता हूं कि इससे पूर्व लाठी चार्ज किया गया था और चेतावनी दी गई थी और उसके बाद ही गोली चलाई गई। शायद इसलिये अश्रु गैस का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि उनके पास उस समय अश्रु गैस के गोले नहीं थे। इस विषय पर भी बिहार सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। अब तक प्राप्त तथ्यों को मैं सभा पटल पर रख रहा हूं।

कुछ ठेकेदारों की पुलिस से सांठ-गांठ होने के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

जहां तक ठेका प्रणाली को समाप्त करने का प्रश्न है, हमें यह ज्ञात होना चाहिये कि दो प्रकार के ठेकेदार होते हैं। एक प्रकार के ठेकेदार खान-मालिकों द्वारा खान में काम करने के लिये नियुक्त

किये जाते हैं। उन्हें प्रबन्ध ठेकेदार कहते हैं। दूसरे ठेकेदारों का लदान आदि जैसे विशेष प्रकार का काम करना है।

जहां तक पहली प्रकार के ठेकेदारों का सम्बन्ध है, अब कस्टोडियन द्वारा खानों में संधि तौर पर काम किया जा रहा है और वहां नियमित मजदूर काम कर रहे हैं। जहां तक दूसरी प्रकार के ठेकेदारों का सम्बन्ध है, इस बारे में समय लगेगा।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : क्या ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री भोगेन्द्र झा : यह कस्टोडियन की शिकायत है कि गिरफ्तारियां की गई हैं। क्या कस्टोडियन यहां शिकायत करने आ रहा है कि ठेकेदार को षडयंत्र और हिंसा भड़काने के लिए गिरफ्तार किया जाए ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार ठेकेदार घटना स्थल पर नहीं था। इस सम्बन्ध में साक्ष्य प्राप्त होने पर अवश्य कार्यवाही की जायेगी।

Shri M. C Daga (Pali) : The Government have done a praiseworthy work by nationalizing the 464 collieries. I want to know the report of the custodian in this regard. What was his first information report ? I also want to know whether the magistrate and the police registered a case against those owners and the contractors ? Secondly, why did the custodian did not take into his possession all the documents at the time of taking over of the mines ? It is regrettable that when some persons were killed as a result of firing, the Steel and Mines Minister refused to answer a question relating to the matter on the ground that it was a state subject.

Even after twenty years of independence there is no sense of devotion and service among the Majestracy and the police. I want to know whether it was a bailable offence or not. If it was so, why did the police not release them on bail ? The people were fired upon without any cause. Corruption is a great curse for our country. Where were those decuments when the mines were taken into possession ? What decuments were found by the custodian and was any case filed under F.I.R. in this connection ?

It is true that some people took out spears, lathies etc. but no body attacked. The present situation arises due to the fault of the Magistrate. If some case had been taken, this ugly situation might have been avoided, The amount of five thousand rupees declared as compensation is not enough.

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एम० आई० आर०) का सम्बन्ध है, कस्टोडियन ने पुलिस को यह सूचना दी थी कि जब वह अपने निजी कमरे में थे तब जानकी मिश्र और रोशन राजवार उन पर हमला करने के उद्देश्य से उनके कमरे में जबरदस्ती घुस आये और उनसे कहा कि कर्मचारियों को भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? इस सूचना के आधार पर पुलिस ने इन दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

उसके बाद विचार विमर्श हुआ और कस्टोडियन इस बात पर सहमत हो गया कि उनको खान से कोयला निकालने के सर्वेक्षण के आधार पर भुगतान किया जायेगा। लेकिन दुर्भाग्य से बाहर कर्मचारियों पर नियंत्रण करना असम्भव हो गया और उसके बाद जैसा मैं उल्लेख कर चुका हूं किया वह घटना घटी।

एक मजिस्ट्रेट और 14 पुलिस कर्मचारी घायल हुए। उनमें पुलिस का आफिसर इंचार्ज और तीन सब-इन्स्पेक्टर भी शामिल हैं। मैं इस सम्बन्ध में इससे अधिक ब्यौरा नहीं दे सकता। लेकिन यह सच है कि अनेक व्यक्ति घायल हुए।

माननीय सदस्य ने कहा कि मजिस्ट्रेट को और अधिक सतर्कता से काम लेना चाहिये था और उनकी जमानत की व्यवस्था की जानी चाहिये थी। मजिस्ट्रेट ने उन्हें सूचित किया था कि उनके लिये जमानत की व्यवस्था करना सम्भव है लेकिन लोग उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं थे।

खान को अधिकार में लिए जाते समय वहाँ कोई दस्तावेज नहीं मिले। ऐसा होना आश्चर्य जनक नहीं है क्योंकि ऐसी सब खानों में जहां कई सौ मजदूर काम करते हैं और जहां सारे महीने का उत्पादन लगाया 191 टन है, उसका मालिक अथवा उसके चलाने वाले व्यक्तियों का दस्तावेजों में विश्वास नहीं होना। वे खानों का काम अन्य प्रणालियों के अनुसार चलाते हैं जिनका इस समय उल्लेख नहीं किया जा सकता।

मैं यह आश्वासन देता हूं कि हम इस बारे में अभी भी जांच कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था के बारे में मैंने सदन को पूरी जानकारी दे दी है लेकिन इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने का दायित्व राज्य सरकार पर है।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : It is not the first instance that the police has fired on the Colliery miners. It has also happened in the past I want to know when the enquiry report in this connection will be available ?

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : माननीय सदस्य किस विशेष कोयला खान का उल्लेख कर रहे हैं ? मुझे बिहार में गोली चलाये जाने के बारे में ध्यान आकर्षण सूचना का उत्तर देना है। यदि माननीय सदस्य का किसी अन्य कोयला खान से तात्पर्य है, तो वे मुझे इस बारे में सूचित करें।

Dr. Laxminarain Pandeya : I want to know what were the reasons for tension among the workers ? It is not the first case.

I want to know whether it was not the fact that they were demanding their wages because they did not get their wages in time ? On demanding their wages they have to face the bullets. After taking over the control of the coal mines the Government have appointed their own custodians. They were not even able to make enquiry regarding the capacity of the coal mines. I want to know the number of workers who were paid wages during the last four weeks and the wages paid after taking over the coal mines.

The compensation of five thousand rupees paid to the workers families is not enough. It should be increased.

I want to know whether a judicial inquiry will be made about the incident ? There are no accommodation and drinking water facilities for the workers as a result of it there is a great dissatisfaction amongs the workers. The action taken by the Magistrate was faulty. People were not given any warning before the firing was started. Therefore, a judicial enquiry must be conducted with regard to the incident. Let him also tell us about Madhya Pradesh coal mines.

श्री एस० मोहन कुमार मंगलम : मध्य प्रदेश कोयला खानों के बारे में मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस बारे में मुझे लिखेंगे तो मैं विस्तृत जानकारी एकत्र करने का प्रयास करूंगा।

मजदूरों की संख्या के बारे में कोई रिकार्ड नहीं है। कोयला खान को नियंत्रण में लेने के समय उनमें 570 से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। कस्टोडियन ने मजदूरों की सख्या की जांच करने के निदेश दिये थे। बिहार सरकार ने हमें यह सूचना दी थी कि गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप 4 व्यक्तियों की मृत्यु हु और तीन व्यक्ति घायल हुए। मृतकों के परिवार के सदस्यों को 000 रुपये मुआवजे के रूप में दिये गये हैं। इस बात पर विश्वास नहीं किया जाता कि उक्त मुआवजा सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं दिया गया। बिहार सरकार ने यह निर्णय किया है कि वर्तमान स्थिति में छोटा

नागपुर के सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच किया जाना पर्याप्त होगा।

कोयला खान भर्ती संगठन के कार्य की ओर ध्यान दिया जा रहा है और इस मामले पर कार्मिक संघों से चर्चा की जायेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
Papers Laid on the Table

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1971-72 संबंधी प्रतिवेदन-केन्द्रीय सरकार (रेल)-की एक प्रति।

(2) वर्ष 1971-72 सम्बन्धी विनियोग लेखे, रेल, भाग 1-समीक्षा-की एक प्रति।

(3) वर्ष 1971-72 सम्बन्धी विनियोग लेखे, रेल, भाग 2-विस्तृत विनियोग लेखे-की एक प्रति।

(4) वर्ष 1971-72 सम्बन्धी रेल के ब्लाक लेखे (जिसके ऋण लेखे समेत पूंजीगत विवरण शामिल हैं), संतुलन पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 4388/73**]

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, 1961 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सालारजंग संग्रहालय (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 165 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4389/73**]

प्राक्कलन समिति
Estimates Committee
तीसवां प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (अलमोड़ा) : मैं तकनीकी विकास महानिदेशालय के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 17 वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में औद्योगिक विकास मंत्रालय के सम्बन्ध में समिति का 30 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति
Public Accounts Committee
उन्नत्तरवां प्रतिवेदन

श्री ईरा सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं नौवहन और परिवहन मंत्रालय के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 36वें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में समिति का 69वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1972-73
Supplementary Demands for Grants (General) 1972-73

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वर्ष 1972-73 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

(त्रिपुरा में राशन की दुकानों को अनाज की कम सप्लाई)

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा-पूर्व) : त्रिपुरा में लगभग सब राशन की दुकानें बन्द हो गई हैं। केन्द्र से राज्य को अनाज नहीं पहुंच रहा है और इसके परिणामस्वरूप राज्य में बड़े पैमाने पर भुखमरी फैल रही है। त्रिपुरा के प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षण राहत कार्य बन्द कर दिये गये हैं। लोगों को अकथनीय मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। केन्द्र को शीघ्र राज्य को अनाज भेजना चाहिये। माननीय मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये।

कृषि मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : राज्य में भूख से किसी भी व्यक्ति के मरने का समाचार प्राप्त नहीं हुआ है।

जनवरी के महीने में राज्य को 2000 टन चावल आबंटित करना था जिसमें से केवल 69 टन चावल सप्लाई किया जाना बाकी है। फरवरी में राज्य को 2000 टन चावल और 1,000 टन गेहूँ आबंटित किया जाना था जिसमें से 500 टन चावल को छोड़कर गेहूँ को पूरी मात्रा सप्लाई को जा चुकी है। मुझे सूचना मिली है कि इस महीने की 7 तारीख को त्रिपुरा को 500 टन चावल की सप्लाई भी कर दिया जायेगा। इस महीने त्रिपुरा को 3000 टन चावल और 1000 टन गेहूं सप्लाई किये जाने की सम्भावना है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the chair]

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक
Requisitioning and Acquisition of Inmovable Property (Amendment) Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा करेंगे।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विचार किया जाये"

सदन् को यह विदित ही है कि निरन्तर तीन दशकों से सरकार को स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहण और अर्जन का अधिकार प्राप्त था। यह अधिकार सर्वप्रथम भारत रक्षा का अधिनियम, 1939

के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था। सितम्बर, 1946 में उस अधिनियम के समाप्त होने के बाद भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण की गई सम्पत्तियों को भूमि अधिग्रहण (अधिकार जारी रखना) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत अधिग्रहण के रूप में रखा गया। इसके बाद संसद ने स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम लागू किया गया जिसके द्वारा स्थावर सम्पत्ति के अधिग्रहण तथा अर्जन की शक्ति सरकार को दी गई थी। उक्त अधिनियम 19 मार्च, 1952 को लागू किया गया और आरम्भ में यह नियम 6 वर्षों के लिए लागू किया गया किन्तु इसकी अवधि समय समय पर बढ़ाई जाती रही।

चूंकि 1970 का संशोधन करने वाला अधिनियम 11 मार्च, 1970 को लागू हुआ था, अतः अधिकतम अवधि, जिसके लिये उस अधिनियम के आरम्भ हो जाने से पूर्व अधिग्रहीत सम्पत्तियों को अधिग्रहणाधीन रखा जा सकता था, 11 मार्च, 1973 को समाप्त हो जायेगी। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहीत की गई सम्पत्तियां अभी तक रक्षा मंत्रालय तथा कुछ अन्य मंत्रालयों के अधीन हैं। यद्यपि सरकार अधिग्रहीत सम्पत्ति के अर्जन अथवा अधिग्रहण को समाप्त करने की नीति को शीघ्र क्रियान्वित कर रही है, फिर भी उनमें से अनेक ऐसी सम्पत्तियां हैं, जिनके सम्बन्ध में ऐसी आशा है कि सरकार को 10 मार्च, 1973 के पश्चात् भी सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये इन सम्पत्तियों की आवश्यकता होगी।

लम्बी अवधि के लिये भूमि अधिग्रहीत करने और प्रतिपूर्ति की राशि पर पुनर्विचार करने के उद्देश्य से एक व्यापक विधान लाने का विचार है जिससे उन लोगों के हितों की रक्षा की जा सके जिनकी सम्पत्ति सार्वजनिक प्रयोजन के लिये सरकार द्वारा अधिग्रहीत की जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तान प्रस्तुत हुआ : "कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए" इस चर्चा के लिए 1 घंटे का समय दिया गया है और विषय भी काफी सीमित है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो नियत समय के भीतर चर्चा समाप्त की जा सकती है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य (घाटल) : उपाध्यक्ष महोदय यह अत्यन्त छोटा विधेयक है जिसमें कि अधिनियम की एक धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है। प्रायः हम यह देखते हैं कि जब भी किसी अधिनियम को किसी धारा में सरकार को कोई कठिनाई होती है तो संबंधित मंत्री महोदय इस धारा में सशोधन पेश कर देते हैं। परन्तु मूल अधिनियम में इतनी त्रुटियां होने पर भी मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते कि उन त्रुटियों को दूर करने के लिए एक सशोधन करने वाला विधेयक पेश किया जाए। अच्छा होता यदि मंत्री महोदय एक पूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते।

जहां तक मुआवजे की राशि का सवाल है इसे लेने में बड़ी कठिनाई आती । राशि के भुगतान में अत्यधिक विलम्ब होता है और प्रायः मुआवजा लेने वालों को यात्रा पर तथा रिश्वत के रूप में काफी धन व्यय करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिए।

में यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन लोगों को जिनकी सम्पति अधिगृहीत की जा चुकी है, पुनरीक्षित मुआवजे का लाभ मिलेगा।

हमें यह भी मालूम नहीं कि उन लोगों को विशेषकर छोटे किसानों तथा समाज के निर्धन वर्ग को पूरी तरह से मुआवजा दिया गया है या नहीं। इन लोगों को तो मुआवजे के अतिरिक्त भी सहायता की जानी चाहिए। मंत्री महोदय इस बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

ऐसा भी देखा गया है कि सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि काफी लम्बी अवधि तक बेकार पड़ी रहती है जिसमें सार्वजनिक धन की बरबादी होती है। यह बातें दूर की जानी चाहिए।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : यह बहुत विवादास्पद विधेयक नहीं है क्योंकि इसका आशय अधिनियम की एक धारा का संशोधन करना मात्र है। धारा 6 में 'पांच वर्षों' शब्द के स्थान पर 'तीन वर्ष' रखने की मांग की गई है पुराने अधिनियम के अन्तगत या 1970 में संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत सारी अधिगृहीत सम्पति की अवधि 3 वर्ष बाद समाप्त हो जाएगी। इस समय सरकार के हाथ में बहुत अधिगृहीत सम्पत्तियां हैं। हम इस सारी सम्पत्ति के अधिगृहण को समाप्त होने की अनुमति नहीं दे सकते।

एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसकी अवधि 2 वर्ष क्यों बढ़ाई जा रही है यह इसलिए बढ़ाई जा रही है क्योंकि अभी तक इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत विधान नहीं लाया गया है। 1970-73 के वर्ष हमारे लिए विपदाओं के वर्ष रहे हैं। देश को युद्ध की विभीषिका से भी गुजरना पड़ा है। जब 1970 में विधेयक का संशोधन किया गया तो ऐसी आकस्मिकताओं का ध्यान न था और उस समय सरकार ने सोचा था कि 1973 तक ऐसी सभी सम्पत्तियां अधिगृहीत कर ली जायेंगी। हम अब ऐसी स्थिति के दौरान से गुजर रहे हैं जिसमें सरकार मकानों के बनाने पर गैर-विकासीय व्यय नहीं कर सकती है।

हम जानते हैं कि न केवल मकानों का अधिग्रहण किया गया है बल्कि इस भूमि का भी अधिग्रहण किया गया है जिसे वायु क्षेत्रों आदि स्थायी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किया जाता था ऐसे मामले में यदि संविधान के संशोधित उपबन्धों के अन्तर्गत सम्पत्ति को धनी लोगों से अर्जित किया गया है तो हमें मुआवजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु यदि यह सम्पत्ति उन लोगों की है जो धनी नहीं हैं तो सरकार को पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए इस समय हमारी वित्तीय स्थिति हमें इसके लिए अनुमति न दे सके किन्तु कम से कम सिद्धान्त के रूप में सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं इस विधेयक का स्वागत नहीं कर सकता वास्तव में इसके द्वारा अवधि विस्तार केवल दो वर्ष के लिए ही नहीं होगा। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में संकेत दिया है कि एक विधान पेश किया जा रहा है। जिसके द्वारा अधिग्रहण की अवधि को बढ़ाया जाएगा।

पिछले चार पांच वर्षों से हम इस सभा में सुनते आ रहे हैं कि शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी। यदि इस सभा में शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगाने का विधान पारित हो जाता है तो शहरी क्षेत्रों में सम्पति के अधिग्रहण का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह सरकार की एक बड़ी भारी असफलता है।

जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का मामला है मुझे पर्याप्त अनुभव है। विशेषकर मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में भी ऐसे मामले हैं जिनमें युद्ध के समय सरकार द्वारा अधिगृहीत भूमि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए बर्दवान जिले के पानागढ़ में सैकड़ों एकड़ परती भूमि पड़ी है। इसके लिए किसान आवेदन दे रहे हैं किन्तु सरकार इस भूमि का अधिग्रहण समाप्त करने के लिए इन्कार कर रही है। रेलों के लिए काफी भूमि परती पड़ी है। जब देश में खाद्य उत्पादन का संकट है तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह इन जमीनों को कम से कम अस्थाई रूप में खेती के लिए बदलने पर कुछ विचार करे।

मुआवजे का भी प्रश्न उठता है। कलकत्ता में रेलवे लाईन के करीब-करीब कुछ लोगों ने घर बना लिए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1960-62 और 1967-69 में उन लोगों को कलकत्ता के निकट कहीं भी उपलब्ध भूमि पर बसाने की कोशिश की। पर इनमें सब लोगों को पुर्नवास नहीं मिला। सरकार ने रेल भूमि का उपयोग किया है जो लोग वहां रहते हैं उन्हें हर वक्त यह भय लगा रहता है कि किसी समय भी सरकार उनसे जगह खाली करा लेगी। जब सरकार भूमि के कुछ प्लाटों का अधिग्रहण करती है तो उसका वा केवल यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह पर्याप्त मुआवजा दे करना उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि कोई गरीब या मध्यम श्रेणी का व्यक्ति प्रभावित होता है तो उनका समुचित रूप से पुर्नवास करना चाहिए।

मुझे खेद है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार ने जो कोई भी अर्जन या अधिग्रहण किया है उसके लिए उचित मुआवजा नहीं दिया है।

मैं यह नहीं कहता कि ऐसा अधिनियम न बनाया जाए बल्कि इस अधिनियम पर पुर्नविचार की आवश्यकता है मैंने कुछ प्रश्न उठाए हैं। आशा है कि मंत्री महोदय इन पर विचार करेंगे।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagore) : This is a very short Bill. It only seeks to amend one section of the act which was amended in 197.. The House should accept it. Government must have the right to the requisition and acquire property required for public purpose.

A compliant has been made that the proposed urban land ceiling legislation is being unduly delayed. It is because the question happens to be quite complicated Government is considering all the aspects of the question in great depth and as soon as the process is over Government will bring forward that legislation.

The Government acquires laud for the welfare of society and defence purpose. At the same time it is necessary to ensure that if any property requisitioned or acquired by the Government is not being utilised then it must be disequisitioned, specially when it happens to be agricultural land so that it could be used for agricultural purposes.

With these words I support the Bill.

***श्री ई० आर० कृष्णन्** (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय मैं अपने दल द्रविड़ मुवेज क्रमागतः की ओर से स्थावर सम्पत्ति (संशोधन) अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम पर विचार प्रकट करना चाहता हूं।

मूल अधिनियम 14 कार्च 1952 को लागू किया गया और तक इसकी अवधि 6 वर्ष थी समय समय पर इसकी अवधि बढ़ाई जाती रही है यदि सरकार जनहित के लिए प्राइवेट सम्पत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक समझती है तो उसे ऐसा जरूर करना चाहिए।

1970 में स्थावर सम्पत्ति (संशोधन) अधिग्रहण एवं अर्जन अधिनियम लागू हुआ था जिसके अन्तर्गत अधिग्रहीत सम्पत्ति को सशोधित अधिनियम के प्रारम्भ से ही तीन वर्ष तक अपने पास रखा जा सकता है। तीन वर्ष के लिए सम्पत्ति रखने की यह शक्ति 11 मार्च 1973 को समाप्त होगी और यही कारण है कि इस विधेयक को सभा के समक्ष लाया गया है।

सरकार की नीति स्पष्ट और विशिष्ट होनी चाहिए या तो अधिग्रहीत सम्पत्ति के अधिग्रहण को समाप्त किया जाए या मालिक को पर्याप्त मुआवजा देकर सरकार को इसका अर्जन कर लेना चाहिए। यह सही नहीं है कि आगे के दो वर्षों के लिए सरकार ऐसे ही लटकती रहे।

*** तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर**

Summarised translated version based on English translation of the speech deliverd in Tamil.

मैं आवास एव निर्माण मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि अधिग्रहीत सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य क्या है और सरकार द्वारा उसका क्या किराया दिया जा रहा है और जिन लोगों की सम्पत्ति को जनहित हेतु अधिग्रहीत किया गया है। उन्हें कितना मुआवजा दिया गया है। जब वायु सेना के उच्चाधिकारियों ने रक्षा उद्देश्यों की खातिर कुछ विशेष भू-भाग की मांग की तो उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान नहीं किया गया पर उस भूमि का अधिग्रहण किसी अन्य विधान द्वारा मारुति मोटर्स लि० के लिए कर लिया गया। मैं नहीं जानता कि सरकार की यह कार्यवाही किस न्याय के वर्ग में आती है।

सरकार द्वारा 44,600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इस भूमि पर 2 करोड़ रुपये की रक्षा स्थापनाएं लगाई गई हैं। जिस 44,600 एकड़ भूमि का अधिग्रहण, सरकार द्वारा किया गया है उसका मालिक कौन है। यदि भूमि पर निर्मित सम्पत्ति का मूल्य 2 करोड़ रुपये होता है तो भूमि का वर्तमान मूल्य क्या होना चाहिए ? उनकी आवश्यकता का मूल्यांकन कौन करने वाला है और कौन यह निर्णय लेता है कि जनहित के लिए सरकार द्वारा अपेक्षित सम्पत्ति का अर्जन करने के लिए मुआवजे की कितनी राशि देनी है। इन सभी पक्षों पर विचार करने के लिए शीघ्र ही सरकार का अपना प्रतिवेदन देने हेतु एक उच्चस्तरीय पुनरीक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसके आधार पर सरकार इस सम्बन्ध में वृहत् वैधानिक प्रस्ताव रख सके।

Prof. Narain Chand Parashar (Hamispur) : The scope of this Bill is very limited. The Government plans to extend the time limit of the said act from three to five years because this power to retain the property for three years will expire on 11th March 1973 and that is why this Bill has been brought.

It is not proper to link this Bill with Birla House Property. All it seeks to do is to enable the Government to retain the properties requistioned by them before the commencement of the Requistioning and Acquisition of Immoveable property Amendment Act of 1970 as they are required for defence and other purpose.

No doubt some people face difficulties when their property is requisitioned, but it is unavoidable in the larger interest of the country. One should be prepared to do this much of sacrifice for the sake of motherland. Moreover Government also pays adequate compensation to the concerned persons.

Since the hon. Minister has assured that a comprehensive Bill will be brought forward in due course we should not stand in the way of this legislation which is very much needed in the national interest.

Shri R. R. Sharma (Bonda) : Mr. Deputy speaker, Sir there is lot of difference between the theory and the practice. So far as the principle involved in Bill is concerned we have all regard for it but so far as implementation is concerned it is our experience that Government has always failed. I want to know the area of land acquired under this Act and whether that land has been returned in time or not.

Generally rich people do not suffer by the requisition. In the name of public interest small people are put to trouble. Government should see that not only adequate compensation is paid but they are also properly rehablitated. Such an assurance is very necessary.

It is being said that a comprehensive Bill will be brought forward in this regard. I wish that it should be presented in this session.

With these words I support the Bill.

Shri M. C. Daga : I fail to understand whether properties are being requistioned for the defence purposes or are being acquired for other purposes.

This law was originally passed in 1937 and since then it had been extended from time to time. Even now it is being extended for two years. Why are such extensions necessary and who is responsible for this state of affairs. Why do the Minister not gear up the administrative machinery? This bill is not at all needed and it has come as a result of the mistakes of the machinery. In its place a comprehensive Bill should be brought forward.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा । हम यहां लगान लेने वाले वर्ग के सम्पत्ति अधिकारों की रक्षा करने नहीं आए हैं विशेषकर उन लोगों की प्रतिरक्षा हम नहीं करेंगे जिनके लिए सम्पत्ति जीविकोपार्जन का साधन नहीं है ।

इस अधिनियम के कार्यान्वियन में सरकार को दो अनुरक्षणों को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें प्रयोग में लाना चाहिए । पहला यह है कि जब सरकार किसी व्यक्ति से सम्पत्ति ले या किसी व्यक्ति से भूमि ले ले, जोकि उसके जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है तो यह उस विशेष व्यक्ति के विरुद्ध एक प्रकार का अपराध सा है और इससे राज्य में विघटनवाद को बढ़ावा मिलता है । दूसरे 'सार्वजनिक प्रयोजन' शब्दों को निजी प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है । ऐसे कई उदाहरण हैं जब बड़े बड़े औद्योगिक गृह गैर सरकारी सम्पत्ति को खरीद कर अपने व्यापार के लिए प्रयोग करते हैं । जब सार्वजनिक प्रयोजनों की आड़ में निजी स्वार्थ कार्य करने लगते हैं तो सरकार को इस उपबन्ध के अनुचित उपयोग को रोकने के उपाय करने चाहिए ।

Shri Bhola Paswan Shastri : I am grateful to the hon. Members who have taken part in this debate and have given useful suggestions. Almost all the Members have expressed their agreement with the object of the Bill but they have expressed their displeasure about payment of compensation. They said that not only it should be adequate but should also be paid speedily. These cannot be two opinions in this regard.

We have to examine the various Acts of the different States. The Government has lawfully acquired the land. Various acts regarding acquisition of property were enacted in 1939, 1946, 1952, 1962 and 1970 The Act of 1970 took a permanent status.

The Government would examine the matter in detail after adoption of the present amendment. The acquisition of property would not be made without paying proper compensation. Any decision for requisition or derequisition is taken at the Revel of Minister. The residential accomodation of the poor is requisitioned generally.

To talk about the abolition of poverty has become a fashion these days. The compensation is made for the acquisition or requisitioning of property. Mr. Daga has asked for the streamlining of administration. One of the honourable Member has said that when a property is acquired in the public interest, the compensation should be paid immediately. I would like to assure the honourable Members that such things would not be allowed to happen in future till I am the Minister incharge of this Department. The feelings expressed by Members would be taken into consideration.

With these words I request the house that the bill be taken into consideration.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड-वार विचार करेंगे । कोई भी संशोधन नहीं है । अगर सदन सहमत हो, तो सभी खण्डों और शेष विधेयक पर एक साथ ही मतदान कर लिया जाएगा ।

प्रश्न यही है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause 2, Clause 1, the Enacting Formula and the title were added to the Bill

श्री भोला पस्वान शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : अगर शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधेयक पारित कर दिया जाता, तो बहुत सी सम्पत्ति का स्वामित्व सरकार के हाथ में आ गया होता । सरकार तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आवास उपलब्ध करने में असफल रही है। मन्त्रियों के एक एक बंगले का निर्मित क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट है । मन्त्रियों के बंगलों के रख रखाव पर 28 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च किये जाते हैं ।

हरियाणा में 60,000 रु० प्रति एकड़ की कीमत वाली जमीन को 9,000 प्रति एकड़ के भाव से अधिग्रहीत कर लिया गया । 200 व्यक्तियों की आपत्तियों को एक ही दिन में रद्द कर दिया गया। यह सब प्रधान मन्त्री के पुत्र की मारुति लिमिटेड के लिए किया गया ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I would like to congratulate Mr. Shastri on his speech and I hope he would be able to fulfil his promises.

There is acute shortage of quarters for class III and class IV employees in Delhi. The big bungalows in poor colonies like Vasant Bihar and Shanti Niketan etc. should be acquired and quarters for class III and class IV employees should be built thereon.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. INCREASE IN PRICES OF FOOD-STUFFS AND OTHER ESSENTIAL COMMODITIES

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बी० के० दास चौधरी अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : 1960-61 मे राष्ट्रीय आय 13,294 करोड़ रुपये थी और मुद्रा सप्लाई 2,889 करोड़ रुपये थी । 1970-71 में 1960-61 के मूल्य स्तर पर राष्ट्रीय आय 19,505 करोड़ रुपये थी और मुद्रा सप्लाई 8,114 करोड़ रुपये थी । राष्ट्रीय आय 1960-61 और 1970-71 के बीच 49 प्रतिशत बढ़ी जबकि मुद्रा सप्लाई में 292 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

1960-61 में मुद्रा सप्लाई और राष्ट्रीय आय में 1 : 4.7 का अनुपात था, जो 1970-71 में 1 : 2 4 का ही रह गया । इससे पता चलता है कि 1960-61 के मूल्य-स्तर की दृष्टि से रुपये की कीमत 41 अथवा 42 पैसे ही रह गई है ।

महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है और साथ ही साथ कृषि उत्पादन इतना कम हो गया है

कि इसस समाज में तनाव, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं को प्रोत्साहन मिला है। हमें इनका समाधान ढूंढना होगा और निवारक उपायों को अपनाना होगा।

कुछ सदस्यों ने घाटे की अर्थ-व्यवस्था और मुद्रा-स्फीति के दबावों की चर्चा की है। किसी भी विकासशील देश के नियोजित आर्थिक विकास के लिए घाटे की अर्थव्यवस्था से नहीं बचा जा सकता। परन्तु असलो समस्या तो यह है कि जितने आर्थिक विकास की आशा की गई थी उतना विकास नहीं हो सका है।

हमारी नीति यह रही है कि एकाधिकारी कम्पनियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। सरकारी वित्तीय संस्थानों की कीमत पर एकाधिकारी कम्पनियां अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर रही हैं। 75 बड़े उद्योग-गृह आज भी गैर-बैंकिंग प्राइवेट निगमित क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक परिसम्पतियों को नियमित करते हैं।

आयोगों ने भी अपनी रिपोर्टों में कहा है कि एकाधिकार गृह उत्पादनोन्मुख नहीं है, बल्कि वे अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने के प्रयास में रहते हैं। वे बाजार में कृत्रिम रूप में कमी की स्थिति पैदा करके महंगाई को प्रोत्साहन देते हैं। इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए सरकार को निवारक उपाय करने चाहिए। आज भी बड़े उद्योग गृह सरकारी वित्तीय संस्थानों से भारी मात्रा में ऋण प्राप्त करते रहे हैं। 75 बड़े उद्योग गृहों में से भी 20 बड़े उद्योग गृह 50 प्रतिशत से अधिक ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त करते रहे हैं। 73 उद्योग गृहों पर 491 करोड़ रुपये के ऋण बकाया थे और 20 बड़े उद्योग गृहों पर 271 करोड़ रु० का ऋण बकाया था। वर्ष 1971-72 में जीवन बीमा निगम ने गैर सरकारी क्षेत्रों को 248 करोड़ रु० ऋण के रूप में दिए थे, जिनमें से 94.46 करोड़ रुपये दस बड़े उद्योग गृहों को दिए गए।

रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के एक अनुमान के अनुसार 1968-69 से 1970-71 के दौरान तीन वर्षों में 293 बड़े उद्योग गृहों ने अपनी आय को 45 करोड़ से बढ़ाकर 97 करोड़ कर लिया है। वे राष्ट्रीय विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए बढ़ी हुई आय को विनियोजित नहीं कर रहे हैं।

बड़े उद्योग गृहों ने वर्ष 1968-69, 1970-71 और 1971-72 में क्रमशः 97 करोड़ रुपये, 86 करोड़ रुपये और 77 करोड़ रुपये की पूंजी विनियोजित की। सरकारी वित्तीय संस्थाओं से इन उद्योग गृहों ने वर्ष 1968-69 में 86 करोड़ रुपये लिए थे जो पिछले साल बढ़कर 162 करोड़ रु० तक हो गये थे। इसका कारण यह है कि एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न के वितरण के लिए अधिक संख्या में उचित दर दुकानें खोली गई हैं। मुझे एक टेलीप्रिन्टर समाचार प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार गुजरात के वनस्पति निर्माता वहां के बाजार से भारी मात्रा में सरसों का तेल खरीद रहे हैं। उसको परिष्कृत करके वे थोक बाजार में बेच रहे हैं।

वे सरसों के बीज भारी मात्रा में खरीदते हैं और उससे शोधित सरसों का तेल तैयार करके कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं। तेल को वे 7 रुपये किलो बेचते हैं। इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं।

श्री एच० एम० पटेल (ठंठुका) : पिछले कुछ महीनों में जिस गति से मूल्य में वृद्धि हुई है वह निश्चय गम्भीर मामला है। हमारी अर्थ व्यवस्था में मुद्रा स्फीति चिन्ता का विषय बन गई है।

जर्मनी को एक बार इसका कटु अनुभव हुआ था जब वहाँ लोगों को रोटी खरीदने के लिए सूटकेस में मार्क ले जाने पड़ते थे। हमारा स्थिति भी कुछ ऐसी ही होती जा रही है।

इस भावना को स्थान नहीं मिलना चाहिए कि मूल्य वृद्धि का रोका जाना असंभव है। दृढ़ निश्चय द्वारा इसे रोका जा सकता है। इतना अधिक मुद्रा स्फीति से नौकरी पेशा लोगों का जीवन दूभर बन गया है। वास्तव में मूल्य पिछले कई वर्षों से निरन्तर बढ़ते रहे हैं और आज वृद्धि कुछ प्रतिशत ही नहीं अपितु कई सौ प्रतिशत है।

रेल मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि उनके लिये आय-व्यय के आंकड़ों में सामंजस्य रखना कठिन है क्योंकि इस्पात कोयला और सीमेंट के मूल्य कई गुणा बढ़ गये हैं। इसमें संदेह नहीं कि संचालन कार्य क्षमता के होते हुए भी रेलवे विषम स्थिति से बच नहीं पाई।

1960–61 में राष्ट्रीय आय 13,294 करोड़ रुपए थी। 1960–61 के मूल्य स्तर पर 1971–72 में राष्ट्रीय आय 19,500 रुपये हो गई। कुछ दिन पहले रखे गये बजट में वास्तव में 600 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ-व्यवस्था का होना निश्चित है।

वेतन आदि में न केवल स्थिरता लाई जानी चाहिए अपितु उनको उत्पादन से जोड़ा जाना चाहिए।

तीन नदियों के जल के उपयोग से हरियाना, पंजाब और राजस्थान के कई भागों में हरित क्रान्ति आई। 30 लाख सूखा-ग्रस्त एकड़ भूमि को सिंचित करने में क्या कठिनाई है। इससे खाद्य की समस्या तो सुलझेगी ही इससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी। फरक्का बांध की 20 मील लम्बी नहर यदि निर्मित की जाती तो इससे कलकत्ता पत्तन की समस्या हल हो जाती।

मूल्यों में स्थिरता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परन्तु बजट में उसे समूचित स्थान नहीं मिला।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासोर) : मैं श्री बसु से यह पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन के दौरान कितने काले बाजार वालों को भारत सुरक्षा नियमों के अधीन पकड़ा गया था।

कांग्रेस पार्टी ने बम्बई के ऐतिहासिक अधिवेशन में कृषि उत्पादनों के सम्बन्ध में वायदा सौदों पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया था। परन्तु हम उसे रोक नहीं पाए हैं। मैं दिल्ली के उप-राज्यपाल से मिला था। उन्होंने इस अवैध व्यापार में लगे 200 व्यक्तियों के टेलीफोन कनेक्शन काट दिये जिससे 5400 रुपये प्रति टन बिकने वाला मूंगफली का तेल 5000 प्रति टन पर बिकने लगा। जब तक सरकार पूरी सतकता नहीं बरतती इस अवैध व्यापार को नहीं रोक सकती।

पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री ने अवैध व्यापारियों के विरुद्ध प्राप्त हुई सूचनाओं पर कठोर कार्यवाही की थी।

मुझे उम्मीद है कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये वायदा सौदों पर रोक लगाई जायेगी।

श्री श्याम नन्द मिश्र (बेगुसराय) : विगत नवम्बर से मूल्य वृद्धि निरन्तर बढ़ रही है। यदि उसकी गति इसी प्रकार रही तो वर्ष भर में वृद्धि 15% हो जाएगी जोकि स्वतंत्रता के पश्चात एक रिकार्ड है। फसल के बाद जो मूल्यों में गिरावट आया करती है। वह भी खरीफ की फसल के बाद नहीं आई है।

बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि 0.4 प्रतिशत होगी यह बात मुझे उपहासास्पद लगती है।

महाराष्ट्र में शराब के मूल्य में विक्रय कर आदि के घटने से 30-35 प्रतिशत की कमी आई है। आज के समाजवाद में शराब की नदियां बहती हैं। वहाँ के लोगों को चौबीस-चौबीस घंटे पानी के बिना निर्वाह करना पड़ता है।

हम राज्य के निर्देशक सिद्धान्तों के लिये वचनबद्ध हैं। शराब के मूल्यों में कमी से आम लोगों को लाभ नहीं पहुँचता। मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण पिछले पांच वर्षों में मुद्रा स्फीति का होना है। इस अवधि में मुद्रा में 56 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय आय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले दो वर्षों में तो यह अन्तर और भी अधिक रहा।

पिछले वर्ष बजट अनुमानों की तुलना में राजस्व में 138 करोड़ रुपये अधिक आये, बाजार से प्राप्त ऋण में अनुमानतः 263 करोड़ रुपये अधिक और छोटी बचतों मे 70 करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुए। क्या उन स्रोतों का रचनात्मक उपयोग लिया गया है और यदि हां तो मूल्यों की स्थिति पर उसका क्या असर पड़ा है ?

राज्य सभा में विदेश व्यापार मंत्री ने पिछले दिन बताया था कि बढ़िया कपड़े के उत्पादन में पिछले 2 वर्ष में 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विलास वस्तुओं के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

भविष्य में भी मूल्यों के नियंत्रण में रहने अथवा घटने की कोई सम्भावना नहीं है।

यदि सरकार के भंडारों में 95 लाख टन अनाज था तो उसे जनता के लिये उपलब्ध कराके कठिनाई का सामना क्यों नहीं किया गया।

आज अनाज की वसूली के 70 लाख या 80 लाख टन से अधिक होने की सम्भावना नहीं है। यदि 20 लाख टन आयात भी किया जाता है तो कुल 90 लाख टन होगा। जबकि हमारी आवश्यकता 170-180 लाख टन की है। इस प्रकार कुल कमी 90 लाख टन की रहेगी। इसे कैसे पूरा किया जाएगा। यह भी समझ में नहीं आता कि वर्तमान अपर्याप्त पूर्ति को बनाए भी कैसे रखा जा सकता है।

बिजली, इस्पात, उर्वरक, पैट्रोलियम और सीमेंट जैसी वस्तुओं पर बहुत कम पूंजी लगी है।

बजट में 85 करोड़ रुपए की घाटे की अर्थ-व्यवस्था रहती है जबकि वास्तविक कमी 400 करोड़ रुपये के लगभग होगी। वेतन आयोग की सिफारिशों तथा अनाज के उपदान पर 200 करोड़ तथा 130 करोड़ रुपये लगेंगे।

हमारे रुपये में 19·5 प्रतिशत का अवमूल्यन तथा सीमाशुल्क करो में वृद्धि से निर्यात वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। इसका भी मूल्यों पर प्रभाव पड़ेगा।

उद्योग और कृषि दोनों में ही कम उत्पादन होने की संभावना है। मोटे रूप से मूल्य वृद्धि, लगभग स्थिर अर्थ-व्यवस्था और बेरोजगारी की समस्याएं हमारे सम्मुख हैं। भविष्य के बारे में प्रश्न हैं (क) क्या सरकार द्वारा जनोत्पादक व्ययों में 12 प्रतिशत से कमी लाई जाएगी, (ख) क्या धन की उपलब्धि में 7-8 प्रतिशत की व्ययों की जाएगी तथा क्या (ग) क्या घाटे की अर्थ-व्यवस्था को 350-400 करोड़ रुपये से काफी कम रखा जा सकेगा।

जब इंगलैंड और अमरीका में मूल्य आयोग हो सकते हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं ? हमारे यहां चीनी और वनस्पति उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया जाता है ?

श्री बी० आर शुक्ल (बहराइच) : माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान बढ़ते हुए मूल्यों से पैदा स्थिति कीओर तो दिलाया है परन्तु उन्होंने इस परिस्थिति पर क़ाबू करने के कोई उपाय नहीं दर्शाए हैं। गरीबी और मूल्यों की स्थिति पर राष्ट्रीय दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए, न कि दलीय आधार पर। इस वाद-विवाद का मुख्य प्रश्न यह है कि मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के लिए सरकार की नीतियां उत्तर-दायी हैं। 1971 में रबी की फसल इतनी अधिक थी कि सरकार को गेहूँ के लिये समर्थक मूल्य को बनाए रखना कठिन हो गया। वर्तमान मूल्य वृद्धि वर्षा की विफलता के कारण हुई है।

कमी वाले इलाकों में भारी मात्रा में खाद्यान्न भेजे गये हैं और कई सहायता कार्य भी हाथ में लिये गये हैं।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था न केवल अवांछनीय है अपितु वित्तीय दृष्टि से भी पुष्ट नहीं है। निर्धन लागों की सहायता के लिए घाटे की अर्थ-व्यवस्था आवश्यक है।

सभा को सरकार द्वारा सभी आवश्यक कदम उठाने के लिये आभारी होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : अर्थशास्त्र विशेषज्ञों का विषय है। मैं सदन का ध्यान उत्पादन कार्यों की ओर दिलाना चाहता हूँ। 1968–69 में चीनी की उत्पादन लागत प्रति टन 12000 रुपये था जबकि 1972–73 में यह 25000 रुपये प्रति टन हो गया है। सीमेंट की उत्पादन लागत 1968–69 में 250 रुपये थी जो कि 1972–73 में 500 रुपये हो गई। उर्वरक का मूल्य 2900 रु० प्रति टन से बढ़कर 3400 रु० प्रति टन हो गया। उत्पादन लागत में इस वृद्धि का मूल्य पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। भारत का किसान जो पैदा करता है उसके लिये उसे कोई न्यूनतम जीवन निर्वाह नहीं मिलता। इसके अभाव में उत्पादन बढ़ना असम्भव है।

दूसरी बात यह है कि पूरे देश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों के लिए पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है।

मछली के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए इससे खाद्यान्नों में प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी।

मूल्यों सम्बन्धी नीति अनुभव के आधार पर बनाई जानी चाहिये।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : विरोधी दल पूरा उत्तरदायित्व सरकार पर डाल कर संतोष अनुभव कर सकता है।

इस देश में हम अधिक उत्पादन की बात नहीं करते अपितु अधिक वेतनों की बात करते हैं।

हमने देखा है कि जो लोग अत्याधिक उत्पादन की हिमायत करते हैं उनमें से बहुत से तो ऐसी कम्पनियों के सदस्य हैं जो परिलब्धियां देती हैं। हमें अपना हृदय टटोलकर देखना चाहिए कि हममें से कितने ससत्सदस्य औद्योगिक सस्थानों के निदेशक अथवा प्राधिकारी हैं परन्तु वस्तुत: कोई उत्पादन कार्य नहीं करते हैं। अत: उत्पादन लागत को कम किए बिना हम मूल्यों में वृद्धि को नहीं रोक सकते जबकि हम मजदूरों की मजूरी में भी वृद्धि करना चाह रहे हैं। पश्चिमी तथा अन्य विकासशील देशों में मजदूरों की मजूरी में वृद्धि का भार उपभोक्ता पर न डाल कर उत्पादन-लागत में कमी करके पूरा किया जाता है। अत: हमारे सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अपने मुनाफे की कतिपय प्रतिशतता को स्वयं अपने उद्योग में लगाकर उत्पादन लागत में कमी करनी चाहिए। इस प्रकार मेरा सर्वप्रथम निवेदन यह है कि किसी प्रकार भी उत्पादन लागत में कमी करने का प्रयास किया जाये।

अब तक हमने अपनी योजनाओं अथवा परियोजनाओं की सफलता या असफलता का अनुमान उन पर किए गये खर्च के हिसाब से लगाया है परन्तु वस्तुत: यह प्राक्कलन वास्तविक लक्ष्यों की पूर्ति के हिसाब से किया जाना चाहिए क्योंकि मुद्रा स्फीति के दौर में खर्च की गई राशि का विशेष महत्व नहीं होता।

अनेक विपक्षी सदस्यों ने कहा है कि रेलवे बजट तथा सामान्य बजट का स्वरूप मुद्रा स्फीति बढ़ाने वाला है। ऐसे भाषणों के सहारे ही व्यापारी लोग व्यर्थ ही उपभोक्ताओं पर मुद्रा स्फीति का कल्पित भार डाल देते हैं। हमने देखा है कि हालांकि बजट प्रस्तावों का प्रभाव बहुत सी आवश्यक वस्तुओं पर नहीं पड़ा है तो भी इनके मूल्यों में वृद्धि हो गई है। अत हमें यह भावना नहीं पैदा करनी चाहिए कि बजट प्रस्तावों के कारण मूल्यों में वृद्धि होगी अन्यथा व्यापारी लोग इन्हीं भ्रमपूर्ण प्रचारों का सहारा लेकर उपभोक्ताओं पर कल्पित भार डाल देंगे।

अन्त में मेरा निवेदन है कि केवल सूखा-राहत अथवा बाढ़-राहत देने की बजाये अब समय आ गया है कि सूखे और बाढ़ का मुकाबला करने के लिए व्यापक रूप से योजनायें बनाई जायें।

वित्त मन्त्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : इस चर्चा में विपक्ष की ओर से तथा शासक दल की ओर से काफी बढ़-चढ़कर दलीलें पेश की गई हैं परन्तु वस्तुत: इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है। साथ ही यह भी सच है कि हमने कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं किया है तथा खाद्य उत्पादन औद्योगिक उत्पादन, भण्डार की स्थिति, आयात की स्थिति आदि के सभी आंकड़े सभा के समक्ष "द इकोनोमिक सर्व" नामक पत्र में पेश कर दिये गये हैं। इसमें मूल्य वृद्धि की समस्या पर विस्तार से सकारण, विवरण दिया गया है तथा कतिपय सुझाव भी पेश किये गये हैं।

अब महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किसी दल-विशेष का मामला नहीं है और हमें इस पर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसके लिए काई राष्ट्रीय दल ही खोजना है। हमें रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर इस बारे में विचार करना है तथा ठोस एवम् कारगर उपायों का सुझाव देना चाहिये।

मूल्य में वृद्धि के मूल कारण पर विचार करते समय इसकी पृष्ठभूमि पर भी विचार करना होगा। मूल्यों में वृद्धि केवल आर्थिक क्रिया नहीं है यह एक सामाजिक क्रिया भी है। अत: इस सम्बन्ध में हमे सामाजिक पहलू पर भी विचार करना होगा। इस बारे में एकाधिकार का प्रश्न उठाया गया जो कि बड़ा स्वाभाविक है और हमें इस संदर्भ में भी सोच-विचार करना है कि मूल्यों में वृद्धि के लिए एकाधिकार के अस्तित्व का कहां तक हाथ है। साथ ही इस आर्थिक-सामाजिक क्रिया को समझने के लिए हमें अपने देश का दो वर्ष पूव का इतिहास भी देखना होगा। बंगला देश के संदर्भ में हमने अपना ऐतिहासिक योगदान दिया, हमें देना चाहिए था और हमें इसके लिए कोई पछतावा नहीं है।

कुछ सदस्यों ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि कुछ मुसीबतें आयेंगी। परन्तु मैंने सूखे तथा अन्य मुसीबतों के बारे में तो नहीं कहा था। सूखा पड़ा है, 1971-72 तथा 1972-73 में घाटे की बजट व्यवस्था करनी पड़ी है। इसके समूचे तौर पर प्रभावों के कारण मूल्य में वृद्धि हुई है।

अब प्रश्न यह है कि हम करना क्या चाहते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने बड़ा निराशावादी चित्र पेश किया है। परन्तु मैं इस समस्या का वास्तविक तथा संतुलित रूप चिन्तन करना चाहता हूं। आर्थिक दृष्टि से, अपने देश की मूल्य-वृद्धि की इस आर्थिक-सामाजिक समस्या को हल करने हेतु

हमें कोई न कोई आधारभूत उद्देश्य सोचना होगा जिसके तीन पहलू होंगे जो कि परस्पर एक दूसरे के पूरक होंगे। एक पहलू है देश की कुल आवश्यकता का प्रभावी लेखा-जोखा दूसरे, हमें सुनिश्चय करना होगा कि देश का कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन काफी बढ़े। और तीसरा पहलू वितरण व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध। मूल उद्देश्य के ये तीन आधारभूत अंग हैं जिनके द्वारा हम मूल्य-वृद्धि की समस्या का मुकाबला कर सकते हैं।

बजट पर बहस के दौरान हम अनेक बातों पर चर्चा करेंगे परन्तु मैं यहां यह अवश्य कहना चाहूँगा कि हमने यह प्रयास किया है कि कम से कम घाटे की अर्थव्यवस्था हो। कुछ सदस्यों ने कहा है कि कतिपय सार्वजनिक ऋण भी घाटे की अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं। ऐसा नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि योजना कार्य निष्पादन तथा उत्पादन संबंधी गतिविधियों के लिए सार्वजनिक ऋण लेना घाटे की अर्थ-व्यवस्था में शामिल नहीं है। इससे तो मुद्रा सप्लाई को सीमित किया जाता है तथा योजना कार्य निष्पादन तथा उत्पादन गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाता है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि वस्तुतः खर्च और अधिक करना पड़ेगा। वेतन आयोग के प्रतिवेदन तथा खाद्य सम्बन्धी राजसहायता के मामले आगे आयेंगे। यह सही है। परन्तु फिर भी हमें निराशा-वादी नहीं होना चाहिए। मैं यह तो नहीं भविष्यवाणी करता कि कल ही मूल्य कम हो जायेंगे इसके लिए तो हमें कतिपय दीर्घकालिक कार्यक्रम चलाने होंगे।

अब खाद्य उत्पादन के बारे में विचार करें। गत वर्ष वितरण व्यवस्था के माध्यम से 105 लाख टन का वितरण किया गया।

वर्ष 1973 के आरम्भ में हमारे पास 40 लाख टन का भंडार था तथा गत फरवरी में 7.5 लाख टन की निकासी हुई है। अभी खरीफ की वसूली होने जा रही है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। मैं सभा को बता देना चाहता हूं तथा यह अकाट्य सत्य है कि गत वर्ष सूखे के कारण समूचे रूप से जो बुरा समय रहा अबकी बार रबी की फसल विशेष रूप से गेहूँ की फसल एक रिकार्ड फसल होगी। हमें इस अत्यन्त महत्वपूर्ण बात को भी ध्यान में रखना है। यह बात मैं गेहूं की फसल के बारे में कह रहा हूँ। अबकी बार रबी की फसल गत वर्ष की अपेक्षा कहीं अधिक होगी। परन्तु इस संदर्भ में हमें राज्य सरकारों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी ताकि यह अतिरिक्त उत्पादन वसूली के दायरे में लाया जा सके।

परन्तु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि रबी की फसल से समूचे कृषि उत्पादन का ही रुख बदल जायेगा। मैं तो इसकी वसूली के फलस्वरूप अपनी भण्डार-स्थिति के बारे में बता रहा हूं। वर्ष 1973-74 में हमारी भण्डार-स्थिति बड़ी अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त हम 2 लाख टन माइलो का आयात भी पूरा कर रहे हैं। उस प्रकार यदि हमारे अनुमान सही रहे तो चाहे कुछ हो जाये, फिर भी हमारी स्थिति गत वर्ष की स्थिति जैसी या उससे अच्छी रहेगी।

यह सब जानते हैं कि खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि ही मूल्यों में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और इसी संदर्भ में हम सबका सहयोग चाहते हैं। यह सही है कि इसमें एकाधिकार वालों का बड़ा हाथ होता है और यह हमारी सरकार तथा हमारे दल की भी यही कामना है कि एका-धिकारों को समाप्त किया जाये। विपक्ष भी यही चाहता परन्तु वह केवल बातें करता है और हम इस संदर्भ में प्रयास कर रहे हैं।

गत वर्ष के दौरान, गैर योजना व्यय के अन्तर्गत हमने इण्डिन कॉपर, गैर कोककारी कोयले तथा सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया था जिसका उद्देश्य एकाधिकार को समाप्त करना नहीं

है तो फिर क्या है ? गैर कोककारी कोयला खानों का अधिग्रहण करना सचमुच ही एकाधिकारवाद को समाप्त करने की ओर एक प्रभावी कदम है। हम निश्चय ही एकाधिकारियों के हिमायती नहीं हैं। हमारा तो देश में लोकतन्त्रात्मक समाजवाद लाने का उद्देश्य है। मुझे लगता है कि एकाधिकारों को समाप्त करने सम्बन्धी हमारे उपायों से कुछ लोग तिलमिला गए हैं और इसीलिए यहां चिल्ला रहे हैं।

मूल्य में वृद्धि को रोकने का एक और महत्वपूर्ण उपाय-वितरण व्यवस्था-अपनाया गया है। हमने गेहूँ के समूचे थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है। क्या इसका अर्थ एकाधिकार को समाप्त करना नहीं है ? हम चावल-वितरण के थोक व्यापार को भी अधिग्रहीत करेंगे। मैं जानता हूँ कि विपक्ष के अनेक सदस्य इसके विरोधी हैं (व्यवधान) फिर भी वह कहते हैं कि हमने मूल्यों को फिट रखने के लिए कुछ भी नहीं किया है जबकि वही लोग अनाज के थोक व्यापार के अधिग्रहण का भी विरोध करते हैं। बताइये, एकाधिकार के पक्षपाती कौन हैं ?

खाद्यान्नों के वितरण के लिए हमने यह व्यवस्था की है। चीनी सम्बन्धी नीति में हमने जो परिवर्तन किया उसकी भी आलोचना की गई है। इन संदर्भ में हमें देश में चीनी की स्थिति चीनी के उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए। हमने नियंत्रित चीनी के समस्त वितरण को अपने हाथ में ले लिया है। उसे हम उचित मूल्य की दुकानों तक पहुँचायेंगे। इन दुकानों की संख्या में भी काफी वृद्धि की गई है। गांवों में इन दुकानों की प्रतिशतता 60 से 40 तक है। इन दुकानों पर अनाज भी हम 87 रुपये प्रति क्विटल की दर से भेज रहे हैं और यह अनाज जरूरत-मन्द लोगों के पास पहुंच रहा है।

दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बहुसंख्यक लोगों द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्री का है। उनमें खाद्य सामग्री चीनी, कपड़ा तथा खाद्य तेल भी शामिल हैं। वर्ष 1972-73 में निश्चय ही इन चीजों का अधिक उत्पादन किया गया। इस संदर्भ में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि गत कुछ सप्ताहों में इन वस्तुओं की कुछ कमी पड़ी थी जिसका कारण बिजली आदि की कमी था परन्तु फिर इससे औसत में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है।

मैं निराशावादी नहीं हूँ तथा न ही यह कहता हूं कि अगला मौसम बुरा होगा या सूखा पड़ेगा। परन्तु फिर भी कठिनाई यह है कि बिजली की कमी के कारण देश की समूची अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मुझे आशा है कि ईश्वर हम पर दया रखेगा। देश की ऋतु संबंधी तथा प्राकृतिक स्थिति को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 1973-74 कृषकों के लिए सर्वोत्कृष्ट वर्ष होगा।

अतः हमें लोगों को यह भ्रम नहीं देना चाहिये कि अगले वर्ष अभाव तथा मूल्यों में वृद्धि का वर्ष होगा। हमें लोगों की आत्मशक्ति को क्षीण नहीं करना चाहिए। बल्कि कुछ उपयोगी सुझाव देने चाहियें। हमें आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में विपक्ष का सहयोग मिलना चाहिए।

मैं इस मामले पर राजनैतिक अथवा पक्षपाती दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहता हूँ। यदि हमें विपक्ष की सहायता मिलती है तो बहुत अच्छी बात है वरना हम देशवासियों की सहायता लेते हुए अपनी सफलता की ओर अग्रसर होते जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : सरकार एकाधिकारों को समाप्त करने की तो केवल बातें ही करती है वरना वह तो वस्तुतः एकाधिकारवादियों के हाथों का खिलौना-मात्र है। ये लोग तो कभी एकाधिकारों को कभी समाप्त कर ही नहीं सकते।

आप वितरण-व्यवस्था की बात करते हैं। भारतीय खाद्य निगम ने उत्तर बिहार तथा उत्तर प्रदेश में खाद्यान्नों के भण्डारों को मंडियों में बेचने की बजाये बड़े-बड़े व्यापारियों को सौंप दिये जिन्होंने जमाखोरी करके मूल्यों में वृद्धि की।

जहाँ सरकार उत्पादन-प्रधान घाटे की बजट-व्यवस्था का दम भरती है वहां अनुत्पादक तथा गैर-योजना खर्चों में भारी वृद्धि होती जा रही है। पुलिस पर 1950-51 में केवल 3 करोड़ रुपये का खर्च हुआ था जो अब 1973-74 में 124.37 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार प्रशासनिक सेवाओं का खर्च 1963-64 के 77.33 करोड़ रुपये से बढ़कर 1973-74 मे 279.44 करोड़ रुपये हो गया है। क्या यह सच नहीं है। आप कहते कुछ हैं परन्तु करते उसके विपरीत हैं।

वसूली के संबध में भी आपकी नीति को कृषि मूल्य आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष डा० अशोक मिश्र ने आलोचना की है उन्होंने इस जोतेदारों को समर्थक बताया है। अब क्योंकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अपने दल को नीति का अनुकरण नहीं करती है इसीलिये सरकार की वसूली कुछ भी नहीं होगी।

जहां तक निहित स्वार्थों द्वारा कमी तथा अभाव का प्रचार करने की बात है सो सरकार स्वयं भी ऐसा ही करती है। खाद्यान्नों के अधिग्रहण केन्द्र भी पर विचार करने के लिये आयोजित मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में स्वयं की फखरूद्दीन अली अहमद ने कहा था कि 1.5 करोड़ टन की कमी होगी। क्या इससे जमाखोरों तथा काला बाजार करने वालों को सहायता नहीं मिली ? अतः मैं कहूंगा कि सरकार पहले अपने गिरहबान में झांके।

13 नवम्बर, 1972 को इसी सभा में चर्चा के समय स्वयं श्री चव्हाण ने कहा था कि मूल्यों में गिरावट होने के संकेत बढ़ते जा रहे हैं और नई फसल के आने पर यह प्रवृत्ति और बढ़ जायेगी ? परन्तु क्या मूल्य गिरे ? योजना आयोग द्वारा प्रायोजित भारतीय उपभोक्ता परिषद् ने उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों के गत चार वर्ष के आंकड़े दिये हैं। मूंग की दरें 1970, 71, 7 तथा 73 में क्रमशः 1.40 रु०, 1.95 रु०, 2.40 रु० तथा 2 95 रु० प्रति किलो रही तथा धुले मूंग के मूल्य क्रमशः 1.50 रु०, 2.00 रु० 2.50 रु० तथा 3 50 रु० रहे। बासमती चावल के मूल्य क्रमशः 1.50 रु०, 1.75 रु०, 2 10 रु० तथा 3.00 रु० प्रति किलो रहे। सर्वाधिक आधारभूत पदार्थ आटे के मूल्य क्रमशः 0.90 रु०, 0.95 रु०, 1.00 रु० तथा 1 50 रु० प्रति किलोग्राम रहे।

इसी प्रकार मैदा की वसूली लागत तो 80 रुपये प्रति क्विंटल है परन्तु उसका विक्रय मूल्य 400 रु० है। यह भी मोदी का कमाल है जो कि मंत्रियों तथा राज्यपालों को स्वागत-भोज देते रहते हैं। कोयले के स्थान पर आप तो मूल्यवान बिजली की भट्टियां प्रयोग में ला रहे हैं परन्तु उपभोक्ताओं के लिये कोयले के चार वर्ष के मूल्य क्रमशः 5.00 रु०, 5.(0 रु० 7.00 रु० तथा 10 रु०, प्रति 40 किलो रहे हैं। फिर भी उपलब्ध नहीं है। मिट्टी के तेल के प्रति लिटर मूल्य क्रमश. 61 पैसे 65 पैसे, 70 पैसे तथा 1 रु० रहे। डालडा वाले आपके दल को चन्दा देते हैं। उनके घी के मूल्य भी सुन लीजिये। 2 किलो टिन के मूल्य 10.85 रु० 1970 में, 12.30 रु० 1971 में, 13.58 रु० 1972 तथा अब 1973 में 14.30 रु० है। तीन वर्ष मे 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मूल्यों में वृद्धि के लिये जनसंख्या में वृद्धि का बहाना तराशा गया है। फिर आप योजना किस बात की बनाते हैं। क्या आप समझते हैं कि जब तक आप योजना बनायें तब तक महिलायें तथा पुरुष बच्चे पैदा नहीं करेंगे ? क्या आप यह नहीं सोचते कि जनसंख्या भी बढ़ेगी ?

प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय मे हमारा देश सबसे पीछे है। पाकिस्तान, थाइलैंड, श्री लंका संयुक्त

अरब गणराज्य, घाना आदि देशों में जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी वहां प्रति व्यक्ति आय नहीं घटी। अतः जनसंख्या में वृद्धि को मूल्यों में वृद्धि का कारण बना लेना उचित नहीं है।

सरकारी क्षेत्र वस्तुतः भ्रष्टाचार और कुप्रबन्ध के प्रतीक बने हुए हैं। गोइन्का को लाभ पहुंचाने के लिये आपने 64 रु० मूल्य के शेयर 95 रुपये में खरीदे और इस प्रकार जनता की 67 लाख रुपये की राशि गोल हो गई। सरकार ऐसे लुटेरों तथा बदमाशों के साथ सांग-गांठ कर रही है। गैर सरकारी क्षेत्र के लोग आकर सरकारी क्षेत्र पर हकूमत चलाते हैं। मैं पूछता हूं कि सरकारी उपक्रमों के निदेशक तथा नीति निर्माता कौन हैं ?

बैंकों के मालिकों को आपने कितना मुआवजा दिया ? क्या उनका राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य केवल मूलभूत अधिकारों की उपेक्षा करना था ? क्या लाभ हुआ है ? बैंकों से रुपया इस प्रकार बढ़ गया कि उसका मुआवजा दुगुना हो गया है।

सरकार द्वारा सुरक्षा मिलने से एकाधिकारवादियों ने चोर बाजारी अपने धन में अत्यन्त वृद्धि की है। इस पर भी सरकार समाजवाद की बात करती है।

निगमित क्षेत्र को दिसम्बर, 1972 में अत्यधिक लाभ हुआ है। निगमित क्षेत्र में वर्ष 1973-74 के बजट का बहुत स्वागत हुआ है। सरकार ने निगमि क्षेत्र और उच्च आय वाले पक्ष को अपनी उन्नति करने की अनुमति दी हुई है।

जहां तक संयुक्त क्षेत्र की बात है एक ओर तो एकाधिकारवादियों को समाप्त करने की बात की जाती है तो दूसरी ओर टाटा बन्धुओं को 20 लाख मीटरिक टन इस्पात का लाइसेंस दिया हुआ है और सरकार पहले ही इसे बढ़ाकर 0 लाख मीटरिक टन करने के लिए सहमत हो गई है। अतः तथाकथित संयुक्त क्षेत्र की परियोजना की लागत और पारिश्रमिक के रूप में उसे 50 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके लिए टाटा बन्धुओं ने एक पैसा भी नहीं दिया है और लोगों को देना पड़ता है। सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार इस्पात का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। किन्तु सरकार ने टाटा बन्धुओं को 300 प्रतिशत तक बढ़ने की अनुमति दी है और इस परियोजना की लागत. 50 लाख रुपया वहन किया है। सरकार ने अभी तक चीनी का राष्ट्रीयकरण तक नहीं किया है। वायदा बाजार को भी बन्द नहीं किया गया है, क्योंकि सत्ताधारी दल को वहां से धन की प्राप्ति होती है।

जनता पर अप्रत्यक्ष करों का बहुत भार पड़ा हुआ है, जो प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। 1971-72 में यह कर 174.35 करोड़ रुपये के थे और 1973-74 में बढ़कर 273.75 करोड़ रुपये हो गये हैं। क्या इससे मूल्य कम हो सकते हैं ? कभी नहीं।

घाटे की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। 1972-73 में 271 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था थी और इस वर्ष 550 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस राशि में राज्यों द्वारा अधिक राशि के बीजक बनाये जाने के कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई 421 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित नहीं है। अतः संशोधित अनुमानों के अनुसार 1972-73 में 971 करोड़ रुपये घाटे की अर्थव्यवस्था हो गई है। ऐसी स्थिति में मूल्य कम नहीं किए जा सकते।

कीमतों के बढ़ने में काले धन का हाथ बहुत अधिक है और इससे एक प्रकार का विनाश हो रहा है।

श्री प्रबोध चन्द्र (गुरदासपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमें सदन की गरिमा को

ध्यान में रखते हुए वाद विवाद करना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो आपका मत है ।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं दो आधारों पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। पहले तो इस संकल्प पर चर्चा के लिए समय सीमा है—केवल 4 घंटे का समय है। दूसरे माननीय सदस्य नियम 358 (3) के अन्तर्गत भाषण दे रहे हैं। माननीय सदस्य को प्रश्नों का उत्तर भी देना होगा। किन्तु वे एक लम्बा भाषण दे रहे हैं, जिसमें वे नई नई बातें उठा रहे हैं। अतः इस भाषण को छोटा होना चाहिए। अतः कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय के अन्दर ही इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। किन्तु यहां चार घंटे की बड़ी सीमा भी समाप्त होने जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वह अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : समिति ने सिफारिश की थी कि देश में विमुद्रीकरण किया जाना चाहिए ताकि मूल्यों पर नियंत्रण किया जा सके। किन्तु सरकार ने इस सिफारिश को गोपनीय रखा और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने देश में किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया है। देश में केवल 25 प्रतिशत सिंचाई योग्य भूमि है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए नियत की गई राशि पूर्ण रूप से खर्च नहीं की गई है। सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने और भूमि सुधार करने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है।

सरकार को खाद्यान्नों का वाणिज्यिक स्तर पर आयात करना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य गलत वक्तव्य दे रहे हैं। हम खाद्य सामग्री पूर्ण रूप से वाणिज्यिक स्तर पर और नकद मूल्य देकर खरीद रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार मूल्य वृद्धि को रोकना ही नहीं चाहती क्योंकि में जमाखोरों को प्रश्रय सरकार ही देती है। सरकार का राजनीतिक स्वरूप ऐसा है कि वह मूल्यों पर नियंत्रण नहीं कर सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा खाद्य पदार्थों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि और उनके रोकने में सरकार की असफलता से चिंतित और दुःखी है।

लोक सभा में मत विभजन हुआ

Lok Sabha devided

पक्ष में	32	विपक्ष में	196
Ayes	32	Noes	196

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

रेलवे बजट 1973-74-सामान्य चर्चा

RAILWAY BUDGET 1973-74 GENERAL DISCUSS ON

[**Shri K. N. Tiwary in the chair**
श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]

Shri Mohammad. Ismail (Barrackpore) : I oppose increase in railway fare as proposed

in the Railway Budget; particularly the increase in the third class passenger fare will directly affect the poor people and lowpaid Government servants, particularly clerks all over the country because there is no increase on the monthly pass of Rs. 5/-. The hon. Minister stated that day that because of the rise in the wages of the workers the railway fares have to be increased. But really speaking and the fact is that the number of workers has decreased by 40 percent whereas the work load has increased between the period 1950-51 and 1971-72. Apart from this 14 computors have been installed in different Railways and some more computors are likely to be installed there, as a result of which staff has further been reduced. The hon. Minister has kept this matter secret in his speech.

The railway consuntion committee in its report has stated that Government have to bear the loss of Rs. 12 crores every year by way of payment of compensation on account of loss of goods being transported through goods trains. The committee has also mentioned in its reports that all the thefts are committed in connivance with the Railway Protection Force and Government should look into this problem.

But the Government is silent about this and has not taken any steps to stop these losses.

Mr. Chairman : Please conclude your speech now.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpur) : So far as the Capital of the Railway as is concerned, it is stated in the budget that the total amount of Capital-at-charge has increased from Rs. 827 crores in 1950-51 to Rs. 3530 in 1971-72 and a sum of Rs. 150 crores as interest has to be paid by the Railways; and the rate of divident on this amount is 5 percent. I do not know what is this. This has been kept secret from the budget. The hon. Minister should clearly explain this position.

Regardiog the question of recognised federations and unions in railways, the recognised unions as they are today, are not recognised in a practical sense, because they are not generally supported by the railway labourers. These unions are officer-oriented unions On the other hand the truly representative unions of the labourers, like Chittaranjan Low workshop workers' union, a registered union and hily representative union, which has been fishting the cause of the workers since 1957 has not yet been accorded recognition by the high-ups.

Casual and temporary workers are on the mercy of the officers and are posted according to the choice of the officers which is highly arbitrary. Same is the case with the electric workers. Whenever there is change at the ministerial or higher level, everytime new procedure is adopted for their recruitments. Most of these workers are rendered unemployed.

In my constituency, Nanafada Railway Station is the biggest den of railway property, thieves people of this area have already made a representation that there should be a halt station here so that thefts of railway property on such a large scale may be checked. Government should look into this fact.

The suggestions given by the Zonal and Railway Users Committees are not implemented. Therefore, wide powers should be given to these Railway User's Committees so that the suggestions given by the M. P's in these committees may be implemented quickly. Large scale transfers of the workers should be stopped.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : There should not have been any increase in the third class railway fare, because this shall have a great burden on the common man and poor man. Therefore, this increase in the fare of third class passengers should be withdrawn. Thereis only 4 percent increase in the total passenger earning. Railway freight has also decreased whereas income from the railway freight has increased. There should be Judicious management and proper control over railway finances so that erosion of railway revenues may be checked. More than 20 percent of railway passengers travel without tickets. In order to increase railway revenue ticketless travel should be checked.

So far as the efficiency of the railway staff is concerned, it is decreasing day by day as a result of which railway accidents are on the increase. Railway revenues can be increased without this extra burden on the passengers by checking thefts of railway goods and by increasing efficiency Competency in railway staff. With the adjustment of railway freight rate the price of coal has increased.

There is no provision of Ghat-to-Ghat booking between Pahlejaght and Mahendrughat. This is a loss to the railways Ghat-to-Ghat booking should be introduced in consultation with Bihar Government, so that the malpractices aud corruption which have sprung up in this area may be brought to an end.

Government have stated that there shall be no increase in the third class passenger fare. But this very small and very few people will be benifitted of this concession. Therefore, atleast a distance of first 35 to 40 kilo-metres should have been exempted from any increase in the railway fares.

More facilities should be provided in the trains. Trains should not be kept dirty. Difficulties of the railway staff should be minimised. They should possibly be posted nearer to their places of residence. Bureaucracy in the railways is so much on the increase that orders of an officer are immediately carried out whereas suggestions given by the member of Parliament are resisted.

Trains on Chapra-Gopalpur branch line always run irregularly. This is not due to chain-pulling but due to lapse and negligence in the discharge of the duties on the part of railway staff. They stop the train where they like. This problem should be looked into.

We have been demanding for pretty long time that there should a D.T.S. office in Sonepur. All the previous Railway Ministers were approached for this purpose, but nothing has been done in this regard. We have now written a letter to the present hon. Minister for a D.T.S. office in Sonepur. But the matter is said to be under examination. Any how no action has been taken in the matter. Instead of examining the matter the issue should be discussed with the members of Parliament. Railway Service Commission which is independent in all matters, should be established in Bihar. The hon. Minister should accept this demand.

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Every body knows that Railway Board is an extranagant institution where bureaucracy and redtapism are on the increase and this institution has been subjected to criticism in this House for a very long time. Such institutions which are against the socialistic policies of the Government should be scrapped. The hon. Minister of Railways should reconsider this matter. But he has submitted the stereotyped Budget and the problems remained untouched Instead of chalking out new devices for increasing the railway revenues, third class passenger fares have been increased thus adding to the burden of the poor.

The workers of the railway have not been included in the management of railways. So there should a scheme of worker's participation in the management of railways. Such an atmosphere should be created, where a worker may find an incentive for work in the railways.

Recognising one or two worker's unions is not enough. Other unions with large number of workers and true representative worker's unions should also be given recognition. You very well know that North-Eastern Railway Mazdoor Union is a very influencive and representative worker's union in North Railway. But Government have not given recognition to this union So in order to ascertain that which union is a Majority Union the issue should be decided by secret ballot.

Increase in the third class passenger fase is against the objective of the Government. This is rather unjustified. I request the hon. Minister that this increase should be withdrawn and the fares of the other upper class catagories may be enhanced.

Victimisation of the railway employees should be stopped and profit allowance should be given to all the railway workers eligible for this allowance. There should not be any discrimination in the payment of this allowance.

The Housing facilities for the railway employees are very inadequate. This problem should be solved early. The question of laying a new railway line from Hajipur to Sugauli line via Lalganj, Kesaria, Govindganj and Areraj has been pending undecided for the last five years, and even the survey has not been conducted. I, therefore, request the hon. Minister to expedite this work as this will prove very fruitful to the Government as well as the people of these areas. Railway bridge on River Narayani near Bagah has been damaged, as a result of this link between Gorakhpur and Narkatiaganj has been cut off. Thir bridge should be repaired so that this link in the region may be restored. The proposed bridge over Ganga should be a rail cum road bridge. Broad guage railway line should be laid from Samastipur to Raaul via Muzaffarpur, which is most essential. There should not be any further delay in this work.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पच्चीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

इसके पश्चात लोक सभा बुधवार 7 मार्च, 1973/16 फाल्गुन, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday March 7, 1973/Phalguna 16, 1894 (Saka)

Ashoka Printing Works, Modinagar.